سبحانه وتعالى

कुर्आने मजीद का
तहरीफ़ से महफूज रहना

तालीफ़

सै0 अब्दुर्रहीम अल-मूसवी

तर्जुमा

सै0 हमीदुल हसन ज़ैदी

मुदीर

अल-उस्वा फ़ाउनडेशन, सीतापुर

© Al-Uswa Foundation Sitapur

QURAN-E-MAJEED KA TAHREEF
SE MAHFOOZ RAHNA
by
SYED ABDUR-RAHEEM AL-MOOSVI
Translate by
SYED HAMIDUL HASAN ZAIDI
Year of Edition October 2021

किताब का नाम	:	क़ुर्आने मजीद का तहरीफ़ से महफ़ूज रहना
तालीफ़	:	सय्यद अब्दुर्रहीम अल–मूसवी
तर्जुमा	:	सय्यद हमीदुल हसन ज़ैदी मुदीर अल–उस्वा फाउन्डेशन
हिन्दी लिपि	:	सय्यद मेहदी रज़ा ज़ैदी
नज़रे सानी	:	आलीजनाब मौलाना तसदीक़ हुसैन साहब
सेटिंग व ग्राफ़िक्स	:	अर्श एसोसिएट्स # 9935915110
प्रिन्टिंग	:	नवम्बर 2021
मुद्रक	:	अल उस्वा फाउन्डेशन
पेशकश	:	अहलेबैत काउन्सिल इंडिया
क़ीमत	:	100 रुपये

मिलने का पता

❖ अल–उस्वा फ़ाउन्डेशन
मोहल्ला कज़ियारा, सीतापुर – 261001
मो0 नं0 : 9935935416

❖ अर्श एसोसिएट्स
UGF-4, ख़्वाज़ा टॉवर, विक्टोरिया स्ट्रीट
चौक, लखनऊ –226003
मो0 नं0 : 9935915110

मुक़द्दमा

क़ुर्आने मजीद अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, जिसमें कोई शक और शुब्हा नहीं किया जा सकता। ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया और साहेबाने तक़्वा के लिए हिदायत की ज़मानत है।

इसमें बातिल का गुज़र नहीं, इसमें शक करने वाले बे-दीन और इसमें किसी भी तरह की कमी या ज़्यादती का नज़रिया रखने वाले बे ईमान, मौजूदा क़ुर्आने मजीद को बे-ऐनेही (बग़ैर किसी कमी या इज़ाफ़े) के किताबे खुदा समझने वाला ही सच्चा मुसलमान और मोमिन है। इधर कुछ अरसे से दीन को दुनिया के लिए बेच देने वाले अवक़ाफ़ (वक़्फ़ की जमा) चोर लअ्नती ने मुक़द्दस किताबे इलाही के ख़िलाफ़ जो मुहिम छेड़ रखी है, इसके ज़रिए वो तो अपने इस्लाम और ईमान का सौदा करके, दायर-ए-इस्लाम से बाहर होने का एलान कर चुका है लेकिन उसने तहरीफ़ किया हुआ क़ुर्आनी शक्ल में मसवेदा पेश करके संगीन समाजी जुर्म का भी इरतेकाब किया है, समाज में बदअम्नी और बेचैनी फैलाने की सज़ा उसे मुल्क की बा-वेक़ार अदालत से ज़रूर मिलेगी जैसा कि पहले भी जुर्माना आयद किया जा चुका है। इस सूरते हाल में क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की कमी ज़्यादती न पाई जा सकने के बारे में मुख़्तसर (brief) और मुदल्लल (दलीलों के साथ) गुफ्तगू की ज़रूरत है ताकि साहेबाने फ़हेम ऐसे ज़मीर फ़रोशों की हिमाक़तों के साथ-साथ इस तरह की हर मुम्किन साज़िश और कोशिश के खोखलेपन की तरफ मुतवज्जेह रहें और समाज किसी तरह के इन्तेशार का शिकार न हो। इस सिलसिले में हमारी ये नाचीज़ कोशिश एक पहल शुमार होगी, इंशाल्लाह साहेबाने तहक़ीक बहेस का मुकम्मल हक़ अदा करेंगे। हमारी इस बहेस मनबा मजम-ए-जहानी अहलेबैत[अ.स.] के तहक़ीकी (रिसर्च) कमेटी की मुहक़्क़ेक़ाना (तहक़ीक की हुई) बहेस है। उम्मीद है, क़ुर्आने मजीद की ये ना चीज़ ख़िदमत दुनिया और आख़िरत में

इज़्ज़त व सर बुलंदी का ज़रिया साबित होगी। ❖❖❖

आग़ाज़े सुख़न

तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि जो क़ुर्आने मजीद हमारे सामने मौजूद है ये अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल की गई वही किताब है जिसमें किसी तरह का बातिल किसी भी तरफ़ से नहीं आ सकता।

ख़ुद क़ुर्आने मजीद के मुताबिक़ इसमें बातिल ना सामने से आ सकता है न पीछे से, ये ख़ुदाए हकीम व हमीद की तरफ़ से नाज़िल की हुई किताब है।

क़ुर्आने मजीद बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से पैग़म्बर इस्लाम की आग़ोश के पाले जनाब अमीरूल मोमिनीन इमाम अली[अ.स.] ने इसको बयान किया है।

यह क़ुर्आने मजीद जिसने नस्लों की तरबियत की, जिसके ज़रिए बड़े-बड़े लोग वजूद में आए। क़ौमों को तहज़ीब और सक़ाफ़त (Culture) का दर्स मिला, बुग्ज़ व हसद रखने वाले अफ़राद इस्लामी उम्मत को इनसे जुदा नहीं कर सके। हालाँकि अफ़राद तहरीफ़ के ज़रिए इसे नुक़सान पहुँचाने और मुसलमानों के बीच फ़ितना और फ़साद बरपा करने में, बुग्ज़ और हसद की आग भड़काने की कोशिश करते रहे हैं।

इस शैतानी गिरोह ने अपने मक्र व फ़रेब के ज़रिए हिदायत व रहनुमाई के बदले बुग्ज़ व हसद फैलाया और आने वाली नस्लों को इस अज़ीम ख़ुदाए नासिर व मददगार से महरूम कर दिया लेकिन ख़ुदावंदे आलम ने उनकी एक न चलने दी और अपने नूर को कामिल कर दिया चाहे ये कुफ़्फ़ार के लिए नापसंद ही क्यों न हो।

अमीरुल मोमिनीन[अ.स.] के इस बयान के बाद, किताबे ख़ुदा को तहरीफ़ से महफ़ूज़ समझने के लिए तहरीफ़ के शुब्हों के बारे में दो तरह से बहेस की जाएगी।

इस शुब्हे पर एतिराज़ उन इस्लामी उसूल की रौशनी में बातिल और

ग़लत साबित किया जाएगा जो दीन के रहबर मोहम्मद[स.अ.] व आले मुहम्मद[स.अ.] की जानिब से बयान किए गए हैं।

दूसरे तरीक़े में उस शुब्हे की रद्द में दलीलों के ज़िक्र किए बग़ैर सिर्फ़ मौज़ूए बहस की बुनियाद पर उस पर तनक़ीद, एतिराज़ और इश्काल बयान किए जाएँगे जिनमें सिर्फ़ जो हालात ज़ाहिरी तौर पर वाज़ेह होते हैं उसके मुताबिक़ नतीजे फ़र्ज़ किए जाते हैं।

पहला रास्ता और बहेस सिर्फ़ उन लोगों के लिए कारऑमद होगा जो दीने इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं और तमाम दीनी दलीलों (क़ुर्आन व सुन्नत) पर ईमान रखते हैं।

जब कि दूसरा तरीक़ा एक आम रास्ता होगा जो तमाम लोगों के लिए इतमीनान बख़्श होगा और किसी के लिए भी किसी तरह के शुब्हे की गुंजाइश नहीं रह जाएगी चाहे वो दीन इस्लाम के उसूलों पर बिल्कुल ईमान न रखता हो।

पहला रास्ता वो है जिसको तमाम ओलमा-ए-इस्लाम ने इख़्तियार किया है और अलग-अलग क़िस्म की मुख़्तलिफ़ दलीलों से साबित किया है कि क़ुर्आने मजीद हर क़िस्म की तहरीफ़ से महफ़ूज़ है और इसमें किसी तरह का शक व शुब्हा नहीं रखा जा सकता।

ये तमाम ओलमा-ए-शीअः की वो सही राए है जो नस्ल दर नस्ल सदियों से उनके यहाँ राइज है और इसमें किसी तरह के वहम व गुमान की गुंजाईश नहीं है। जैसा कि गुज़श्ता सदी के अज़ीम मरजअ़-ए-आयतुल्लाह ख़ूई ताबसरह ने मुक़द्दमा तफ़सीर अल-बयान में वज़ाहत (detail) फ़रमाया है।

दूसरा रास्ता जिसे हम अनक़रीब क़ुर्आने मजीद में तहरीफ़ के शुब्हे पर बहेस करने के लिए इख़्तियार करेंगे। वो चीज़ों की तबीअत के मुताबिक़ सामने आने वाले नतीजों की रौशनी में बहेस की सूरत में सामने आने वाले नतीजों के ज़रिए क़ुर्आने मजीद में तहरीफ़ न होने को साबित करेगा।

हमारी ये गुफ़्तगु नीचे दी गई इन चन्द बहसों से मुकम्मल होगीः-

- पहली बहेसः रसूल[स.अ.] के ज़माने में क़ुर्आने मजीद की तदवीन और तशकील।
- दूसरी बहेसः नबी अकरम[स.अ.] के दौर में क़ुर्आने मजीद का जमा

किया जाना।

- तीसरी बहेसः तहरीफ़ के बारे में वारिद होने वाले एहतेमालात को बातिल साबित करने के लिए उनकी हक़ीक़त को वाज़ेह करना।
- चौथी बहेसः ओलमा-ए-इस्लाम का क़ुर्आने मजीद में तहरीफ़ न होने का वाज़ेह एलान।
- पाँचवी बहेसः क़ुर्आने मजीद में तहरीफ़ का शुब्हा पैदा करने की वजह और इसका रिवाज।
- छठी बहेसः तहरीफ़ की रिवायात के बारे में सही नज़रिये की वज़ाहत।

❖❖❖

पहली बहेस

रसूल[स.अ.] के ज़माने में क़ुर्आने मजीद की तदवीन और तशकील।

वो तमाम हालात, कैफ़ियात और ख़ुसुसीयात जिनमें नबी अकरम[स.अ.] और तमाम मुसलमान ज़िन्दगी बसर कर रहे थे और जिस दौर में क़ुर्आने मजीद नाज़िल हो रहा था। वो हालात व ख़ुसुसीयात चाहे असली हों या किसी बिना पर पैदा हो गए हों इस बात पर सब इत्तेफ़ाक़ और यक़ीन रखते हैं कि पैग़म्बर इस्लाम[स.अ.] के दौरे हयात में ही क़ुर्आने मजीद जमा कर लिया गया था।

वो हालात और कैफ़ियात इस तरह हैंः-

अ- क़ुर्आने मजीद उम्मते इस्लामी के लिए एक बुनियादी दस्तूरुल अमल है। वो एक ऐसे ज़ावीय-ए-नज़र (दृष्टिकोण) को तश्कील देता है जिस पर इस्लामी उम्मत के अक़ाएद, उनके अहकाम व क़वानीन(हुक्म की जमा) और उनकी सक़ाफ़त की बुनियाद क़ायम होती है और इसके अलावा दीगर इस्लामी और मज़हबी पहलुओं जैसे समाजियात और अख़लाक़ियात वग़ैरा भी इसी के ज़ेरे साया हैं। इसी तरह क़ुर्आने मजीद तारीख़ की सबसे मोअतबर और यक़ीनी किताब है और तमाम अदबी (सहित्यक) मुतून (text) में सबसे दिलचस्प और अनोखा है। मुसलमान इब्तेदाई दौर की अपनी समाजी ज़िन्दगी में क़ुर्आने मजीद के अलावा किसी और तरह के फ़िक्र व तमद्दुन (सभ्यता, civilisation) के हामिल नहीं थे जो एक इन्सानी फ़िक्र व तमदुद्न की सारी ज़रूरियात के मुताबिक़ हो लिहाज़ा क़ुर्आने मजीद उनके हालात के मुताबिक़ उनको एक नई उम्मत में तब्दील कर रहा था जो रुहानी, फ़िक्री और समाजी एतिबार से एक मुकम्मल ज़िन्दगी की मिसाल हो।

मसलन उस वक़्त तक इस्लामी उम्मत के अक़ाएद की अपनी ज़ाती कोई सक़ाफ़त और तहज़ीब नहीं थी जिस पर वो ख़ुदा की वहदानियत (एक होना) के पुख़्ता अक़ीदे की बुनियाद रख सकते और इस बुनियाद पर इस बज़्मे हस्ती और इस बा-रौनक ज़िन्दगी का तसव्वुर कर सकते या दूसरे बातिल मज़ाहिब का अक़ीदा रखने वालों को उनके आग़ाज़ व अंजाम की तरफ़ मुतवज्जेह करके उन्हें आग़ाज़ से लेकर क़यामत तक की मंज़िलों का यक़ीन दिलाते। उनके पास इन अहम तरीन कामों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ुर्आनी दलीलें थीं।

यही सूरते हाल दीगर मसाएले ज़िन्दगी की थी चाहे उसका तअ़ल्लुक़ इन्सान की रूह से हो या उसकी फ़िक्र व तमद्दुन से, उनके लिए भी क़ुर्आनी दलीलों के अलावा दूसरी किसी भी तरह की दलीलें उस वक़्त के मुसलमानों के पास नहीं थीं।

ब- मुसलमान इब्तेदा (शुरुआत) ही से क़ुर्आने मजीद को हिफ़्ज़ करने और इसका एलान व इज़हार करने के पाबंद हैं जिसकी वजह क़ुर्आने मजीद के बारे में उनका अक़ीदा और इस मुक़द्दस किताब और इसकी उस अहमीयत को समझना है जो उनकी इज्तेमाई या सियासी ज़िन्दगी में महसूस की जाती है। लिहाज़ा इन्सानी ज़िन्दगी को कामयाब और बा-मक़सद बनाने के लिए क़ुर्आने करीम के अहम किरदार की अहमियत को समझा जा सकता है।

मुसलमानों के दरमियान क़ुर्आने मजीद को हिफ़्ज़ करने के कसरत से पाए जाने वाले रुजहान और इस्तेक़बाल की बिना पर एक बहुत बड़ी जमाअत तैयार हो गई जिसे हाफ़िज़ाने क़ुर्आने मजीद (क़ुर्आन हिफ़्ज़ करने वाले) के नाम से पहचाना जाता है और वो लोग अपने इस अमल का शिद्दत से इज़हार करके एक मुनज़्ज़म तरीक़े से अपने को पहचनवाने के पाबंद हैं जैसा कि आइन्दा बहसों में इसकी वज़ाहत की जाएगी।

स- पैग़म्बर इस्लाम[स.अ.] अपनी उम्मत के रन्ज व ग़म में शरीक थे। उनकी आरज़ूओं, तर्ज़े ज़िदंगी, उनके मुश्किलात और उनके ज़रूरियात को महसूस करते थे और इसके तईं अपनी उस अज़ीम ज़िम्मेदारी को भी महसूस करते थे जो इन हालात और कैफ़ियात में आप पर आइद होती थी। आप उन मसअ़लों पर गहराई से नज़र रखते थे जो उस

माहौल के पैदा होने में असर-अंदाज़ हो सकते हैं उसके साथ-साथ आप उम्मत-ए-इस्लामी के लिए दर पेश ख़तरों को भी महसूस करते थे। इसकी बेहतरीन दलील बेअ्सत के वक़्त से लेकर वफ़ात तक आपका अहम किरदार है। आपने हमेशा इस मुद्दत में ज़हमत और मशक़्क़त की ज़िन्दगी बसर की अलबत्ता ये ज़हमत और मशक़्क़त भी आपके ज़रिए ख़ुदावंदे आलम की वहदानियत की तरफ़ दावत और उम्मत के हालात बदलने की कोशिश के तौर पर थी। आप अपने अमल से उम्मत के क़ल्ब व नज़र और फ़िक्र व शऊर को बदलना चाहते थे और इस पूरे कारनामे के लिए एक अज़ीम महारत के साथ समाजी हक़ीक़तों को दक़ीक़ तरह से महसूस करना ज़रूरी था। साथ-साथ इन हालात और कैफ़ियात का जायज़ा लेना भी ज़रूरी था जिसमें बेहतर से बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हों और इसके ज़िम्न में इन्सानी नफ़सियात (human psychology) का जायज़ा लेकर इस पर मुरत्तब होने वाले ख़ैर व शर पर नज़र रखी जाए।

उसके बाद मुसलमानों की क़यादत और उम्मत-ए-इस्लामी की सियासत, उनके उमूर (अम्र की जमा) की तदबीर, उनकी सरबराही ऐसे सख़्त तरीन सियासी हालात से दो-चार हुई कि हुकूमत और शरई क़ानून लागू करने का निज़ाम ऐसे अफ़राद की नज़र हो गया जिनका समाजी निज़ाम से किसी तरह का वास्ता नहीं था या अगर था तो बहुत ही बेरंग और ग़ैर महसूस था।

इसी तरह वो अफ़राद ऐसे मफ़ाहीम और ऐसे अफ़्कार व नज़रियात के हामिल थे जो इस्लाम के ज़रिए लाए जाने वाले जदीद अफ़्कार व नज़रियात से बिल्कुल बेगाना थे लिहाज़ा उन लोगों ने जंग व जदल की तदबीरें शुरू कर दीं और मक्र व फ़रेब, धोखाधड़ी, बुग्ज़ व कीना, निफ़ाक़ व इरतेदाद जैसे मुख़्तलिफ़ ख़तरनाक हर्बों को हर मुम्किन तरीक़े से इख़्तियार करने लगे।

पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ख़ुदाई रिसालत व नुबूव्वत की तारीख़ से बख़ूबी वाक़िफ़ थे और जानते थे कि गुज़िश्ता अम्बिया को हठधर्मों की जानिब से कैसे-कैसे मुश्किलात का सामना रहा है जो आसमानी पैग़ाम में तहरीफ़ और दीन की तिजारत करने वाले थे जैसा कि क़ुर्आने मजीद में भी इसकी सराहत मौजूद है और अहले किताब के बारे में इस

तहरीफ़ की ज़बरदस्ती और हठधर्मी का तज़किरा है।

अब जिस बा-बरकत ज़ात ने इन्सानी ज़िन्दगी को इस मुश्किल में क़रीब से देखा है और इसके बारे में उसे पूरी मालूमात हों वो जिहालत के अंधेरों में रिसालत की अबा ज़ेब तन करके ख़ुदाई दावत का अलमबरदार बनकर इन्सानी क़यादत की ज़िम्मेदारी इस अंदाज़ से सँभालता है कि लोग अंधेरों से निकलकर जूक़ दर जूक़ रौशनी में आ जाएँ और बातिल की जगह पर हक़ के परस्तदार बन जाएँ।

इसके बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो क़ुर्आने मजीद के मत्न (text) को दरपेश ख़तरों से किसी भी तरह ग़ाफ़िल रहा हो ख़ासतौर पर जब लोगों के दिलों में उसे महफ़ूज़ करने और उसका एलान व इज़्हार करने के ज़रिए उसे महफ़ूज़ रखना मुम्किन हो।

द- पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के पास किताब को तैयार करने और नुस्ख़ा बर्दारी के इम्कानात सिर्फ़ ऐसे बा-सलाहियत अफ़राद ही तक महदूद नहीं थे जो इन्तेहाई इख़लास के साथ किताबे ख़ुदा को लिखने पर क़ादिर हों बल्कि इनके अलावा किताबत के लिए ज़रूरी साज़ व सामान की भी इफ़रात थी। पूरी तारीख़ में कोई एक इन्सान भी ऐसा नहीं है जो इन वसीअ़ इम्कानात के वजूद और फ़राहमी में किसी तरह का ज़र्रा बराबर शक कर सके।

ह- इसी तरह हमारे लिए इस बात का एतिराफ़ व इक़रार भी ज़रूरी है कि क़ुर्आने मजीद और इसके बुलंद मक़ासिद के तईं नबी अकरम[स.अ.] की बा-बरकत ज़ात में इख़लास का पाया जाना यक़ीनी था। कोई कितना बड़ा शक करने वाला ही क्यों न हो, नबी अकरम[स.अ.] के वजूद-ए-मुबारक में इख़लास पाए जाने के बारे में ज़र्रा बराबर शक व तरदीद का शुब्हा भी नहीं कर सकता इसलिए कि आपके बारे में काफ़िरों और नुबूव्वत व रिसालत का इन्कार करने वालों की तरफ़ से नऊज़ु-बिल्लाह जो भी ख़राब से ख़राब बात कही गई हो, क़ुर्आने करीम के तईं आपके इख़लास को हरगिज़ न कुछ कहा गया और न कहा जा सकता है।

क़ुर्आने करीम आप ही का मोजिज़ा और आपकी इस दावत की सबसे बड़ी दलील था जिसके ज़रिए आपने मुशरिकीन को चैलेंज किया था। भला कैसे मुम्किन है कि जिस क़ुर्आने मजीद की आपकी ज़िन्दगी में ये

हक़ीक़त और अज़मत हो और जिस पर आपके पैग़ाम-ए-इलाही का दारोमदार हो, आपकी तरफ़ से इसकी हिफ़ाज़त का पूरा बंदोबस्त न किया जाए ऐसा हरगिज़ मुम्किन नहीं है। ऐसी सूरते हाल में अगर आप क़ुर्आने मजीद की हिफ़ाज़त का बंदोबस्त न करें तो क्या तब भी आपकी तरफ़ से उसे क़ुर्आने मजीद के तईं इख़लास क़रार दिया जा सकता है? हरगिज़ नहीं! बल्कि ऐसा बंदोबस्त न करना इख़लास के बिल्कुल बरअक्स और इसके मुनाफ़ी शुमार होगा जिसका तसव्वुर भी आपके बारे में मुहाल है।

यही पाँच अनासिर

- क़ुर्आन की अहमियत।
- उसे मुरत्तब और मुदव्वन (जाँच) न करने की सूरत में इसके लिए तहरीफ़ का ख़तरा।
- पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] का इस ख़तरे को महसूस करना।
- क़ुर्आने मजीद की तरतीब व तदवीन के लिए वसीअ् इम्कानात का पाया जाना।
- क़ुर्आने मजीद की हिफ़ाज़त के लिए नबी अकरम[स.अ.] का इससे लगाव और इसके तईं इख़लास ये तमाम उमूर जब एक साथ जमा हो जाएँ तो फिर इस बात में किसी तरह के शक व शुब्हे की गुंजाइश नहीं रह जाती कि क़ुर्आने मजीद अहदे रिसालत मआब में तहरीरी शक्ल में मुरत्तब हो गया हो।

❖❖❖

दूसरी बहेस

रसूले अकरम[स.अ.] के ज़माने में क़ुर्आने मजीद मुरत्तब हो जाना

ओलमा-ए-इमामिया की एक बहुत बड़ी जमाअत इस बात पर ताकीद करती है कि क़ुर्आने मजीद पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में जमा हो गया था और आपने दुनिया को छोड़कर आख़िरत की तरफ़ उस वक़्त तक सफ़र नहीं किया जब तक अपने मुबारक दिल में मौजूद इस नूरानी कलाम की हिफ़ाज़त की अमली तस्वीर सामने नहीं पेश कर दी। अपने क़ल्बे मुबारक और उन तमाम हाफ़िज़ाने क़ुर्आन के पाकीज़ा दिलों में पाए जाने वाले नूरानी कलाम को मन्ज़रे आम पर लाने का मरहला अपनी ज़िन्दगी में ही तय कर लिया जो उस वक़्त ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। हमारे इस दावे के सबूत में बहुत सी दलीलें और रिवायतें गवाह हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर पेश की जा रही हैं।

1. पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] और सहाब-ए-केराम को क़ुर्आने मजीद की आयात के नाज़िल होते ही उसकी तिलावत, उसकी तालीम और उसके हिफ़्ज़ करने पर इन्तेहाई ताकीद फ़रमाते थे।

   क़ुर्आने मजीद को हिफ़्ज़ करने की उमंग पैदा कराने वाली रिवायतों में से एक रिवायत में आपने फ़रमाया है कि जो क़ुर्आने मजीद की तिलावत करे यहाँ तक कि उसका एलान व इज़्हार करे और उसे हिफ़्ज़ करे ख़ुदावंदे आलम उसे जन्नत में जगह देगा और ये हक़ देगा कि वो अपने घर वालों में से ऐसे दस अफ़राद की शिफ़ाअत कर सके जिन सबका जहन्नुम जाना तय हो।[1]

---

[1] अल-बयान, पेज-85

इस मफ़हूम या उसके अलावा तालीमे क़ुर्आन से मुतअल्लिक़ बहुत सी दीगर हदीसें इस कसरत से वारिद हुई हैं जिन्हें शुमार भी नहीं किया जा सकता। इबादा इब्ने सामित से रिवायत है कि जब कोई शख़्स हिजरत करता था तो नबी अकरम[स.अ.] उसे किसी ऐसे शख़्स के पास भेजते थे जो उसे क़ुर्आने मजीद की तालीम दे सके और मस्जिदे नबवी से तिलावत क़ुर्आन का शोर सुनाई देता था यहाँ तक कि पैग़म्बर इस्लाम[स.अ.] ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी आवाज़ें नीची रखें ताकि शोर में कहीं ग़लत न पढ़ जाएं।[1]

यही वजह है कि हाफ़िज़ाने क़ुर्आन की एक अच्छी ख़ासी तादाद हो गई थी। क़ुर्आने मजीद को हिफ़्ज़ करने की तरफ़ इस तरह तवज्जोह उसको हिफ़्ज़ करने में छुपी मसलहतों का नतीजा थी और इसी बिना पर पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] की तरफ़ से हिफ़्ज़ की ताकीद की जा रही थी और इस पर अज्र व सवाब का तज़किरा किया जा रहा था जो ख़ुदावंदे आलम की तरफ़ से हाफ़िज़े क़ुर्आन को मिलने वाला था ताकि इस हिफ़्ज़े क़ुर्आन के नतीजे में बारगाहे इलाही में जो उसके दर्जात में बुलंदी और उसके रुत्बे में इज़ाफ़ा हुआ वो इसे दूसरों से मुम्ताज़ कर दे।

ख़ुद पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में ग़ज़वा-ए-बेरे मऊना में 70 या 400 या 700 हाफ़िज़ाने क़ुर्आन शहीद हुए। इस तरह आपकी वफ़ात के बाद जंगे यमामा में हाफ़िज़ाने क़ुर्आन की एक बड़ी जमाअत क़त्ल हुई। इन्हीं में से एक वो ख़ातून भी थीं जिन्हें वरक़ा बिन्ते अब्दुल्लाह इब्ने हारिस के नाम से जाना जाता है। पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] उनकी क़ब्र की ज़ियारत फ़रमाते थे और उन्हें शहीदा के लक़ब से याद करते थे और ये हुक्म देते थे कि उनके घर वालों के पास आमद व रफ़्त रखी जाए।[2]

इसी तरह कुछ ख़ास सूरों के हिफ़्ज़ करने का अमल भी मुसलमानों में राएज था और इस तरह हर जुज़ को कम से कम इतनी बड़ी

---

[1] मनाहिलुल इरफ़ान पेज-131, मुसनद अहमद, जि०-6 पेज-442 हदीस 22260, तारीख़ुल क़ुर्आन लिस्सग़ीर-80, मबाहिस फ़ी उलूमिल क़ुर्आन-121, हयातुस्सहाबा जि०-3 पेज-260, मुस्तदरेकुल हाकिम जि०-3 पेज-356

[2] इतक़ान जि०-1 पेज-250

जमाअत हिफ़्ज़ करती थी कि उसके ज़रिए नक़्ल करने पर तवातुर का इतलाक़[1] हो सके। शायद ही कोई मर्द या औरत ऐसी हो जो क़ुर्आने मजीद के सूरों और इसके अज्ज़ा के हिफ़्ज़ की पाबंद न हो। हिफ़्ज़े क़ुर्आन की अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि मुसलमान ख़वातीन क़ुर्आने मजीद के किसी सूरे या इससे कुछ ज़्यादा की तालीम को अपना मेहर क़रार देती थीं।

2. इस बात में किसी को शक नहीं है कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के पास ऐसे लिखने वाले थे जो आपकी ज़बाने मुबारक से इमला की गई वह्यी को फ़ौरन तहरीर करते थे और पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] इसके लिए उनको तनख़ाह भी देते थे।

   हाकिम ने अपनी सही अस्नाद[2] के साथ ज़ैद इब्ने साबित से रिवायत की है कि हम अल्लाह के रसूल के पास थे और मुख़्तलिफ़ टुकड़ों पर क़ुर्आने मजीद लिखते थे।[3]

   मुअर्रिख़ीन ने ‘‘वह्यि’’ लिखने वालों के नाम वाज़ेह तौर पर बयान किए और कुछ ने तो ऐसे अफ़राद की तादाद 31 अफ़राद पर मुश्तमिल बताई है और बयान किया है कि जैसे ही क़ुर्आने मजीद की कोई आयत नाज़िल होती ये ‘‘वह्यि’’ लिखने वाले उसे फ़ौरन तहरीर करते थे।

   बरआ़ से रिवायत है कि जब ख़ुदावंदे आलम का ये क़ौल ***ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मोमिनीन*** [4](घर बैठ रहने वाले साहिबाने ईमान हरगिज़ उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते.....) नाज़िल हुआ तो पैग़म्बर इस्लाम[स.अ.] ने फ़रमायाः ज़ैद को बुलाओ और उनसे कहो कि क़लम व दावात और तख़्ती लेकर आएँ फिर उनसे फ़रमाया लिखोः ***ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन.....***[5]

   पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] बा-नफ़्से नफ़ीस इन तमाम तहरीरों पर तवज्जोह फ़रमाते थे जो इन वह्यि लिखने वालों के ज़रिए वजूद में आती थीं

---

1 इतना कहा जाना कि बात बहुत आम हो जाए और ग़लती का इम्कान ना रह जाए।
2 मुसलसल तारीख़ लिखने वाले, Chain of Narration
3 मुस्तदरेकुल हाकिम जि०-1 पेज-5
4 सूरए निसा, आयात-95
5 कन्ज़ुल उम्माल जि०-2 हदीस-4340

आप उनकी निगरानी करते थे और उनकी तस्हीह करते थे।

ज़ैद इब्ने साबित से रिवायत है कि मैं रसूले इस्लाम[स.अ.] के लिए वह्यि को तहरीर करने का अमल अंजाम देता था जब आप पर वह्यि नाज़िल होने की कैफ़ियत तारी होती थी तो मैं फ़ौरन क़लम व दावात और कोई लिखने के लाएक़ टुकड़ा लेकर हाज़िर हो जाता था। मैं लिखता था और आप इमला फ़रमाते थे। जब मैं लिख लेता था तो फरमाते थेः पढ़ो अगर इसमें कुछ छूट जाता था तो आप उसकी इस्लाह फ़रमा देते थे और फिर आप लोगों के सामने जाकर उसे बयान फ़रमाते थे।[1]

इसके अलावा अलग-अलग आयतों के बारे में इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जब पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] पर कोई आयत नाज़िल होती थी तो आप ऐसे शख़्स को बुलाते थे जो लिख सकता हो और फ़रमाते थेः इन आयात को इस सूरे में तहरीर करो जिसमें फ़ुलाँ-फ़ुलाँ तज़किरा है।[2]

ये काम इन्तेहाई दिक़्क़त, तवज्जोह और जाँ-फ़िशानी से होता था ताकि कोई नक़्स न रह जाए।

3. सही हदीसों में नक़्ल हुआ है कि जिब्रईल पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के सामने हर साल माहे रमज़ान में एक मर्तबा क़ुर्आने मजीद पेश करते थे और जिस साल आपकी वफ़ात हुई, आपके सामने दो बार पूरा क़ुर्आने मजीद पेश किया। पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ने अपने मुबारक दिल में महफ़ूज़ पूरा क़ुर्आन उन हाफ़िज़ाने क़ुर्आन के सामने पेश किया जिनके सीने में क़ुर्आन महफ़ूज़ था। इस वक़्त ऐसे हाफ़िज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह वो अफ़राद जिन्होंने सहीफ़ो की सूरत में क़ुर्आने मजीद को लिख रखा था, अपने सहीफ़े पैग़म्बर इस्लाम[स.अ.] के सामने पेश फ़रमाते।[3]

---

[1] मजमअुज़ ज़वाएद जि०-1, पेज-152

[2] मुस्तदरक जि०-2, पेज-222, जामए सहीह तिरमिज़ी जि०-5, पेज-272, तारीख़े यकूबी जि०-2, पेज-43, बुरहाने ज़रकशी जि०-1, पेज-304, मुस्नदे अहमद जि०-2, पेज-222, तफ़सीरुल क़िरतिबी जि०-1, पेज-60,

[3] सही बुख़ारी जि०-6 पेज-319, मजमअुज़ ज़वाएद जि०-9, पेज-23, कन्जुल उम्माल जि०-12 हदीस-34214

इब्ने कुतैबः से रिवायत है कि आपके सामने सबसे आख़िरी सहीफ़ा ज़ैद इब्ने साबित का पेश किया गया।[1]

इब्ने अब्दुल बिर ने अबू ज़बियान से रिवायत में नक़्ल किया है कि सबसे आख़िर में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद का सहीफ़ा आपकी नज़रों से गुज़रा।[2]

4. कुछ रिवायतों में ज़िक्र हुआ है कि सहाब-ए-केराम पूरा कुर्आने मजीद शुरू से आख़िर तक पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के सामने पढ़कर सुनाते थे और पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] उसके बारे में उनके लिए अहकाम की तशरीह फ़रमाते थे। आप कुर्आने मजीद पूरा पढ़कर ख़त्म करने पर ज़ोर देते थे। इस सिलसिले में रिवायत है कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ने फ़रमायाः जो कुर्आने मजीद सात दिनों में मुकम्मल करे उसके लिए मुक़र्रबीन के अमल का सवाब होगा और जो पाँच दिनों में ख़त्म करे उसके लिए सिद्दीक़ीन के अमल का सवाब है।[3]

इसी तरह आपसे रिवायत है कि जिसने कुर्आने मजीद खोलने पर सूरए फ़ातिहा पर नज़र डाली उसने गोया अल्लाह की राह में फ़तह व नुसरत को देखा और जिसने कुर्आने मजीद के आख़िरी हिस्सों को देखा वो उस शख़्स की तरह है जिसने मैदाने जंग में माले ग़नीमत का मुशाहिदा किया है।[4]

इसका मतलब ये हुआ कि कुर्आने मजीद एक मजमूए की सूरत में शुरू से आख़िर तक पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में मौजूद था। मुहम्मद इब्ने कअ़्ब करज़ी से रिवायत है कि जो लोग पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] की ज़िन्दगी में उनके सामने पूरा कुर्आन ख़त्म करते थे वो उस्मान, हज़रत अली[अ.स.] और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद थे।[5]

तबरिसी का बयान है कि सहाबा की एक जमाअत जैसे अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, इब्ने अबी कअ़्ब वग़ैरा पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.]के सामने कई-कई

[1] अल-मआरिफ़-260
[2] अल-इस्तीआब जि०-3 पेज-992
[3] कन्जुल उम्माल जि०-1 हदीस-2280 व 2417
[4] गुज़िश्ता हवाला हदीस- 2430
[5] अल-जामिअ लिल अहकाम जि०-1 पेज-58

मर्तबा क़ुर्आने मजीद ख़त्म किया करते थे।[1]

पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] से रिवायत है कि आपने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र बिन आस को हुक्म दिया कि हर सात रात या तीन रात में एक मर्तबा क़ुर्आने मजीद ख़त्म किया करो और वो कभी-कभी एक ही रात में पूरा क़ुर्आने मजीद ख़त्म करते थे।[2]

नबी अकरम[स.अ.] ने सअ़्द इब्ने मुन्ज़िर को हुक्म दिया कि हर तीन दिन में एक मर्तबा क़ुर्आने मजीद ख़त्म किया करो। वो ऐसा ही करते थे यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हो गई।[3]

5. सहाब-ए-केराम क़ुर्आने मजीद को काग़ज़ों और सहीफ़ों में जमा करते थे और इस सिलसिले में सिर्फ़ और सिर्फ़ हिफ़्ज़ और तिलावत ही को काफ़ी नहीं समझते थे। शायद आप लोगों ने उमर इब्ने ख़त्ताब के इस्लाम लाने की दास्तान में पढ़ा हो कि क़ुरैश के एक शख़्स ने उनसे कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारे दीन से निकल गई। ये सुनकर वो अपने घर से निकल कर अपनी बहन के घर गए और घर में दाख़िल होते ही उसके मुँह पर ज़ोर-ज़ोर से तमाँचे मारे जिससे उसका चेहरा मजरूह हो गया। जब उमर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो उनकी नज़र घर के गोशे में रखे सहीफ़े पर पड़ी जिसमें तहरीर थाः ***बिस्मिल्ल-हिर्रहमानिर रहीम सब्ब-ह लिल्लाहि मा फ़िस्समवाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।*** [4] वहीं एक दूसरा सहीफ़ा भी देखा जिस पर लिखा था ***बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंज़लना अलै-कल क़ुर्आ-न-लितशक़ा।*** [5]

लिहाज़ा जब उन्होंने अपने को ऐसे मोजिज़ नुमा कलाम के सामने पाया जो किसी इन्सान का कलाम नहीं हो सकता तो वो ख़ुद भी इस्लाम ले आए।[6]

---

[1] मजमउल बयान जि०-1 पेज-58

[2] मुस्तदरक सुन-ने दैरमी जि०-2, पेज-471, सुन-न अबी दाऊद जि0-2, पेज-54 जामए सहीह तिरमिज़ी जि०-5, पेज-196, मुस्नदे अहमद जि०-2, पेज-163,

[3] मजमअुज़ ज़वाएद जि०-7, पेज-171

[4] सूरए हदीद आयात-1

[5] सूरए ताहा आयात-1

[6] मौसूअतुल क़ुर्आनिया जि०-1, पेज-352, अनिस सीरतिन्नबविय्या लि-इब्ने हेशाम जि०-1, पेज-367,370

ये वाक़िआ इस बात की दलील है कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के इमला से आपकी ज़िन्दगी में क़ुर्आने मजीद लिखा जाता था और ये लिखा हुआ क़ुर्आन लोगों के दरमियान रद्दो बदल भी होता था।

6. सहाबा की एक जमाअत ने पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में क़ुर्आने मजीद जमा किया जिनकी तादाद अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अनस इब्ने मालिक की रिवायत के मुताबिक़ चार अफ़राद पर मुश्तमिल थी।[1]
और एक रिवायत के मुताबिक़ ये पाँच लोग थे जैसा कि मुहम्मद इब्ने कअ्ब क़रज़ी की रिवायत में वारिद हुआ है।[2]
एक दूसरे क़ौल के मुताबिक़ ये तादाद छः अफ़राद पर मुश्तमिल थी जैसा कि शाबी की रिवायत में मज़कूर है।[3]
इब्ने हबीब ने महबर[4] में और इब्ने नदीम ने अल-फ़ेहरिस्त[5] में उनकी तादाद सात ज़िक्र की है।
यहाँ पर जमा से मुराद हिफ़्ज़े क़ुर्आन नहीं है इसलिए कि रसूले इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में हाफ़िज़ाने क़ुर्आन की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी कि उन्हें 4 या 7 के अदद से शुमार किया जा सके जैसा कि पहली दलील में इसकी तफ़सील बयान की जा चुकी है।

पहले ख़लीफ़ा के दौर में क़ुर्आन जमा करने की रिवायतें और उनका तजज़िया

हक़ीक़त और हालात की तबीयत के मुताबिक़ क़ुर्आने मजीद के जमा व तरतीब पर दलालत करने वाली रिवायतों के मुक़ाबले में हमारे सामने सिवाए उन चंद रिवायतों के और कुछ नहीं है जिनमें ये ज़िक्र हुआ है कि क़ुर्आने मजीद ख़लीफ़-ए-अव्वल के ज़माने में जमा हुआ है इस तरह कि शाख़ों, टहनियों, खाल के टुकड़ों, दरख़्तों की छालों पर लिखी हुई आयतें

---

[1] मनाहिलुल इरफ़ान जि०-1, पेज-236, अल-जामे लि-अहकामिल-क़ुर्आन जि०-1, पेज-56, असदुल ग़ब्बा जि०-4, पेज-216, अल-जामेउस सहीह जि०-5, पेज-666

[2] तबक़ात इब्ने सअ्द जि०-2, पेज-112, अल-बुरहान, ज़रकशी पेज-305, अल-एसाबा जि०-2, पेज-50, मजमउज़ ज़वाएद जि०-9, पेज-312

[3] तबक़ात इब्ने सअ्द जि०-2, पेज-113, फतहुल बारी जि०-9, पेज-48, मनाहिलुल इरफ़ान जि०-1, पेज-237, हयातुस सहाबा जि०-3, पेज-221

[4] महबर-286

[5] अल-फ़ेहरिस्त-41

जमा की गईं और लोगों के सीनों में महफ़ूज़ आयतों को सुनकर लिखा गया अलबत्ता उसके लिए ये मख़्सूस शर्त थी कि एक बयान करने वाले के अलावा दो और लोग ये गवाही दें कि ये फ़िक़रा क़ुर्आन का ही है जैसा कि क़ुर्आने मजीद की जमा व तरतीब से मुतअल्लिक़ ज़ैद इब्ने साबित से रिवायत किया हुआ वाक़िआ और दीगर मुतून (text) में इसका ज़िक्र मौजूद है जिन्होंने इसी बात को दूसरे अंदाज़ में बयान करने की कोशिश की है।

हक़ीक़त में जिन रिवायतों और दलीलों में क़ुर्आने मजीद की जमा व तरतीब के वाक़िआत बयान हुए हैं। इन सबका किसी एक नुक़्ते या किसी एक बात पर बिल्कुल इत्तेफ़ाक़ नहीं है। वो दो अलग-अलग लोगों की तरफ़ एक साथ क़ुर्आने मजीद की जमा व तरतीब की निस्बत देते हैं। इसी तरह उनके दरमियान इस जमा व तरतीब के तरीक़ा-ए-कार और जिस ज़माने में ये अमल पूरा हुआ इसमें भी इख़्तेलाफ़ पाया जाता है लिहाज़ा इन तमाम बातों की बुनियाद पर उसके मुरव्वजा मज़मून और मफ़हूम पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए कि इसमें ऐसा टकराव पाया जाता है जो उसके एतिबार को भरोसे के क़ाबिल न करके इस बहेस को ख़त्म कर देता है हम इन दोनों तरह की रिवायतें इस तरह तफ़सीर कर हैं।

1. ये रिवायतें क़ुर्आने मजीद को एक मुरत्तब और मुनज़्ज़म किताब की शक्ल में सामने आने को बयान करती हैं। उनके मुताबिक़ ये वो काम है जो अपनी आख़िरी शक्ल में असहाब के ज़माने में ही वजूद में आया है। ये गुफ़्तगु असल में जमा व तरतीब से मुतअल्लिक़ नहीं है बल्कि इसका मतलब कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में कुछ औराक़ (Pages) पर तहरीर और लोगों के सीनों में महफ़ूज़ आयात को मुन्तक़िल करने का अमल अंजाम पाने लगा था जैसा कि कुछ हदीसों में इस बात की तरफ़ इशारा है।

   इस तफ़सीर की बुनियाद पर इस मफ़हूम और मज़मून को ख़ुलासे के तौर पर सही मान लेना है जो क़ुर्आन जमा करने के अमल की तकमील को बयान करती हैं कि ये अमल नबीये अकरम[स.अ.] के दुनिया से रुख़स्त हो जाने के बाद पाए-तकमील को पहुँचा है।
2. ये रिवायतें उन झूठे वाकिआत की तर्जुमानी पर मुश्तमिल हैं जो बाद में सहाबा के दौर में गढ़े गए हैं ताकि क़ुर्आन जमा होने के सिलसिले में मुसलमानों की आम ख़ाहिश और उनके अक़ीदतमंदाना मतालिब का

लिहाज़ रखा जा सके।

हम अपने तारीख़ी मुतालए की रौशनी में ये जानते हैं कि तारीख़े इस्लाम में बहुत बड़े पैमाने पर अदबी दुनिया में एक वसीअ् तहरीक और अज़ीम इन्क़ेलाब बरपा हुआ है और अदबी इन्क़ेलाब सद्रे इस्लाम में रुनुमा होने वाले वाक़िआत (क़िस्से) और हदीसों की तशरीह व तफ़सीर इस अंदाज़ में पेश करते हैं जिसमें तरो ताज़गी, दिलचस्पी और नयापन पाया जाता है बल्कि इसमें दौरे जाहिलियत के असरात का भी दख़ल है। ये वाक़िआत अपने आग़ाज़ के वक़्त से ही बज़ाहिर दीनी माहौल का रंग लिए थे। ये सूरते हाल ख़ासतौर पर सहाबा के आख़िरी दौर में ज़्यादा नुमायाँ हुई और इसके बाद ताबिईन के दौर तक बाक़ी रहा।

फिर बाद में इसमें और इज़ाफ़ा होता रहा है और इसमें बुनियादी तौर पर इस्राईलियात, मनगढ़ंत नज़रियात, वाक़िआत और तरह-तरह के वहेम् व ख़यालात पर भरोसा किया गया है जिनसे मख़्सूस, सियासी, समाजी, ज़ाती यहाँ तक कि ख़ास सक़ाफ़ती फ़ायदे हासिल किए जा सकें।

अदब के नाम पर क़िस्सा साज़ी की तहरीक इस्लामी दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं थी। उसकी तारीख़ बहुत पुरानी थी यानी ये गुज़िश्ता क़दीम ज़माने से लेकर नई तरक़्क़ी याफ़्ता दुनिया तक राएज रही थी।

ऐसे वाक़िआत हमें कहीं नज़र नहीं आते जो सही हक़ाएक़ पर तकिया करते हों बल्कि इन तमाम वाक़िआत की असली बुनियाद या उनके ज़ाती अनासिर वही वहेम् व ख़ुराफ़ात होते हैं जिनको अपने-अपने एतिबार से एक ख़ास जेहत देकर मफ़ाद परस्त अफ़राद समाज में अपना रकीक मक़सद पूरा करते हैं।

हालाँकि हमारी कोशिश है कि हम इन हदीसों की तफ़सीर में पहले तरीक़े पर तवज्जोह करें लेकिन बज़ाहिर इन हदीसों के मौज़ूई एतिबार से तफ़सीली (detailed) मुतालए के लिए इसकी दूसरी तफ़सीर को भी पेश कर देने में कोई हर्ज नहीं है। ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि कुछ दूसरी वाज़ेह दलीलें भी इस बात को साबित करती हैं कि क़ुर्आने मजीद पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में मुरत्तब हो गया था। ये दलीलें और इस क़िस्म की रिवायतें बाद में मुरत्तब किए जाने वाली दलीलों से टकराव की बिना पर इनसे उनकी दलालत के सल्ब कर देने की सलाहियत रखती हैं।

ज़ेल में हम रसूले इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में क़ुर्आने मजीद जमा करने

वालों के नाम की तफ़सील पेश कर रहे हैं। ये तफ़सील इस सिलसिले में वारिद होने वाली तमाम रिवायतों का ख़ुलासा है। वो नाम इस तरह हैं-

1- उबैय इब्ने कअ़्ब
2- अबू अय्यूब अंसारी
3- तमीम अद्दारी
4- अबू दरदा
5- अबू ज़ैद साबित इब्ने ज़ैद बिन नोअ़्मान
6- ज़ैद बिन साबित
7- सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा
8- सईद इब्ने उबैदा इब्ने नोअ़्मान (अल-फ़ेहरिस्त में) सअ़्द ज़िक्र हुआ है
9- इबादा इब्ने सामित
10- अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस
11- अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद
12- उबैदुल्लाह इब्ने मुआविया इब्ने ज़ैद
13- उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान
14- अली इब्ने अबी तालिब[अ.स.]
15- क़ैस इब्नुल असकन
16- क़ैस इब्ने अबी सअ़्सअ़् इब्ने ज़ैद अलअंसारी
17- मजमा इब्ने जारिया
18- मआज़ इब्ने जबल इब्ने औस
19- उम्मे वरक़ा बिन्ते अब्दुल्लाह इब्ने हारिस

मज़कूरा अफ़राद में से कुछ के सहीफ़े[1] भी मशहूर थे जैसे अली इब्ने अबी तालिब[अ.स.] और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद।

7– बहुत सी आयाते करीमा में क़ुर्आने मजीद के लिए किताब का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इस पर किताब के लफ़्ज़ का इतलाक़ सही न होता अगर वो सिर्फ़ सीनों में महफ़ूज़ होता बल्कि उसके लिए ज़रूरी था कि तहरीरी शक्ल में एक मजमूआ़ पाया जाता हो इसी तरह पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] से रिवायत की हुई हदीस में भी वारिद हैः ''मैं तुम्हारे दरमियान दो क़ीमती

---

[1] छोटी छोटी किताबें

चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी इतरत।" ये हदीस इस बात की दलील है कि आपने तहरीरी शक्ल में मुरत्तब की हुई किताब छोड़ दी है।[1]

8– बहुत सी अहादीस बयान करती हैं कि सहाब-ए-केराम के पास मसाहिफ़ (क़ुर्आने मजीद लिखी हुई सूरत में जमा था) मौजूद थे। उनमें से कुछ कामिल थे और कुछ ना-मुकम्मल। वो लोग उनकी तिलावत करते थे और वह उनके दरमियान राएज थे।

पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ने उनके लिए इस सिलसिले में कुछ अहकाम मुअय्यन फ़रमाए थे जो इस तरह हैं: औस सक़फ़ी से रिवायत है कि पैग़म्बर इस्लाम[स.अ.] ने फ़रमायाः बग़ैर किताब के क़ुर्आने मजीद की तिलावत के हज़ार दर्जे हैं तो किताब में देखकर पढ़ने से इसमें दो हज़ार दर्जात का इज़ाफ़ा हो जाता है।[2]

आयशा ने पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] से रिवायत की है कि मुसहफ़ (क़ुर्आने मजीद) को देखना इबादत है।[3]

इब्नेमसऊद ने पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] से रिवायत की है कि क़ुर्आने मजीद (मुसहफ़) को बराबर देखा करो।[4]

अबू सईद ख़ुदरी ने पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] से रिवायत की है कि आपने फ़रमायाः अपनी आँखों को इबादत में जो उनका हिस्सा है अता करो। लोगों ने दरयाफ़्त किया अल्लाह के रसूल इबादत में आँखों का क्या हिस्सा है। आपने फ़रमायाः क़ुर्आने मजीद को देखना, इसमें ग़ौर व फ़िक्र करना और इसके अजाएबात से दर्से इबरत लेना।[5]

इसी तरह आपने फ़रमायाः मेरी उम्मत में इबादत के एतिबार से सबसे बेहतर वो है जो क़ुर्आने मजीद को देखकर उसकी तिलावत करे।[6]

आपने फ़रमायाः .... वो जब तक यहाँ रहेगा अपनी आँखों से

---

[1] सही मुस्लिम३स्र्ॉ७६२, सुंन तिरमिज़ी४रू५५१, सुंन अलद उर्मी१रू३रॉ, मस्नद अहमद३रू२५६ओ-२६ॉ। हदीस ॉ७१, अलमस्तदरक२स्र्ॉ३

[2] मजमा अलज़वायद६स्र्ॉ५४, अल्बर हाँ, ज़रकशीॉरू४३

[3] अल्ब्रहान, ज़रकशीॉरू४३

[4] मजमा अलज़वायद६स्र्ॉ६

[5] कंज़ालामालॉरूहदीस ११५

[6] कंज़ालामालॉरूहदीस ११५

फ़ायदा उठाता रहेगा।[1]

ये तमाम रिवायात इस बात पर दलालत करती हैं कि किताबे ख़ुदा पर लफ़्ज़े मुसहफ़ का इतलाक़ बाद में खलीफ़ा के दौर में नहीं हुआ जैसा कि कुछ रिवायत में इसका ज़िक्र है बल्कि क़ुर्आने मजीद मुसहफ़ की शक्ल में ख़ुद पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में जमा हो चुका था। इस सिलसिले में हम मज़ीद इज़ाफ़ा करते हुए बयान करेंगे कि ख़ुद पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के पास भी मुसहफ़ था। उस्मान इब्ने अबी इल्यास की हदीस में ज़िक्र हुआ है कि जब पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के पास सक़ीफ़ का गिरोह आया तो उस्मान का बयान है कि मैं पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] की ख़िदमत में हाज़िर हुआ मैंने आपसे इस मुसहफ़ के बारे में दरयाफ़्त किया जो आपके पास था। आपने वो मुझे दे दिया।[2]

और पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ने अपने घर में अपने बिस्तर के पास मुसहफ़ छोड़कर रेहलत फ़रमाई। ऐसा नहीं है कि मुसहफ़ सिर्फ़ शाख़ों, पत्तों और कपड़े के टुकड़ों पर लिखा हुआ था बल्कि आपने ख़ुद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब[अ.स.] को हुक्म दिया कि वो इन तमाम चीज़ों को जमा करके क़ुर्आने मजीद मुरत्तब फ़रमाएँ। हज़रत अली[अ.स.] का बयान है कि मैंने क़सम खाई कि नमाज़ के अलावा किसी और काम के लिए रिदा अपने दोश पर नहीं डालूँगा जब तक उसे जमा न कर लूँ।[3]

आपने वो मुसहफ़ जमा फ़रमाया जो तन्ज़ील व तावील की तफ़सीलात पर मुश्तमिल था। आपने वो क़ुर्आने मजीद नुज़ूल की तरतीब के मुताबिक़ मुरत्तब किया था जैसा कि बयान किया है।

ये तमाम बातें जो अब तक बयान की गईं वो इस बात का पुख़्ता सबूत और वाज़ेह दलील हैं कि क़ुर्आने करीम पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में लिखा जा चुका था और वो सीनों में महफ़ूज़ होने के साथ-साथ मुकम्मल किताब की सूरत में मुरत्तब हो चुका था। इसकी इब्तेदा व इन्तेहा मुशख़्ख़स थी और हर सूरे को इसकी मुनासिब जगह पर क़रार देने के लिए पैग़म्बर[स.अ.] बराहे रास्त ख़ुद निगेराँ थे।

---

1 कंज़ालामालॉरूहदीस ११५
2 हया अलसहाबा२रू१३३
3 मजमा अलज़वायद ८रू२६ॉ

लिहाज़ा ये कैसे कहा जा सकता है कि क़ुर्आने मजीद के जमा किए जाने में अबू बक्र के ज़मान-ए-ख़िलाफ़त तक ताख़ीर हुई हो और इस ज़माने में किसी भी फ़िक़रे को क़ुर्आन के तौर पर साबित करने के लिए दो गवाहों की गवाही की ज़रूरत पड़ती हो कि दोनों इस बात की गवाही दें कि उन्होंने ये फ़िक़रे पैग़म्बर इस्लाम[स.अ.] से हैं।

इस बहेस से ये साबित हो गया कि क़ुर्आन मजीद अपनी मौजूदा शक्ल में पैग़म्बर[स.अ.] की ज़िन्दगी में ही मुरत्तब हो गया था और दौरे ख़िलाफ़त में उसके मुरत्तब होने का अफ़साना फ़र्ज़ी और गढ़ा हुआ है।[1]

❖❖❖

[1] मनक़ूल अज़ अलसलाम उल-क़ुर्आन मन अलतहरीफ़ मर्कज़ अलर्साल ८७६५.

तीसरी बहेस

तहरीफ़ के एहतिमाल पर एतिराज़

इसमें कोई शक नहीं कि क़ुर्आने मजीद ख़लीफ़-ए-सालिस उस्मान के दौरे ख़िलाफ़त के बाद बा-क़ायदा मशहूर हुआ और एक मुअय्यन और मुशख़्ख़स किताब की सूरत में पहचाना जाने लगा। इस तरह कि क़ुर्आने मजीद के बहुत से नुस्ख़ों की किताबत (copy) अमल में आई (नुस्ख़ा बरदारी बराए तकसीर ना बराए जमावरी) और उन्हें रस्मी तौर पर रिवाज देने और अमल करने के लिए इस्लामी दुनिया के मुख़्तलिफ़ गोश व किनार तक पहुँचाया गया और हुकूमत की तरफ़ से इन्तेहाई सख़्ती के साथ वाज़ेह अहकामात दिए गए जिनमें ये एलान किया गया कि इन नुस्ख़ों के अलावा किसी और नुस्ख़े को बिल्कुल राएज ना होने दिया जाए। इस नुस्ख़ा बरदारी में क़ुर्आन मजीद का मत्न (text) हर तरह की तहरीफ़ से महफ़ूज़ रहा।

इसे वाज़ेह करने के लिए उस ज़माने और उन हालात का जायज़ा लेना पड़ेगा जिनमें तहरीफ़ हो सकती थी जिससे ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि तहरीफ़ सिर्फ़ एक एहतेमाल और वहम है इसकी कोई हक़ीक़त नहीं है।

वो हालात जिनमें तहरीफ़ का एहतेमाल हो सकता था–

1. शेख़ैन यानी ख़लीफ़ा-ए-अव्वल व दोम के दौरे ख़िलाफ़त में तहरीफ़ हुई हो और वो भी जानबूझ कर क़ुर्आन मजीद में से कुछ कम करने का इरादा न रहा हो बल्कि नातवानी और ला-इल्मी की बिना पर कुछ आयात में ग़फ़लत हुई हो या वाक़फ़ियत के बावजूद इन आयतों तक रसाई हासिल न हो सकी हो जैसा कि क़ुर्आन जमा करने के वाक़िए में इस फ़र्ज़ की तरफ़ इशारा है और बुख़ारी ने उसे नक़्ल किया है।
2. शेख़ैन के ज़माने में तहरीफ़ हुई हो और इन दोनों की तरफ़ से जान-बूझ कर ऐसा करने पर इसरार किया गया हो।

3. ख़लीफ़-ए-सालिस उस्मान के दौर में तहरीफ़ हुई हो।
4. बनी उमय्या के दौरे हकूमत में तहरीफ़ की गई हो जैसा कि हज्जाज इब्ने यूसुफ़ सक़फ़ी के दौर में इसकी निस्बत दी गई है।

इसके अलावा एक पाँचवाँ एहतेमाल जिसमें ये फ़र्ज़ किया जाए ये तहरीफ़ रिआया में से कुछ अफ़राद की तरफ़ से की गई हो।

पहली सूरतः दौरे शेख़ैन में तहरीफ़ के एहतेमाल का तजज़िया और तरदीदः-

शेख़ैन ख़लीफ़-ए-अव्वल व दोम के ज़माने में तहरीफ़ लेकिन उनकी जानिब से किसी क़स्द व इरादे के बग़ैर सिर्फ़ ग़फ़लत और चश्मपोशी या ना-शाइस्तगी की बिना पर हुई हो इस नज़रिये के बारे में दो तरीक़ों से बहेस की जा सकती है।

(क) क़ुर्आने मजीद की जमा व तरतीब का अस्ल काम पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में मुकम्मल हो गया था और जब क़ुर्आने मजीद आपके ज़माने में जमा हो गया था तो हतमी तौर पर इन्तेहाई दिक़्क़त के साथ मुकम्मल तौर पर हर तरह की कमी ज़्यादती से पाक रहा होगा इसलिए कि ख़ुद पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] इस अम्र के ज़िम्मेदार और इसके बराहे रास्त निगराँ थे। लिहाज़ा मुकम्मल क़ुर्आने मजीद के मौजूद रहते हुए शेख़ैन की जानिब से किसी तरह की ग़फ़लत, चश्मपोशी, कोताही या ग़लती का इम्कान नहीं रह जाता और उनके अलावा कोई और भी ऐसा करने की जसारत नहीं कर सकता इस तरह इस सूरत में ये इम्कान भी बाक़ी नहीं रह जाता कि कुछ आयात उन तक न पहुँच सकी हों।

(ख) मुसलमानों की एक जमाअत के नज़दीक बहुत सी वजहों और सबब का पाया जाना इस बात की ज़मानत है कि क़ुर्आने मजीद मुकम्मल तौर पर कमी ज़्यादती से महफ़ूज़ शेख़ैन के दौरे हकूमत में उनके पास पहुँचा हो। इन असबाब व अवामिल को मुख़्तलिफ़ प्वाइंट्स में खुलासा किया जा सकता है।

(ग) क़ुर्आने करीम अदबी मुतून (literary text) में सबसे नुमायाँ, अनोखा और दिलचस्प मत्न समझा जाता है और इबारतों और मज़ामीन के एतिबार से सबसे ज़्यादा क़ाबिले इफ़हाम व तफ़हीम है। अरब के

अफ़राद ऐसे मुतून को बड़ी अहमीयत देते थे जिसकी वजह ये थी कि चाहे इबारतों के एतिबार से हो या फ़िक्री और समाजी एतिबार से। अरबों की अपनी एक तहज़ीब व सक़ाफ़त थी और हम देखते हैं कि अदबी मुतून और इस तहज़ीब व सक़ाफ़त को अहमीयत देने के असरात उनकी अपनी ख़ास व आम ज़िन्दगी पर भी मुरत्तब होते रहे हैं। वो लोग अरबी अशआ़र और दीगर अरबी मुतून याद करते थे और उन्हें आपस में एक दूसरे के लिए बयान करते थे, उसे फैलाने की कोशिश करते थे और इस सिलसिले में महफ़िलें, नशिस्तें करते थे अदबी मुतून और अशआ़र को बाज़ार में सजाते थे ताकि अपनी बरतरी जता कर दूसरों से मुमताज़ हो सकें।

उनके ज़रिये कुछ मुतून को तो इतनी अहमीयत दी जाती थी कि उनकी हिफ़ाज़त के पेशे नज़र उनकी क़द्रदानी और पसंदीदगी के इज़हार के लिए उन्हें मुक़द्दस मक़ामात में महफ़ूज़ करा दिया जाता था जैसा कि मोअ़ल्लक़ात सब-अ या अशरा (सात या दस मशहूर क़सीदे) का तज़किरा है जिन्हें काबे में टाँगा गया था। यही आदत मुसलमान अरबों में भी राएज रही। वो लोग भी हिफ़्ज़े क़ुर्आन को इसी तरह अहम समझते थे और इसका एलान व इज़हार करते थे।

(घ) क़ुर्आने करीम मुसलमानों के नज़दीक उनके अफ़्कार व नज़रियात और उनकी तहज़ीब व सक़ाफ़त के लिए पत्थर की लकीर की हैसियत रखता था जिससे ये समझा जा सकता है कि मुसलमान दूसरे मुतून के मुक़ाबले में क़ुर्आने मजीद को एक ख़ास अहमीयत देते थे।

और जिस तरह क़ुर्आन मजीद के एहतेमाम ने पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] को क़ुर्आने मजीद की तदवीन पर आमादा किया ताकि वो ज़ाए होने से महफ़ूज़ रह जाये। उसी तरह मुसलमानों में भी ये जज़्बा ज़िंदा रखा कि वो उसकी हिफ़ाज़त और इशाअत का बीड़ा उठाए रहें जिससे उसके ज़रिये पेश किए जाने वाले अफ़्कार व नज़रियात उसकी तहज़ीब व सक़ाफ़त और उसके मफ़ाहीम की हिफ़ाज़त कर सकें और इसकी रौशनी में शरीअते इस्लामी के क़ानून और इसके उन आदाब व रुसूम से वाक़िफ़ हो सकें जो इस अज़ीम किताब में पाए जाते थे।

(ङ) क़ुर्आने मजीद अपने अंदर मौजूद तहज़ीब व सक़ाफ़त (culture) की बुनियाद पर लोगों के दरमियान एक जामे समाजी हैसियत का हामिल

रहा है अस्रे हाज़िर में उसे उलमा और अवाम दोनों में एक ख़ास समाजी वक़ार हासिल है।

इसकी इसी समाजी हैसियत और इम्तियाज़ की बुनियाद पर हर दौर के इन्सानों में उलूमे क़ुर्आन की तालीम व तदरीस का सिलसिला क़ायम रहा जो क़ुर्आन की हिफ़ाज़त और इशाअत की राह में एक इन्तिहाई अहम असर का किरदार अदा कर सकता है।

हम तारीख़ के इस दौर के बारे में गुफ़्तुगु कर चुके हैं जिस दौर में इस्लामी समाज में आम तौर पर क़ारियाने क़ुर्आन इस बा-अज़मत किताब से बहरामंद होते थे और इसके नतीजे में उन्हें मुसलमानों की तरफ़ से तक़द्दुस और इज्ज़त से नवाज़ा जाता था।

(च) पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] उम्मते इस्लामी के सरबराह और उसकी तवज्जोहात का मरकज़ थे और बराबर मुसलमानों को क़ुर्आने मजीद के हिफ़्ज़ और इसके एलान व इज़्हार पर आमादा किया करते थे।

हमें मालूम है कि मुसलमानों के दिलों में पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] की कितनी ज़्यादा मुहब्बत थी और इस मुहब्बत के नतीजे में उनके आम तर्ज़े ज़िदंगी और उनकी रफ़्तार व गुफ़्तार पर कितना गहरा असर था। जो इस बात का सबब बनता था कि मुसलमान आपकी तरफ़ से मुतवज्जेह किए जाने पर फ़ौरन आपकी बात पर लब्बैक कहें चाहे उसकी शरई हैसियत की तरफ़ मुतवज्जेह न हों।

(छ) क़ुर्आने करीम के हिफ़्ज़ और इसकी क़िरअ्त में ख़ुदावंदे आलम ने जो अज़ीम अज्र व सवाब रखा है उस वक़्त के मुसलमान इस अज्र व सवाब के हुसूल और उसमें इज़ाफ़े के बेइन्तिहा ख़ाहिशमंद थे ख़ासतौर पर वो ज़मान-ए-इस्लाम की ब-निसबत नए थे लिहाज़ा चाहते थे कि उनकी ज़िन्दगी के तमाम अफ़आ्ल व हरकात में इस्लाम की झलक नुमायाँ तौर पर दिखाई देती रहे।

इन वजहों में से कुछ का तक़रीबन सभी मुसलमानों की ज़िन्दगी पर बहुत गहरा असर था जैसा कि इस्लामी तारीख़ के ज़िम्न में बयान हुआ है कि मुसलमानों की बहुत सी जमाअ्तें और बहुत से गिरोह मज़बूत अक़ीदे के हामिल क़ारियाने क़ुर्आन के तौर पर पहचाने जाते थे। इस दौर की समाजी ज़िन्दगी में उनकी अपनी ख़ास अहमीयत और अपना एक मख़्सूस किरदार था और मुसलमानों के आपसी

सियासी इख़्तिलाफ़ात में शीअः सुन्नी दोनों फ़िरक़ों में से किसी एक में उनका वजूद उस फ़रीक़ की तरजीह का सबब बनता था।

(ज) इन तमाम बातों के अलावा ख़ुद दुनिया की चीज़ों की तबीयत के मुताबिक़ या यूँ कहा जाए कि फ़ितरी तौर पर क़ुर्आने मजीद को मुरत्तब और तैयार होना ही चाहिए था और जिस मुसलमान को लिखना आता रहा हो उसे लिखना चाहिए था इसलिए कि कोई क़ौम या जमाअत अगर किसी चीज़ को अहमीयत देती है और उसमें अपनी ज़िन्दगी के लिए दर्से इबरत महसूस करती है तो उसकी हिफ़ाज़त का हर मुम्किन तरीक़े से बंदोबस्त करती है और इस बात में कोई शक नहीं कि क़ुर्आने मजीद की हिफ़ाज़त का एक अहम मुम्किना रास्ता उसे तहरीर कर लेना था लिहाज़ा मुसलमानों की तरफ़ से उसे तहरीर किया जाना और उसकी हिफ़ाज़त का बंदोबस्त करना एक फ़ितरी अमल है जिसमें किसी तरह का शक व शुब्हा नहीं किया जा सकता।

शायद इसीलिए हमें कुछ इबारतें ऐसी मिलती हैं जिनमें कुछ सहाबा के पास चंद मसाहिफ़ या चंद लिखे हुए क़तआत का ज़िक्र मिलता है।

इन्हीं अवामिल की बुनियाद पर हमारे लिए इस नतीजे तक पहुँचना ज़रूरी हो जाता है कि क़ुर्आने मजीद सहाबा की आम दस्तरस में था जिसके बाद हरगिज़ क़बूल नहीं हो सकता कि उनकी ग़फ़लत या ग़लती की बिना पर इसमें तहरीफ़ हो गई हो या कुछ आयात उन तक न पहुँच सकी हों जिसकी वजह से तहरीफ़ का दाग़ लगने का एहतेमाल या वहम होता हो।

सबसे बढ़कर अहलेबैते ताहिरीन^अ.स.^ ख़ुसूसन मौलाए कायनात हज़रत अली^अ.स.^ की मौजूदगी में क़ुर्आन पर आँच आने का इम्कान नहीं था जैसा कि बाद में तफ़सील से ज़िक्र किया जाएगा।

दूसरी सूरतःसहाबा के दौर में तहरीफ़ के एहतेमाल का तजज़िया और इसकी रद्द में दलीलें

ये ऐसा मफ़रूज़ा[1] है जो किसी तरह भी सही साबित नहीं हो सकता इसलिए कि शेख़ैन के दौर की स्टडी करने और उसके हालात व कैफ़ियात

---

[1] वो बात जो अहतिमाल की बुनियाद पर फ़र्ज़ कर ली गई हो, assumption

का जायज़ा हमें इस नतीजे तक पहुँचाता है कि ये मफ़रूज़ा ग़लत और नाक़ाबिले क़बूल है इसलिए कि मज़कूरा तहरीफ़ नीचे दी गई दो वजहों में से किसी एक की बुनियाद पर मुम्किन होगीः-

(क) तहरीफ़ में अपना कोई ज़ाती फ़ायदा छुपा हो जिसको बुनियाद बना कर तहरीफ़ की जाए।

(ख) किसी तरह के सियासी मक़ासिद हासिल करने की ग़रज़ से तहरीफ़ की जाएँ यानी क़ुर्आने मजीद की कुछ ऐसी आयतें फ़र्ज़ की जाएं जो कुछ मख़्सूस मौज़ूआत और मफ़ाहीम पर दलालत करती हों और वो मौज़ूआत या मफ़ाहीम उन दोनों के वजूद और उनके सियासी मन्सूबों से टकराते हों जैसे हज़रत अली[अ.स.] की ख़िलाफ़ते बिला फ़स्ल की सराहत या शेख़ैन की ख़िलाफ़त वग़ैरा।

पहले सबब के बारे में चंद बातें क़ाबिले मुलाहिज़ा हैंः-

(क) शेख़ैन के ज़रिए तहरीफ़ का अमल गोया उस दौर में उस अस्ल और क़ायदे का इन्कार कर देना है जिसकी बुनियाद पर उस वक़्त अहकामे शरीअत का निफ़ाज़ होता था इसलिए कि इन दोनों की तरफ़ से अहकामे शरीअत का निफ़ाज़ पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] की ख़िलाफ़त और जानशीनी की बुनियाद पर था और उम्मते इस्लामी पर उनकी हुकूमत और सरबराही इसी दावे की बुनियाद पर थी लिहाज़ा ये सही नहीं है कि इस अहम मन्सब पर क़ाबिज़ होने के बाद वो लोग तहरीफ़े क़ुर्आन जैसी हरकत का इरतेकाब करें और खुल्लम-खुल्ला इस्लाम से दुश्मनी का सबूत दें जब कि इससे बज़ाहिर न उनका कोई दीनी फ़ायदा होता और न ही दुनियावी मक़सद पूरा होता। क्या ऐसा करना आपसी टकराव का रास्ता हमवार करना न होता जिसके नतीजे में एक दूसरे पर इतने शदीद हमले कराए जाते और इस वक़्त के सबसे मज़बूत असलहे इस्तेमाल करके आपसी ख़ूँरेज़ी का माहौल फ़राहम होता।

(ख) इस वक़्त पूरी उम्मते इस्लामी एक समाजी हैसियत हासिल करके क़ाबिले ज़मानत, बा-सलाहियत और एक मज़बूत बुनियादी क़ूव्वत बन चुकी थी जो किसी भी शख़्स की तरफ़ से चाहे वो जितने बड़े इक़्तिदार का मालिक रहा हो ऐसे अमल (तहरीफ़) की राह में रुकावट हो सकती थी जो इस्लाम के लिए ख़तरा हो।

इस मकरूह अमल के मुक़ाबले में उठ खड़े होने के लिए उनके दरमियान आपस में किसी तरह का कोई इख़्तिलाफ़ भी न होता।

इसलिए कि तमाम मुसलमान क़ुर्आने मजीद सबसे आख़िरी हद तक मुक़द्दस मानते थे। इसके बारे में उनका पुख़्ता अक़ीदा था कि ये अल्लाह का कलाम है और इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि ख़ुद अल्लाह के रसूल[स.अ.] की जानिब से भी ऐसा मुम्किन नहीं है जैसा कि क़ुर्आने मजीद ने ख़ुद बार-बार इसकी ताकीद की है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ने अपनी 23 साला मुद्दते तब्लीग़ में क़ुर्आने मजीद और उसकी आयात नीज़ दीनी अहकाम की वज़ाहत के बारे में इन्तिहाई जद्दो जेहद की और दीने इस्लाम की ख़िदमत के तौर पर बज़ाते ख़ुद उसकी भरपूर वज़ाहत की जैसा कि क़ुर्आने मजीद में ज़र्रा बराबर तसर्रुफ़ और कमी व बेशी ख़ुद क़ुर्आने मजीद की आयात और रसूले इस्लाम[स.अ.] की तालीमात की रौशनी में दीन से ख़ारिज हो जाने के बराबर थी यानी ऐसा करने वाला गोया दीन से मुर्तद होकर दोबारा कुफ़्र की दुनिया में वापस पहुँच जाता।

(ग) शेख़ैन के ज़माने में उनकी जानिब से किसी भी हुक्म का लगाया जाना ऐसे टकराव से ख़ाली नहीं हो सकता जिसमें उनकी तरफ़ से कुछ अहकाम की ततबीक़ में भी ग़लती हो जाने की बिना पर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होने लगतीं।

हमारी मालूमात के मुताबिक़ तारीख़ में कोई भी ऐसा इशारा मौजूद नहीं है जो एहतेजाज या एहतेजाज की तरह किसी तहरीक की निशानदेही करता हो जिससे तहरीफ़ के वाक़ेअ् होने के मफ़रुज़े के एहतेमाल को क़ूव्वत मिल सकती हो।

भला ये कैसे मुम्किन है कि शेख़ैन के दौर में या उसके बाद किसी तरह का टकराव हुआ हो और तारीख़ में इसका तज़किरा न हुआ हो। यहीं से दूसरे सबब के बारे में हमारा मौक़फ़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है।

सबसे पहले उम्मते इस्लामी की जानिब से किताबे ख़ुदा पर इन्तिहाई तवज्जोह और इसके बारे में मुक़द्देसाना नुक़्त-ए-नजर नीज़ उसका ख़ुदावंदे आलम की जानिब से इस तरह की ज़मानत में रहना कि इसमें किसी तरह की तब्दीली का इम्कान न पाया जाता हो किसी भी तरह तहरीफ़ के अमल

की राह में रुकावट था और इसके बारे में किसी तरह से चश्मपोशी नहीं होने दे सकता था।

इसके अलावा अगर तहरीफ़ की कोशिश और इसकी मुख़ालिफ़त में किसी तरह का कोई टकराव हुआ होता तो उस मौक़े पर इस हंगामे की ख़बर दरबारे ख़िलाफ़त तक पहुँचती जब कि कहीं ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता।

तीसरे ये कि हमारे सामने कुछ ऐसे सियासी मूतून मौजूद हैं जिनमें अबु बक्र और उमर की तरफ़ से अंजाम पाए जाने वाले आमाल व अफ़आल के बारे में बहेस की गई है जैसे वो सियासी जिरह व बहेस जो इनकी जानिब से शहज़ादी-ए-कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा[स.अ.] और उनके बाद अमीरुल मोमनीन हज़रत अली[अ.स.] और मोमिनीन की उस जमाअत के साथ हुई है जो आपकी इमामत की क़ाएल थी तो इस जिरह व बहेस में किसी भी तरह का कोई क़ुर्आनी मत्न सामने नहीं आया जो मौजूद क़ुर्आने मजीद में न पाया जाता हो जब कि अगर ऐसा होता तो दोनों तरफ़ से अपने हक़ के साबित करने के लिए उसे पेश किया जाना फ़ितरी था ताकि अपने-अपने इस नज़रिए को सही साबित किया जा सके जिसकी वजह से उनके दरमियान आपस में बहस हो रही थी।

दौरे उस्मान में तहरीफ़ का एहतिमाल और उसकी रद्द में दलीलें

दौरे उस्मान में तहरीफ़ का अमल गुज़िश्ता दोनों हालतों के मुक़ाबले में ज़्यादा मुश्किल और हक़ीक़त से ज़्यादा दूर दिखाई देता है जिसके असबाब ये हैं:-

1. सबसे पहले इस्लाम और उसके साथ-साथ क़ुर्आने मजीद उस वक़्त तक लोगों के दरमियान पूरे तौर पर फैल चुका था और दुनिया के मुख़्तलिफ़ गोश व किनार में उसका बोल-बाला हो रहा था और तमाम मुसलमान एक तवील मुद्दत से क़ुर्आन की तालीम व तदरीस और उसे सीखने-सिखाने में मसरूफ़ थे। क़ुर्आने मजीद पूरी तरह उनकी ज़िन्दगी में जगह बना चुका था लिहाज़ा उस्मान अगर तहरीफ़ का अमल अंजाम देना भी चाहते तो उनके लिए बिल्कुल मुम्किन नहीं था। यानी इन हालात में वो क़ुर्आने मजीद में किसी तरह न कुछ कम कर सकते थे और न इज़ाफ़ा बल्कि उनसे भी बड़ा कोई और भी अगर क़ुर्आन मजीद में से कुछ कम या ज़्यादा करना चाहता तो उसके लिए

भी ये बिल्कुल मुम्किन नहीं होता।

तारीख़ के मुताबिक़ उस्मान के दीगर क़ाबिले गिरफ़्त तरीक़-ए-कार पर उस दौर के मुसलमानों ने ना सिर्फ़ एतिराज़ किया बल्कि उन्हें क़त्ल भी कर डाला जिसकी बहुत सी वजहें थी जिन्हें तारीख़ की किताबों में तलाश किया जा सकता है।

अलबत्ता इस पूरे हंगामे में तहरीफ़ की कोई गुफ़्तुगू सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो जाता है कि तीसरी ख़िलाफ़त के दौर में भी क़ुर्आन मजीद में किसी तरह की तहरीफ़ नहीं हुई।

2. दूसरे ये कि अगर तहरीफ़ की जाती तो या उन आयात में की जाती जिनका उस्मान की हुकूमत और ख़िलाफ़त से कोई सरोकार न हो। इस सूरत में भला उस्मान को क्या पड़ी होती कि बिना किसी फ़ायदे के अपनी सियासी साख में एक बड़ा बट्टा लगाकर उसे बिला वजह खोखला करने का रास्ता खोलते, या तहरीफ़ उन आयात में होती जिनका उस्मान की हुकूमत और उनकी सियासी क़यादत से तअ़ल्लुक़ हो ऐसी सूरत में उस्मान की हुकूमत व ख़िलाफ़त पर उन आयात का असर होता हो और वो उनके ख़लीफ़ा होने की राह को हमवार करने में कार-आमद होतीं या उनकी ख़िलाफ़त की राह में बराहे रास्त रोड़ा बनतीं।

3. इसके अलावा अगर उस्मान ने क़ुर्आने मजीद में तहरीफ़ की होती तो उस वक़्त के मुसलमान उनके ख़िलाफ़ हंगामा करते और उनकी हुकूमत पलटने बल्कि उन्हें क़त्ल करने के लिए इसी तहरीफ़ को सबसे अहम वसीला बनाते जब कि उनके ख़िलाफ़ क़याम के लिए तहरीफ़ जैसी हरकत का कोई ज़िक्र बिल्कुल नहीं पाया जाता है।

   जब कि अगर ऐसा होता तो उनके ख़िलाफ़ क़याम के लिए किसी तरह के दूसरे बहाने, दलील और सबूत की ज़रूरत न होती और सिर्फ़ उसी तहरीफ़ को सबसे ज़्यादा वाज़ेह वजह के तौर पर पेश करके उन्हें हुकूमत से अलग करके क़त्ल किया जा सकता था।

4. चौथी बात ये है कि अगर उस्मान या उससे पहले के खलीफ़ाओं ने तहरीफ़ का घिनौना अमल अंजाम दिया होता तो मौलाए कायनात हज़रत अली[अ.स.] उसके मुक़ाबले में बिल्कुल ख़ामोश न बैठते और वाज़ेह तौर पर अपने इस्लामी और इलाही मौक़फ़ को पेश करते।

आप इस राह में हक़ को उसकी हैसियत वापस दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करते जबकि तारीख़ के मुताबिक़ मौलाए कायनात[अ.स.] ने सिर्फ़ उन अम्वाल को वापस लिए जाने की बात कही है जो उस्मान ने अपने दौरे हकूमत व ख़िलाफ़त में नाजायज़ तौर पर बे-तहाशा अपने क़रीबी और रिश्तेदारों के दरमियान बाँट दिए थे उन्हीं के बारे में मौलाए कायनात[अ.स.] का इरशाद है: "ख़ुदा की क़सम अगर मैंने पाया कि इस माल से शादियाँ की गई हैं या कनीज़ों की ख़रीदारी हुई है तो मैं उसे वापस ले लूँगा इसलिए कि अदालत में वुसअ्त होती है और जिसके लिए अद्ल व इन्साफ़ का दायरा तंग हो जाए उसके लिए ज़ुल्म व सितम उससे भी ज़्यादा तंग हो जाता है।"[1]

इस तरह हम देखते हैं कि हज़रत अली[अ.स.] का बिल्कुल यही मौक़फ़ उस्मान के उन गवर्नरों के साथ रहा है जो हक़ के रास्ते से भटक कर गुमराही की राह पर चल पड़े थे और आपने उनके ख़िलाफ़ सख़्त इक़दामात किए। लिहाज़ा नतीजे के तौर पर हम ये यक़ीन के साथ कह सकते हैं कि अगर ब-फ़र्ज़े मुहाल क़ुर्आने मजीद में तहरीफ़ यानी कमी या ज़्यादती की कोई सूरत होती तो ऐसी नाज़ेबा हरकत पर हज़रत अली[अ.स.] क़तअ्न ख़ामोश न बैठते। हमारा अक़ीदा है कि मौलाए कायनात[अ.स.] के रहते हुए किसी भी तरह की तहरीफ़ का कोई इम्कान नहीं था।

चौथी सूरतः बनी उमय्या के दौर में तहरीफ़ का एहतेमाल और इसकी रद्द में दलीलें

गुज़िश्ता तीनों सूरतों में हमारी जिरह व बहेस से ये वाज़ेह हो जाता है कि इस चौथी सूरत में भी तहरीफ़ किसी भी तरह मुम्किन न होगी। ज़ालिम तरीन गवर्नर हज्जाज इब्ने यूसुफ़ सक़फ़ी या उसके अलावा दूसरे गवर्नरों में इतनी ताक़त बहरहाल नहीं थी कि वो तहरीफ़े क़ुर्आन की जुर्रत कर सकते जब कि उस वक़्त तक क़ुर्आने मजीद शर्क़ व ग़र्ब[2] पर छा चुका था और पूरी दुनिया में इसके नुस्ख़े आम लोगों तक पहुँच चुके थे।

इसके अलावा ऐसी कोई वजह भी नज़र नहीं आती जिसकी बिना पर

---

[1] शरहे नहजुल बलाग़ा, 1:269
[2] पूरब व पश्चिम

हज्जाज या दूसरे गुमराह गवर्नर तहरीफ़ करना चाहते जब कि किसी भी तरह की तहरीफ़ उनकी सियासी मसलहतों के लिए अज़ीम ख़तरा बनने के साथ-साथ उनकी सारी आरज़ुओं और तमन्नाओं को ख़ाक में मिला सकती थी।

यक़ीनी तौर पर नुज़ूले क़ुर्आने मजीद के वक़्त से लेकर आज तक किसी भी दौर और किसी भी ज़माने या हालात में ये इम्कान बिल्कुल नहीं रहा कि तहरीफ़े क़ुर्आन का अमल अंजाम पाए यहाँ तक कि अस्रे हाज़िर में भी इसकी कोई गुंजाईश बिल्कुल नहीं है।

लिहाज़ा क्या ज़रूरत है कि किसी भी दौर में किसी भी तरह की तहरीफ़ को साबित करने के लिए बिला वजह सलाहियतें ज़ाया की जाएँ जब कि हक़ीक़ी तारीख़ में तहरीफ़े क़ुर्आन का कोई इम्कान बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है जैसा कि बयान किया चुका है कि इस वक़्त के इस्लामी समाज में ऐसा हरगिज़ मुम्किन नहीं था।

यहीं से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि वो रिवायात जिनमें तहरीफ़ की बात कहकर इस मौज़ू को मुश्तबह[1] बनाने की कोशिश की गई है वो रिवायत को पहचानने के सही मेयारों (parameters) के मुताबिक़ इस लायक़ हरगिज़ नहीं हैं कि उनकी बुनियाद पर तहरीफ़ के अमल को साबित किया जा सके। ख़ासतौर पर जब उसके अंजाम पाने का इम्कान भी न पाया जाता रहा हो जैसा कि वाज़ेह किया जा चुका है। इसीलिए फ़रीक़ैन[2] के ओलमा ने इन रिवायात से किनाराकशी की है और अपनी यक़ीनी और क़तई राय को वाज़ेह करते हुए ये एलान किया है कि क़ुर्आने मजीद किसी भी तरह की तहरीफ़ से बिल्कुल पाक व मुनज़्ज़ह है और इसमें कोई कमी या ज़्यादती बिल्कुल भी नहीं हुई है।

इस पूरी बहेस से ये साबित हो गया कि माज़ी में किसी भी ख़बीस से ख़बीस शख़्स की तरफ़ से तहरीफ़ की जसारत नहीं की गई और ऐसा करना किसी भी इक़्तेदार के लिए मुम्किन न हो सका। चुनाँचे अस्रे हाज़िर में भी इस तरह की कोई साज़िश हरगिज़ कामयाब ना हो सकेगी और क़ुर्आने मजीद के सिलसिले में होने वाली हर जसारत करने वाले के लिए

---

[1] संधिग्द

[2] शिया और सुन्नी

दोनों जहान की रुस्वाइयों के अलावा और कुछ फ़राहम न कर सकेगी।

लिहाज़ा ये कहा जा सकता है कि जिस बदज़ात की तरफ़ से इस दौर में ये नजिस कोशिश सामने आई है इसके बारे में इस मनहूस इक़दाम से ये बहरहाल साबित हो गया कि ऐसा करने वाला ख़बासत और हिमाक़त में अपने तमाम पेशेवर ख़बीसों से भी बाज़ी मार ले गया है। उसने अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए जिस नाजायज़ रास्ते का सहारा लिया है इससे उसके जुर्म मज़ीद संगीन हो गए। इस मुजरिमाना इक़दाम ने सिर्फ़ उसकी रुस्वाइयों में इज़ाफ़े का सामान फ़राहम किया है और बस।

क़ुर्आने मजीद अपनी पूरी आब व ताब के साथ उम्मत की हिदायत की ज़िम्मेदारी अंजाम देता रहेगा और क्यों न हो ख़ुदा ने उसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया है और उसकी हिफ़ाज़त के लिए अपने वली के तौर पर कायनात में एक मुहाफ़िज़े क़ुर्आन को क़ायम रखा है जिनका वुजूदे मुबारक पूरी कायनात के लिए बक़ा की ज़मानत और हिदायते बशर के लिए क़ुर्आने मजीद का शरीके कार है वो दिन दूर नहीं जब हिजाबे ग़ैबत हटेगा और एक-एक मुजरिम से उसके जुर्म का हिसाब लिया जाएगा।

❖❖❖

चौथी बहेस

क़ुर्आने मजीद के तहरीफ़ से महफ़ूज़ रहने के सिलसिले में ओलमा-ए-इस्लाम के बयानात

तमाम ओलमा-ए-इस्लाम ने आम तौर पर और ओलमा-ए-तशय्योअ् ने ख़ासतौर पर इस बात का एलान किया है कि मत्ने क़ुर्आने मजीद हर क़िस्म की तहरीफ़ से बिल्कुल सालिम और मुनज़्ज़ह है। लेकिन अफ़सोस कि शीओं पर तहरीफ़ का इल्ज़ाम लगाने वाले ओलमा-ए-तशय्योअ् के इन अहम तरीन बयानात को नज़र अंदाज करके अपनी इल्ज़ाम तराशी पर अड़े रहते हैं जिन्होंने शीओं के मज़हबी मौक़फ़ को वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। यहाँ पर गुज़िश्ता दौर से लेकर आज तक ओलमा के बयानात पेश किए जा रहे हैं। मुलाहिज़ा हों:-

1. शेख़ुल मुहद्देसीन अबु जाफ़र मुहम्मद इब्ने अली इब्निल हुसैन अस-सदूक़ (वफ़ात 381 हिजरी)। आपने अपने इस रिसाले में जिसे आपने इस्ना अशरी शीओं के मुख़्तलिफ़ अक़ीदे वाज़ेह करने के लिए तरतीब दिया था में बयान किया है:-

"हमारा एतिक़ाद ये है कि क़ुर्आने मजीद जो ख़ुदावंदे आलम ने अपने नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा[स.अ.] पर नाज़िल किया ये बिल्कुल वही क़ुर्आने मजीद है जो दो दफ़्तियों (जिल्द) के दरमियान हमारे सामने मौजूद है। यही वो क़ुर्आने मजीद है जो लोगों के दरमियान राएज है। वो बिल्कुल मुकम्मल क़ुर्आने मजीद है। इसके अलावा या इससे ज़्यादा कहीं कोई क़ुर्आन नहीं पाया जाता। ये क़ुर्आने मजीद ख़ुदावंदे आलम का नाज़िल किया हुआ वही क़ुर्आन है जिसके सूरों की तादाद 114 है।"

इसके बाद आपने वाज़ेह तौर पर एलान किया है कि: "जो हमारे बारे में ये बताए कि हमारे पास इससे बड़ा (इससे ज़्यादा सूरों वाला) क़ुर्आने

मजीद है वो बहुत बड़ा झूठा है।"[1]

2. शेख़ मुहम्मद इब्ने मुहम्मद इब्ने नोअ्मान जो शेख़ मुफ़ीद के लक़ब से मशहूर हैं। आपकी वफ़ात 413 हिजरी में हुई। उनका कहना है किः "इमामत के क़ाएल (शीओं) का कहना है कि क़ुर्आने मजीद में से कोई कलेमा, कोई आयत, कोई सूरा कम नहीं है। हाँ आयाते क़ुर्आन की वो तावीलात जो अमीरुल मोमनीन हज़रत अली[अ.स.] की जानिब से पेश की गई थीं और तंज़ील की हक़ीक़त से मुतअ्ल्लिक़ उसके मफ़ाहीम की जो तफ़सीर बयान हुई थी वो इस मौजूदा और राएज क़ुर्आने मजीद में नहीं है। वो तावील व तफ़सीर अगरचे हक़ और साबित है और ख़ुदावंदे आलम की तरफ़ से नाज़िल की हुई है। लेकिन ख़ुदावंदे आलम की तरफ़ से उसे क़ुर्आने मजीद की सूरत में एजाज़ी कलाम क़रार नहीं दिया गया है (जैसा कि हदीसे क़ुदसी ख़ुदावंदे आलम की तरफ़ से कलामे इलाही होने के बावजूद क़ुर्आने मजीद नहीं है।)"[2]

3. सय्यद शरीफ़ अल-मुर्तज़ा अली इब्निल हुसैन अल-मूसवी जिनका लक़ब अलमुल हुदा है और जिनकी वफ़ात 436 हिजरी में हुई है। उन्होंने फ़रमाया किः "क़ुर्आने मजीद सही और मुकम्मल तौर पर हम तक मुन्तक़िल करने की ख़बर हमारे लिए बड़े-बड़े शहरों, बड़े-बड़े तारीख़ी वाक़िआत, बड़े-बड़े अज़ीम वाक़िआत और मशहूर किताबों की तरह तहरीर किए हुए अरबी अशआर की तरह है जिनको नक़्ल करने और आइन्दा नस्लों तक मुन्तक़िल करने के लिए ख़ासी तवज्जोह के साथ बड़ी-बड़ी ज़हमतें उठाई जाती हैं। इसी तरह क़ुर्आने मजीद के नक़्ल करने में पूरी तवज्जो और ख़ातिर ख़ाह ज़हमत उठाई गई है बल्कि क़ुर्आने मजीद की राह में अंजाम पाने वाली सई व कोशिश दूसरी कोशिशों के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा है और दूसरी किसी कोशिश से इसका कोई मुवाज़ना या मुक़ाइसा (comparison) मुम्किन नहीं है। इसलिए कि क़ुर्आने मजीद नुबूव्वत का मोजिज़ा और तमाम उलूमे शरीअत का सरचश्मा नीज़ जुमला अहकाम दीन का मंबा व मदरक है और ओलमा-ए-इस्लाम ने इसकी हिफ़ाज़त और हिमायत के लिए आख़िरी हद तक जान-तोड़ कोशिश की है।

---

1 ऐतक़ादातुल इमामिया अलमतबूअ् मअ् शरहुल बाबे हादी अशर 93–94
2 अवाएलुल मक़ालात फ़िल मज़ाहिबल मुख़्तारातः 55–56

यहाँ तक कि हर उस चीज़ को मुशख़्ख़स और मुअय्यन कर दिया है जिसके एराब, क़िरअत् या तलफ़्फ़ुज़ में किसी तरह का शक और इख़्तेलाफ़ था।

लिहाज़ा ये कैसे मुम्किन है कि क़ुर्आने करीम की हिफ़ाज़त और हिमायत पर भरपूर तवज्जोह और इसके बारे में सच्ची लगन रखने के बावजूद ख़ुद इसमें किसी तरह की तब्दीली यानी कुछ कम या ज़्यादा हो जाने दें।''

इसी तरह उनका बयान है किः ''ये क़ुर्आने मजीद रसूले इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में बिल्कुल आज की मौजूदा शक्ल में मुरत्तब हो चुका था और इसकी दलील ये पेश की है कि इस ज़माने में पूरे क़ुर्आने मजीद की तालीम व तदरीस होती थी। पूरा हिफ़्ज़ कराया जाता था यहाँ तक कि हिफ़्ज़े क़ुर्आन के लिए सहाबा की एक पूरी जमाअत मुअय्यन कर दी गई थी वो क़ुर्आने मजीद को हिफ़्ज़ करके पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] को सुनाते थे और आप भी उनके सामने क़ुर्आन की आयात का इमला फ़रमाते थे। इसी तरह सहाबा की एक जमाअत जैसे अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, उबई इब्ने कअ़ब और उनके अलावा कुछ दीगर सहाबियों ने पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के सामने कई मर्तबा क़ुर्आने मजीद ख़त्म किया।

इन तमाम उमूर पर थोड़ी-सी भी तवज्जोह इस बात पर यक़ीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि क़ुर्आने मजीद पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था।

इसके बाद आपने ज़िक्र किया कि इमामिया या हश्विया[1] में से जिन मुट्ठी भर लोगों ने इस काम में हमारी मुख़ालिफ़त की है इन कसीर ओलेमा के मुक़ाबले में उनकी मुख़ालिफ़त ना-काबिले तवज्जोह है।''[2]

सय्यद मुर्तज़ा का ये नज़रिया इतना मशहूर व मारूफ़ है कि उसे अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग ओलमा ने भी नक़्ल किया है और साथ-साथ ये भी ज़िक्र किया है कि सय्यद मुर्तज़ा तहरीफ़ के क़ाएल अफ़राद को काफ़िर समझते थे। इब्ने हजर अस्क़लानी ने इब्ने हज़म से इस सिलसिले में उनका ये क़ौल नक़्ल किया है कि वो दावत देने वाले मोतज़िला के बुज़ुर्ग ओलमा में से थे। वो शीअः इस्ना अशरी थे लेकिन हर उस शख़्स को काफ़िर

---

[1] एक फ़िरक़े का नाम

[2] मजमउल बयान जि०-1, पेज-15, अल मसाएलुत तिराबिसीयात लि-सय्यदिल मुर्तज़ा

समझते थे जो इस बात का क़ाअल हो कि क़ुर्आने मजीद में कोई तब्दीली हुई है या इसमें कुछ कमी ज़्यादती की गई है। इस नज़रिये में बिल्कुल इसी तरह उनके दो साथी और थे। अबुल क़ासिम अल-राज़ी और अबू यअ्ला तूसी।[1]

4. शेख़ मुहम्मद इब्निल हसन अबू जाफ़र तूसी जिन्हें शैख़ुत्ताईफ़ा के लक़ब से याद किया जाता है। उनकी वफ़ात 460 हिजरी में हुई। उन्होंने अपनी तफ़सीर के मुक़द्दमे में ज़िक्र किया है कि: ''इस किताब से हमारा मक़सूद और मतलूब इसके मानी का समझना और इसके मुख़्तलिफ़ अग़राज़ व मक़ासिद को अमली जामा पहनाना है। इसके अलावा इसमें कमी या ज़्यादती की बात किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इसलिए कि इसमें कुछ इज़ाफ़ा करने का नज़रिया बातिल है और इसके बातिल होने पर तमाम ओलमा का इत्तेफ़ाक़ है और कुछ कमी करने के सिलसिले में भी बज़ाहिर तमाम मुसलमानों का नज़रिया बिल्कुल यही है कि इसमें किसी कमी का गुज़र नहीं। क़ुर्आने करीम में तहरीफ़ यानी कमी या ज़्यादती दोनों के एक साथ बातिल होने का नज़रिया हमारे मज़हब के एतिबार से सही है और यही वो नज़रिया है। सय्यद मुर्तज़ा ने जिसकी ताईद और हिमायत फ़रमाई है और बहुत सी रिवायात भी इसी मअ्ने में ज़ाहिर होती हैं।

अलबत्ता अगर कुछ ओलमा-ए-शीअः और ओलमा-ए-अहले सुन्नत की तरफ़ से क़ुर्आने मजीद की आयात में कमी किए जाने के बारे में कुछ रिवायात वारिद हुई हैं। इसी तरह कुछ रिवायात में बयान हुआ है कि क़ुर्आने मजीद की कुछ आयात को एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल कर गया दिया है।

वो रिवायात आमतौर पर ख़बरे वाहिद[2] की सूरत में हैं जो इल्म व यक़ीन का फ़ायदा हरगिज़ नहीं पहुँचा सकतीं। लिहाज़ा उन पर अमल नहीं किया जा सकता और बेहतर ये है कि इन रिवायात से रु-गर्दानी[3] करते हुए उनकी तरफ़ बिल्कुल तवज्जोह न की जाए और बिला वजह अपने ज़हन को इसमें मशग़ूल करने से बचाए।

---

[1] मजम लिसानुल मीज़ान जि०-4, पेज-223
[2] जो मुतावातिर ना हो, यक़ीनी ना होना
[3] मुंह मोड़ना

अगर ये रिवायात सही भी हों तो उनकी तावील की जाए इसलिए कि अगर इनको बिल्कुल जिस तरह से हैं उसी तरह तस्लीम कर लिया जाए तो ये दो दफ़्तियों (जिल्द) के दरमियान मौजूद कुर्आने मजीद पर एक तरह का हमला होगा जबकि इस कुर्आने मजीद का सही होना उम्मते इस्लामी के नज़दीक साबित है और इसके बारे में ज़र्रा बराबर भी एतिराज़ नही है।[1]

अदम तहरीफ़ के बारे में ओलमा के नज़रियात

5. शेख़ फ़ज़्ल इब्नुल हसन अबू अली अल-तबरसी (वफ़ात 548 हिजरी) उनका लक़ब अमीनुल इस्लाम था। उनकी इबारत का तर्जुमा नीचे नक़्ल किया जा रहा है।:-

इसी में से वो गुफ़्तुगू भी है जो कुर्आने मजीद में कमी या ज़्यादती के बारे में की गई। ये गुफ़्तुगू किसी तरह की तफ़सीर के लायक़ नहीं है। ज़्यादती के नज़रिए के बातिल होने पर इजमा है और इसमें कमी के बारे में अगरचे हमारे असहाब (शीओं) में से कुछ अफ़राद ने और अहले सुन्नत की एक जमाअ़त ने रिवायत की है कि कुर्आने मजीद में कुछ तब्दीली और कमी वाक़ेअ़ हुई है। जबकि हमारे असहाब (शीओं) का मज़हब इसके बिल्कुल बरख़िलाफ़ है। यही वो क़ौल है जिसकी ताईद और हिमायत सय्यद मुर्तज़ा ने फ़रमाई है और इस सिलसिले में मुकम्मल गुफ़्तुगू की है जैसा कि उन्होंने तराबूलस[2] की तरफ़ से पेश किए जाने वाले सवालों के जवाब में मुफ़स्सल (detailed) गुफ़्तुगू की है।[3]

6. सय्यद अबु-अल-क़ासिम अली इब्ने ताऊस हिल्ली (वफ़ात 548 हिजरी) ने सराहत की है कि कुर्आन मजीद किसी तरह की कमी और ज़्यादती से बिल्कुल महफ़ूज़ है जैसा कि अक़्ल और शरीअत दोनों उसकी गवाह हैं।[4]

आपने उन रिवायात का इंकार किया है जो अहले सुन्नत ने उस्मान और आएशा से नक़्ल की हैं जिनमें बयान हुआ है कि कुर्आने मजीद में ग़लती और कमी वाक़ेअ़ हुई है। आपका कहना है क्या ये तअज्जुब की बात नहीं कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के बाद अरब के सबसे ज़्यादा फ़सीह

---

[1] अत्तिबयान फ़ी तफ़सीरिल कुर्आन जि०-1, पेज-3
[2] अ लेबनान का एक शहर
[3] मजमउल बयान जि०-1, पेज-15
[4] सअ़्दुस सुऊद, पेज-192

इन्सान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब[अ.स.] को छोड़कर आएशा से मालूम किया जाए जब कि हज़रत अली[अ.स.] क़ुर्आने मजीद से सबसे ज़्यादा वाक़िफ़ थे और पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के बाद दूसरा कोई भी इस सिलसिले में आपकी बराबरी हरगिज़ नहीं कर सकता था। क्या साहिबाने फ़हम इस बात को नहीं समझते कि ऐसा सिर्फ़ हसद की बुनियाद पर किसी ऐसे मक़सद के हुसूल के लिए था जो मौक़े और महल के एतिबार से सही राह से बिल्कुल दूर हो। अगर यहूदी और दहरिया लोग किसी मुसलमान पर ग़लबा हासिल करते और वो मुसलमान क़ुर्आने मजीद में ग़लती का क़ाएल होता तो यहूदी ख़ुद उसके तहरीफ़ के नज़रिये को दीने इस्लाम के ख़िलाफ़ हुज्जत के तौर पर पेश करते।[1]

7. अल्लामा हिल्ली, (वफ़ात 726 हिजरी) आपने दूसरों की तरफ़ से किए जाने वाले कुछ सवालों के जवाब में फ़रमाया था। क्या फ़रमाते हैं हमारे सय्यद व सरदार किताबे इलाही क़ुर्आने मजीद के बारे में? क्या हमारे असहाब शीओं के नज़दीक ये बात सही है कि इस क़ुर्आने मजीद में कोई कमी हुई है या कोई ज़्यादती की गई है? क्या इसकी तरतीब को बदला गया है या ये सब बातें ग़लत और बे-बुनियाद हैं? अल्लामा ने जवाब में ये कहा था।

''हक़ ये है कि क़ुर्आन मजीद में न कोई तब्दीली हुई है और न किसी तरह की तक़दीम व ताख़ीर (जगह की तब्दीली) इसमें न कुछ इज़ाफ़ा किया गया है और न ही कुछ कम हुआ है। ख़ुदावंदे आलम से इस अक़ीदे और इस जैसे दीगर बहुत से अक़ाएद से पनाह माँगते हैं इसलिए कि ये अक़ीदा पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के इस मोजिज़े में कमज़ोरी का रास्ता खोलने की कोशिश शुमार होगा जिसका तवातुर[2] के साथ नक़्ल होना साबित है।''[3]

8. शेख़ जैनुद्दीन अल-बयाज़ी अल-आमुली। (वफ़ात 877 हिजरी) ने फ़रमाया है कि:-

''ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम है कि क़ुर्आने मजीद मय अपने तमाम इजमाल और तफ़सील तवातुर के साथ साबित है। इसकी हिफ़ाज़त के शदीद

---

1 सअ्दुस सुऊद, पेज-192

2 इतने लोगों का नक़्ल करना जिसमें ग़लती का इम्कान ना रह जाए।

3 इतने अजूबतुल मसाएलिल महनविय्या पेज-121

बंदोबस्त में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अगरचे सूरों के नाम और उनकी तफ़सीर में तो इख़्तिलाफ़ पाया जाता है लेकिन ये भी इस बात की दलील है कि सूरे मुशख़्ख़स थे सिर्फ़ नाम में इख़्तिलाफ़ था। उस वक़्त के अक्सर मुसलमान क़ुर्आने मजीद के मअ़्नी व मफ़ाहीम और उसके अहकाम में ग़ौर व फ़िक्र के साथ उन्हें हिफ़्ज़ करते थे और अगर उसमें कोई कमी या ज़्यादती हुई होती तो उस वक़्त के साहिबाने अक़्ल व फ़हम बहरहाल उसकी तरफ़ मुतवज्जेह होते। चाहे वो उन्हें याद भी न होता तब भी उसे पहचान जाते। इसलिए कि वो क़ुर्आने मजीद की फ़साहत से बिल्कुल अलग होता।''[1]

8. शेख़ अली इब्ने अब्दुल आली अल-करकी अल- आमुली (वफ़ात 940 हिजरी) जो मुहक़्क़िके सानी के लक़ब से याद किए जाते थे। आपने क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की कमी न होने के नज़रिए को साबित करने के सिलसिले में एक पूरा रिसाला तैयार कर दिया और उन रिवायात का जो कमी वाक़ेअ़् होने की बात करती हैं ये कहते हुए जवाब दिया। ''हदीस अगर दलील और सुन्नते मुतावातिर[2] या इजमाअ़् के ख़िलाफ़ हो और इसकी तावील या तौजीह (वजह बयान करना) करना मुम्किन न हो तो इस पर तवज्जोह नहीं करना चाहिए यानी ऐसी हदीस को नज़र अंदाज़ करना वाजिब है।''[3]

10. इसी चीज़ की सराहत शेख़ फ़तहुल्लाह काशानी ने भी फ़रमाई है जिनकी वफ़ात 988 हिजरी में हुई। आपने ये सराहत तफ़सीर मिन्हजुस सादिक़ीन के मुक़द्दमे में आयत ''इन्ना नहनु नज़्ज़लनज़ ज़िक्र व-इन्ना लहू ल हाफ़िज़ून'' की तफ़सीर के ज़ैल में फ़रमायी है।

11. यही सराहत सय्यद नूरुल्लाह शूस्तरी की तरफ़ से साबित है जो क़ाज़ी शहीद के लक़ब से याद किए जाते हैं। आपकी शहादत 1019 हिजरी में हुई। आपकी तरफ़ से ये सराहत आपकी किताब मसाईबुन नवाहिया में इमामत और कलाम की बहेस में ज़िक्र की गयी है। आप फ़रमाते हैं:-

''इस्ना अशरी शीओं की तरफ़ क़ुर्आने मजीद में तब्दीली वाक़ेअ़् होने

---

[1] अस-सिरातुल मुस्तक़ीम जि०-1 पेज-45

[2] वो सुन्नत जो तवातुर के साथ नक़्ल हुई हो

[3] मबाहिस फ़ी उलूमिल क़ुर्आन। मख़तूत, शरहुल वाफ़िया फ़ी इल्मिल उसूल

की जो निस्बत दी जाती है वो बातिल है। ऐसा नहीं है कि तमाम ओलमा-ए-शीअः इसके क़ाएल हैं बल्कि इक्का दुक्का गिने चुने अफ़राद ने कहीं-कहीं अपने तौर पर ये बात कही है जो इस लायक़ नहीं हैं कि उनकी तरफ़ कोई तवज्जोह दी जाए।"[1]

12. शेख़ मुहम्मद इब्ने हुसैन। ये बहाउद्दीन आमुली के नाम से मशहूर हैं और इनकी वफ़ात 1030 में हुई है, फ़रमाते हैं किः "क़ुर्आने मजीद तहरीफ़ से बिल्कुल महफ़ूज़ है न इसमें कोई कमी हुई है और न ही किसी चीज़ का इज़ाफ़ा किया गया है। जिस पर क़ुर्आने करीम की ये आयत दलालत करती है "इन्ना नहनु नज़्ज़लनज़ ज़िक्र व-इन्ना लहु ल हाफ़िज़ून" और ये जो लोगों के दरमियान मशहूर है कि अमीरुल मोमनीन हज़रत अली[अ.स.] का इस्मे गिरामी इसमें से हटा दिया गया है जिसे या अय्युहर रसूलु बल्लिग़ मा उन्ज़ि-ल- इलै-क फ़ी अली या इसके अलावा दूसरे मौक़ों पर ओलमा के नज़दीक उनका कोई एतिबार है।"[2]

13. शेख़ मुहम्मद मुहसिन (वफ़ात 1019 हिजरी) आप फ़ैज़ काशानी के नाम से मशहूर हैं उनका बयान है किः "अगर क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की तहरीफ़ और तब्दीली हुई होती तो इस पर एतिमाद बाक़ी न रह जाता इसलिए कि इस तरह हर आयत के बारे में ये एहतिमाल पैदा हो जाता कि मुम्किन है इसमें तब्दीली और तहरीफ़ हुई हो और ये ख़ुदावंदे आलम की तरफ़ से नाज़िल किए जाने के एतिबार के ख़िलाफ़ है। इस तरह क़ुर्आने मजीद हमारे लिए हुज्जत नहीं रह जाएगा और इसका फ़ायदा भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इसका इत्तेबा, हुक्म और इसके बारे में किसी तरह की वसीयत व नसीहत बिल्कुल बेसूद साबित होगी और हदीसों में टकराव की सूरत में उसे क़ुर्आने मजीद के मेअ़्यार पर परखना अबस और बे-मक़सद साबित होगा।" इसके बाद आपने शेख़ सदूक़ का वो बयान सुबूत के तौर पर पेश किया जिसका ज़िक्र गुज़िश्ता बहस में किया जा चुका है और इसकी ताईद में कुछ रिवायात भी ज़िक्र की हैं।[3]

ख़ुदावंदे आलम के इस क़ौल "इन्ना लहू ल हाफ़िज़ून" की तफ़सीर में

---

1 अल-आलाउर-रहमान, अल-बलाग़ी पेज-25, क़ौलुल इमामिया मन्क़ूल अज़ किताब मसाएबुन नवासिब, अल-शिया फ़ी मिज़ान पेज-314

2 अल-आला-उर-रहमान, अल-बलाग़ी पेज-26

3 अल-वाफ़ी जि०-1 पेज-273–274

बयान किया है कि हिफ़ाज़त यानी हर तरह की तहरीफ़, तब्दीली, कमी और ज़्यादती वाक़ेअ् होने से महफ़ूज़ रखना परवरदिगारे आलम का ये वादा है कि इसमें किसी तरह की कोई तहरीफ़ नहीं कर सकेगा इसलिए कि ख़ुदा उसकी हिफ़ाज़त करने वाला है।[1]

तहरीफ़ न होने के बारे में ओलमा के नज़रियात

14. शेख़ मुहम्मद इब्नुल हसन अल-हुर्रुल आमुली (वफ़ात 1104 हिजरी) ने बयान किया है कि: ''जिसने भी रिवायात का मुतालिआ किया है और तारीख़ के सफ़हात की रुगर्दानी की है (पलटे हैं) उसे बख़ूबी इल्म है कि क़ुर्आने मजीद तवातुर के साथ नक़्ल होने वाली तमाम चीज़ों में सबसे आला मंज़िल पर फ़ाएज़ है और हज़ारों असहाबे पैग़म्बर उसे हिफ़्ज़ करते थे, उसकी तिलावत करते थे और वो पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के दौरे हयात में मुकम्मल तौर पर बिल्कुल उसी मौजूदा शक्ल में तैयार हो चुका था।[2]

15. अल्लामा मुहम्मद बाक़िर मजलिसी (वफ़ात 1104 हिजरी) ने फ़रमायाः ''हमारे अइम्मा[अ.स.] से मरवी रिवायात में ये हुक्म दिया गया है कि हम इस क़ुर्आने मजीद की तिलावत करें जो दो दफ़्तियों के दरमियान मौजूद है और हम इसमें किसी कमी या ज़्यादती के बिल्कुल क़ाएल नहीं हैं। इसके अलावा उन रिवायात पर अमल करने से मना किया गया है जो इस मौजूदा क़ुर्आन में किसी एक हर्फ़ के भी ज़्यादा या कम होने की बात करती हैं इसलिए कि वो रिवायात ख़बरे वाहिद की सूरत में वारिद हुई हैं और तवातुर के साथ साबित नहीं हैं और वाहिद के नक़्ल में ग़लती का इम्कान बहरहाल पाया जाता है।''[3]

16. सय्यद मुहम्मद महदी तबातबाई (वफ़ात 1212 हिजरी) जो बहरुल उलूम से याद किए जाते हैं, इस तरह फ़रमाते हैं:

''किताबे ख़ुदा वही क़ुर्आने मजीद, क़ुर्आने अज़ीम, ज़िया व रौशनी, नूरे मुबय्यन और ज़माने के साथ-साथ बाक़ी रहने वाला मोजिज़ा है। वो ऐसा हक़ है जिसमें बातिल न सामने से आ सकता और न ही पुश्त की जानिब से, वो साहिबे हुक्म व लायक़ हम्द व सताईश परवरदिगार की

---

[1] अस-साफ़ी फ़ी तफ़सीरिल क़ुर्आन जि०-3 पेज-348

[2] फ़सूलिल मुहिम्मा पेज-163

[3] बिहारुल अनवार जि०-92 पेज-74

जानिब से नाज़िल किया हुआ है, जिसने उसे वाज़ेह अरबी ज़बान में नाज़िल किया है। वो मुत्तक़ीन के लिए हिदायत और आलमीन के लिए एक वाज़ेह बयान है।”[1]

17. शेख़े बुज़ुर्ग शेख़ जाफ़र (वफ़ात 1228 हिजरी) जो काशिफ़ुल ग़िता के नाम से मशहूर हैं, फ़रमाते हैं:-

“इस बात में कोई शक नहीं कि है कि क़ुर्आने मजीद क़ादिरे मुतलक़ मालिके हक़ीक़ी की जानिब से हिफ़ाज़त की बुनियाद पर हर तरह के नुक़सानात से महफ़ूज़ है जैसा कि उस पर ख़ुद फ़ुरक़ाने अज़ीम क़ुर्आने मजीद वाज़ेह तौर पर दलालत करता है। इसके अलावा इस नुक़सान से महफ़ूज़ रहने पर हर ज़माने में उम्मते इस्लामी का इजमाअ़ रहा है। इसके मुक़ाबले में इक्का दुक्का पाई जाने वाली शाज़ व नादिर रिवायात इस लायक़ नहीं हैं कि उन पर कोई तवज्जोह दी जाये। क़ुर्आने मजीद की तहरीफ़ से मुतअ़ल्लिक़ जो रिवायात वारिद हुई हैं, उनके ज़ाहिर पर अमल करने से खुली हुई अक़्ली दलीलें मानेअ़ हैं ख़ासतौर पर वो रिवायात जिनमें सुल्स क़ुर्आन या उससे ज़्यादा कम करने की बात कही गई है। इसलिए कि अगर ऐसा होता और वो भी तवातुर के साथ साबित होता तो इस्लाम के दुश्मन उसे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे बड़े हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते और ऐसा कैसे हो सकता है जब उसकी हिफ़ाज़त और इसकी आयात और हुरूफ़ को मुशख़्ख़स और मुअय्यन करने पर इतनी ज़्यादा तवज्जोह दी जाती रही हो। लिहाज़ा ऐसी रिवायात की किस सूरत में तौजीह की जा सकती है।”[2]

18. सय्यद मुहसिन अल-अअ़रजी अल-काज़मी (वफ़ात 1228 हिजरी) ने इस सिलसिले में जो कुछ बयान किया है उसे मुंदरजा ज़ैल नुकात में मुलाहिज़ा किया जा सकता है।

उस वक़्त के मुसलमानों की एक जमाअत ने मौलाए कायनात हज़रत अली[अ.स.] की तरफ़ से पेश किए जाने वाले क़ुर्आने मजीद को मुस्तरद कर दिया जो तावील व तंज़ील की तफ़सीलात पर मुश्तमिल था जिसके ऊपर आपका वो क़ौल दलालत करता है, जो आपने ख़लीफ़-ए-सानी के जवाब में

---

[1] अल-फ़वाइद फ़ी इल्मिल उसूल मबहसे हजियतुज़ ज़वाहिरिल किताब, मख़तूत
[2] कशफ़ुल ग़िता फ़िल फ़िक़्ह, किताबुल क़ुर्आन - 299

फ़रमाया था कि में एक मुकम्मल किताब लेकर आया हूँ। जो तावील व तंज़ील की तफ़सीलात पर मुश्तमिल है इसमें मोहकम मुतशाबेह (जो वाज़ेह न हो) और नासिख़ व मंसूख़ (रद्द हो चुकी और रद्द होने वाली) सबको बयान किया गया है इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने जो किताब पेश की थी वो पूरी की पूरी क़ुर्आने मजीद की सूरत में नाज़िल होने वाली किताब थी।''[1]

19. सय्यद मुहम्मद तबातबाई (वफ़ात 1242 हिजरी) ने भी इस सिलसिले में गुफ़्तुगू की है, जिसका ख़ुलासा कुछ इस तरह हैः-

''इस बात में कोई शक नहीं है कि जो भी क़ुर्आने मजीद का हिस्सा है या जिसे भी क़ुर्आने मजीद कहा जाता है वो मुकम्मल तौर पर या उसके तमाम अज्ज़ा (हिस्से) तवातुर के साथ साबित होने चाहिए और इसके मौक़े व महल और नज़्म व तरतीब में भी ओलमा व मुहक़्क़िक़ीने अहले सुन्नत का यही नज़रिया है। इसलिए कि आमतौर पर ऐसी तफ़सीलें तवातुर का तक़ाज़ा करती हैं इसलिए कि ये अज़ीम मोजिज़ा मुस्तहकम दीने इस्लाम और सिराते मुस्तक़ीम की बुनियाद है जैसा कि बहुत सी वजहें पाई जाती हैं, जो उसके इजमाल या तफ़सील के साथ हैं जिनका तक़ाज़ा ये है कि तवातुर के साथ नक़्ल हों। लिहाज़ा जो कुछ ख़बरे वाहिद की सूरत में नक़्ल हो और इसमें तवातुर न पाया जाता हो उसके बारे में यक़ीन के साथ कहा जाता है कि वो क़ुर्आन नहीं है।''[2]

20. इमाम रूहुल्लाह अल-मूसवी अल-खुमैनी (वफ़ात 1409 हिजरी) फ़रमाते हैंः-

जो शख़्स भी क़ुर्आने मजीद के जमा व तरतीब उसकी हिफ़ाज़त उसकी मोअय्यन होने के सिलसिले में मुसलमानों की दिलचस्पी और उनकी सई व कोशिश से वाक़िफ़ है और मुसलमानों की तरफ़ से इसकी तिलावत या उसकी तहरीर के एहतेमाम पर नज़र रखता है, वो इन मनगढ़त रिवायात के बातिल होने पर पूरी तरह गवाह है। इस सिलसिले में जितनी भी रिवायात वारिद हुई हैं जिन पर तहरीफ़ के मानने वाले ने तकिया किया है वो सबके सब ज़ईफ़ हैं जिनकी बुनियाद पर कोई नतीजे तक नहीं पहुँचा

---

[1] शरहुल वाफ़िया फ़ी इल्मिल उसूल, मख़तूत

[2] मफ़ातिहुल उसूल, मबहसे हजियतुज़ ज़वाहिरिल किताब

जा सकता ये गढ़ी हुई हैं और उन पर गढ़े होने के असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं या बिल्कुल अजनबी और ग़ैर मुतआ़रिफ़ हैं। वो सिर्फ़ हैरान व सरगर्दां करने के अलावा और कोई किरदार अदा नहीं कर सकतीं। अलबत्ता उनमें जो रिवायात सनद के एतिबार से सही हैं उनको तफ़सीर और तावील की तरफ़ पलटाया जा सकता है यानी तहरीफ़ इसी तावील व तफ़सीर में हो सकती है अस्ल क़ुर्आने मजीद के अल्फ़ाज़ व इबारात नहीं।

हमारी इस गुफ़्तुगू की तफ़सील के लिए मुस्तक़िल एक किताब की तालीफ़ दरकार है जिसमें क़ुर्आने मजीद की तारीख़ को तफ़सील से बयान करने के साथ-साथ इन मरहलों (levels/stages) पर रौशनी डाली जाए जिनसे गुज़िश्ता सदियों में इस पाकीज़ा किताब को गुज़रना पड़ा है। यहाँ ख़ुलासे के तौर पर सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि अल्लाह की मुक़द्दस किताब क़ुर्आने मजीद बिल्कुल यही किताब है जो आज दो दफ़्तियों (जिल्द) के दरमियान हमारे सामने मौजूद है इसमें न कोई कमी है और न ज़्यादती।

क़िरअ़तों में इख़्तेलाफ़ बाद में सामने आने वाला जदीद इख़्तेलाफ़ है, जिसकी बुनियाद इज्तेहाद में इख़्तेलाफ़ है। इसका उस वह्यी इलाही से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं है जो जिब्रईले अमीन के ज़रिये पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के क़ल्बे मुबारक पर नाज़िल हुई।[1]

21. सय्यद अबुल क़ासिम अल-ख़ूई (वफ़ात 1413 हिजरी) फ़रमाते हैं कि: ''तहरीफ़े क़ुर्आन की गुफ़्तुगू एक बे-बुनियाद ख़ुराफ़ात है जिसका सरचश्मा वहम व ख़्याल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोई भी अक़्ले सलीम रखने वाला इसका क़ाएल नहीं हो सकता। हाँ, जिसकी अक़्ल ज़ईफ़ और समझने की सलाहियत इतनी नहीं है वो मुम्किन है इस वहम और ख़्याली नज़रिये का क़ाएल हो जाए। इसी तरह मुम्किन है कि वो शख़्स भी इसका क़ाएल हो जिसने इस मौज़ू पर मुकम्मल तवज्जो नहीं की है जैसी तवज्जोह करना चाहिए थी या इसी तरह वो शख़्स जो किसी की मुहब्बत में इस नज़रिये का क़ाएल हो इसलिए कि मुहब्बत अंधी और बहरी होती है। वर्ना जो इन्साफ़ करने वाली हुस्ने तद्बीर की हामिल अक़्ल है वो उसके बातिल और बे-ऐब होने में ज़र्रा बराबर शक व शुब्हा नहीं कर सकती।''[2]

---

[1] तहज़ीबुल उसूल जि०-2 पेज-165

[2] अल-बयान फ़ी तफ़सरिल क़ुर्आन, अल-ख़ूई पेज-259

22. शेख़ लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुलपाएगानी मद्‌द ज़िल्लहु

आप फ़रमाते हैंः- जो क़ुर्आने मजीद दो दफ़्तियों के दरमियान मौजूद है वो दोनों फ़िरक़ों के मज़हब की किताब है। ये उनकी वो अस्ल और बुनियाद है जिसके बाद उस सुन्नत का मर्तबा है जिस पर एतिमाद करना सही है। अगर वो क़ुर्आने मजीद के ख़िलाफ़ न हो तमाम उसूल और फ़ुरुअ़ नीज़ उनके तमाम इख़्तेलाफ़ात में आम मुसलमान इसी अस्ल क़ुर्आने मजीद और सुन्नते शरीफ़ा की तरफ़ रुजूअ़ करते हैं।

पूरी उम्मतें इस्लामी चाहे शीअः हो या सुन्नी क़ुर्आने मजीद के मुहकमात[1] पर एक साथ तकिया करती है और इसके मुतशाबिहात[2] के बारे में भी इन सबका कहना है कि हम इन पर बिल्कुल इसी तरह ईमान रखते हैं जिस तरह वो ख़ुदावंदे आलम के नज़दीक साबित हैं।[3]

❖❖❖

[1] जिनके माने वाज़ेह हों, comprehensible

[2] जिनके माने वाज़ेह ना हों, uncertain

[3] अल-क़ुर्आन मसूनु अनित तहरीफ़ 5, दारुल क़ुर्आनिल करीम व राजेअ़ लिल मज़ीद, सियानतुल क़ुर्आन मिनत तहरीफ़, अल्लामा मअ़रिफ़ाः पेज 44 ता 70, वत-तहक़ीक़ फ़ी नफ़ीयित तहरीफ़ पेज 10 ता 26

पांचवीं बहेस

तहरीफ़ का शुब्हा पैंदा होने या करने के मुम्किन सबब

बेशक क़ुर्आने मजीद में तहरीफ़ का शुब्हा इस्लाम दुश्मन ताक़तों का हरबा है चाहे वो क़दीम दुश्मन हों या अस्रे हाज़िर के जदीद दुश्मने इस्लाम। इस शुब्हे से वो नीचे दिये गए मक़सदों को हासिल करना चाहते हैं:-

1- इस्लाम की हक़्क़ानियत और इसके तईं हमेशा बाक़ी रहने वाले दीन के ऐतिबार को ठेस पहुँचा कर उसकी अहमीयत को कम करना।

2- शरीअत इस्लामी के सबसे अहम और मोतबर मदरक और दलील की अहमीयत ख़त्म करके उस पर एतिमाद और भरोसे को ख़त्म करना।

3- मुसलमानों में क़ुर्आने मजीद की किताबत और उनके इत्तेहाद की अलामत नीज़ उनकी बुनियाद पर भरोसे को हिला देना ख़ासतौर पर जब वो अपने दीन की तरह जिनमें ख़ुद क़ुर्आने मजीद के एतिबार से तहरीफ़ साबित है इस्लाम में तहरीफ़ के अमल को अंजाम न दिलवा सकें।

4- मुसलमानों के दरमियान इख़्तिलाफ़ पैदा करना और उन्हें आपस में लड़ाना इस तरह कि उनमें से हर गिरोह दूसरे गिरोह पर तहरीफ़े क़ुर्आन के सिलसिले में इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू करे।

5- एक मुसलमान की इस तरह ज़हनी तरबीयत करना और उसे इस तरह जदीद (नये) इल्मी और माडर्न तरक़्क़ी का रास्ता दिखाना कि वो क़तई और यक़ीनी इस्लामी मुक़द्दसात को शक व शुब्हे की नज़रों से देखने लगे।

6- ये भी बईद नहीं है कि यहूदियों और ईसाईयों की तरफ़ से तहरीफ़े

क़ुर्आन में शुब्हा पैदा करना उनकी जानिब से एक तरह का रद्दे अमल हो जैसा कि क़ुर्आने मजीद ने उनकी किताबों तौरेत और इंजील के बारे में मुतवज्जेह किया है कि इन दोनों मज़हबों के मानने वालों ने अपनी-अपनी किताबों में तहरीफ़ कर डाली है लिहाज़ा वो चाहते थे कि तौरैत और इंजील की तरह क़ुर्आने मजीद के मत्न में किसी तरह का शक व शुब्हा कर सकें तो इस तरह उनके मज़ाहिब के मुक़ाबले में मज़हबे इस्लाम में कोई इम्तियाज़ बाक़ी नहीं रह जाएगा। इस तरह इस्लामी किताब क़ुर्आने मजीद और उनकी किताबें तौरैत और इंजील इस एतिबार से बिल्कुल एक जैसी हो जाएँगी।

ख़ुदावंदे आलम का इरशाद है किः ''बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं कि तुम्हें भी ईमान के बाद काफ़िर बना लें वो तुमसे हसद रखते हैं.....।''[1]

7- क़ुर्आन में तहरीफ़ का शुब्हा पैदा करने का एक और बड़ा सबब जो अस्रे हाज़िर में सामने आया है, वो एक मुजरिमाना ज़हन के हामिल शख़्स की तरफ़ से है जिसने माले ख़ुदा औक़ाफ़ (वक़्फ़ की जमा) में बेईमानी के जुर्म पर पर्दा डालने और इस सज़ा से बचने के लिए पहले फ़ितना फैलाना शुरू किया और फिर इस्लाम दुश्मन ताक़तों का मोहरा बनकर इस्लाम की मुक़द्दस किताब और उसकी बुनियाद पर हमला कर डाला। पहले अदालत में मुक़द्दमा दर्ज कराने की कोशिश की अदालत की तरफ़ से इसके मुक़द्दमे को ख़ारिज कर दिया गया और उस पर जुर्माना आएद किया गया।

इसके बावजूद उसका ये अमल जहाँ क़ुर्आने मजीद पर हमला है वहीं हिन्दुस्तान की अदालते आलिया की तौहीन भी है। उम्मीद है अदालते आलिया की तरफ़ से उसे उसके इस घिनौने जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ज़ाहिर है इसके ज़रिए क़ुर्आने मजीद के तहरीफ़ शूदा मुसव्वदे की तरतीब और इशाअत हरगिज़ मुम्किन न होती अगर उसकी पुश्तपनाही करने वाली साम्राजी ताक़तें उसके पीछे न होतीं। शैतान का आला-ए-कार ये फ़ित्ना परवर तो एक ना एक दिन अपनी ज़िन्दगी के दिन पूरे करके अपने अंजाम को पहुँच ही जाएगा। लेकिन इसके पीछे

---

[1] सूरए बक़रा आयत-109

कारफ़रमा ताक़तों की साज़िशें बहरहाल रह जाएँगी अगरचे वादा-ए-इलाही के मुताबिक़ उनकी कामयाबी नामुमकिन है। क़ुर्आने मजीद ख़ुदावंदे आलम की नाज़िल की हुई किताब है और वही उसका मुहाफ़िज़ है। इरशादे इलाही है:

''इन्ना नहनु नज़्ज़लनज़ ज़िक्र व-इन्ना लहु ल हाफ़िज़ून''[1]

हमने ही इस क़ुर्आन को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं।

लेकिन मुसलमानों के लिए एक मर्तबा फिर होशयारी का मौक़ा है कि पहले से ज़्यादा क़ुर्आने मजीद की तिलावत, उसके हिफ़्ज़ उसकी समझ और उस पर अमल करने पर तवज्जोह दें ताकि इस्लाम की हक़ीक़ी अमली ख़ूबसूरत तस्वीर दुनिया के सामने पेश हो सके और इस्लाम दुश्मन ताक़तों के ज़रिए बनाई गई तालिबानी और दाईशी कार्टूनी शक्ल के नुक़ूश को मिटाया जा सके, जिसने इस्लाम को बदनाम करने और इस्लाम के दुश्मनों को अपनी साज़िशें कामयाब करने का मौक़ा दे रखा है।

❖❖❖

[1] सूरए हिज्र आयत-9

छठी बहेस

तहरीफ़ के बारे में वारिद होने वाली ग़लत रिवायात और इस मौज़ू के बारे में सही मौक़फ़ की वज़ाहत

इस सिलसिले में हम सबसे पहले अहले सुन्नत के हवालों में पाई जाने वाली रिवायात के बारे में वज़ाहत करेंगे।

यहाँ पर अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद रिवायत के नमूने पेश करेंगे साथ-साथ उनकी तावील में पेश किए जाने वाले बयानों को वाज़ेह करेंगे और उसके बातिल और ना-काबिले क़बूल होने की वज़ाहत करेंगे।

इन्हीं चंद नमूनों से इन जैसी दीगर रिवायात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ऐसी रिवायात की चंद क़िस्में हैं:-

1. पहली क़िस्म उन रिवायात की है जिनमें कुछ सूरों और आयतों जैसे जुमले पेश किए गए हैं जिनके बारे में उनका नाक़िस गुमान है कि वो क़ुर्आने करीम का हिस्सा थे और उन्हें निकाल दिया गया या कुछ के बारे में गुमान किया जाता है कि उनकी तिलावत को मंसूख़ कर दिया गया या उन्हें दीमक खा गई। इसके चंद नमूने हैं:

(अ) सूरए अहज़ाब सूरए बक़रा के बराबर था

आएशा से रिवायत है कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के ज़माने में सूरए अहज़ाब की तिलावत होती थी तो इसमें दो सौ आयतें थीं लेकिन आज हम उनमें से सिर्फ़ इतनी आयतों तक पहुँच रखते हैं जितनी आज क़ुर्आने मजीद के इस सूरे में पाई जाती हैं। राग़िब की किताब में सौ आयतों का तज़किरा है।

(ब) उमर, उबैय इब्ने कअ़ब और इब्ने अब्बास के ग़ुलाम अकरमा से

रिवायत है कि सूरए अहज़ाब सूरए बक़रा के बराबर या उससे बड़ा था। इसमें आय-ए-रज्म भी थी।

इब्ने सलाह ने इस ज़्यादती को इसकी तफ़सीर होने पर हम्ल किया है, इब्ने हज़्म और सुयूती ने इसकी तिलावत के मंसूख़[1] होने पर हम्ल किया है। इन रिवायत पर ग़ौर करने वाला महसूस करेगा कि इन दो तरह की रिवायात में सूरए अहज़ाब की मिक़दार के बारे में कितना ज़्यादा और नुमायाँ इख़्तिलाफ़ पाया जाता है और यही वो अम्र है जो इन रिवायात के सही न होने और उनके बातिल होने की निशानदेही करता है और इस दूसरी हदीस में वारिद होने वाली आय-ए-रज्म के बारे में चौथी किस्म के ज़ेल में वज़ाहत की जाएगी।

2. दूसरी क़िस्म की रिवायत है कि उसने बसरा के क़ारियों से कहा कि हम एक सूरे की तिलावत करते थे जो तिलावत और सख़्ती में सूरए बराअत से मुशाबेह (मिलता) था। मैं अब उस सूरे को भूल गया, हाँ उसका कुछ हिस्सा मुझे याद है।

अगर इब्ने आदम के लिए दो वादियाँ होती जिनमें माल भरा होता तो एक तीसरी वादी की तलाश में रहता और इसका पेट सिर्फ़ मिट्टी से ही भरता।

इब्ने सलाह ने इसको हदीस (सुन्नत) पर हम्ल किया है और बयान किया है कि ये बात हदीसे रसूल[स.अ.] की सूरत में मशहूर है और ये नबीये अकरम[स.अ.] का कलाम है जिसके बारे में ख़ुदावंदे आलम ने क़ुर्आने मजीद में कोई हिकायत नहीं की है और इसकी ताईद इस हदीस से होती है जिसे अब्बास इब्ने सहल ने नक़्ल किया है कि मैंने मुनीर पर इब्ने ज़ुबैर को ये कहते हुए सुना कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ने फ़रमाया कि अगर इब्ने आदम को दो वादियाँ अता कर दी जाएँ ....

ज़ुबैदी ने मुतवातिर[2] अहादीस में से इस हदीस को चवालीसवीं हदीस शुमार किया है और कहा है कि इसको पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] के 15 असहाब ने नक़्ल किया है और अहमद ने अपनी किताबुल मुसनद में अबी वाक़िद अल-लैसी से नक़्ल किया है कि ये हदीस, हदीसे क़ुदसी है।

---

[1] जिसको रद्द करा जा चुका हो।

[2] तवातुर के साथ

लेकिन अबू मूसा अशअरी का ये कहना कि एक सूरा था जो अपनी मिक़दार और सख़्ती में सूरए बक़रा से मुशाबेह था इसलिए बातिल है कि ऐसा कोई सूरा होता तो औरों को भी इसका इल्म होता और पैग़म्बर इस्लाम[स.अ.], आपके असहाब; वह्यी लिखने वाले नीज़ क़ुर्आन हिफ़्ज़ करने और उसकी तिलावत करने वाले अफ़राद इससे हरगिज़ ग़फ़लत ना बरतते।

3. तीसरी किस्म उन अहादीस की है जो सूरए ख़ुला और हफ़्द के बारे में वारिद हुई हैं।

रिवायत की गई है कि दो सूरे, सूरए खुला और हफ़्द इब्ने अब्बास, उबैय इब्ने कअ़ब और अब्दुल्लाह-इब्ने मसऊद के मुसहफ़ में थे और उमर इब्ने ख़त्ताब नमाज़ में उन्हें क़ुनूत के तौर पर पढ़ते थे और अबू मूसा अशअ़री भी उनकी तिलावत करते थे। वो सूरे इस तरह थेः-

(अ) अल्ला-हुम्मा इन्ना नस्तईनु-क व नस्तग़फ़िरु-क व नस्ना इलै-क् वला नुकफ़्फ़ु-क व नख़्लअु व नतरुकु मंय यफ़्जुरु-क।

बारे इलाहा! हम तुझसे मदद माँगते हैं, तुझसे बख़्शिश चाहते हैं, तेरी हम्द व सना करते हैं। हम किसी तरह तेरा इन्कार नहीं करते। हम उस शख़्स से दूरी चाहते हैं और उसे छोड़ देते हैं जो तेरे बारे में फ़िस्क़ व फ़ुजूर से काम लेता है।

(ब) अल्लाहुम-म इय्या-क नअ़बुदु व ल-क नसुलि व-नस-जुद व इलैक् नसआ़ व नहफ़ुद नरजु रहमति-क व नख़्शा अज़ाबि-क इन-न अज़ाबि-क बिल काफ़िरीन मुल्हिक़

बारे इलाहा! हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ़ तेरे लिए नमाज़ पढ़ते हैं, तेरी बारगाह में सजदा करते हैं और हमारी सारी मेहनतों और कोशिशों की आमाजगाह सिर्फ़ तेरी ज़ात है। हम तुझसे लौ लगाते हैं, तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तेरे अज़ाब से डरते हैं और बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरीन को अपनी लपेट में लेने वाला है।

इन दोनों तरह के फ़िक़रों को ज़रक़ानी, बाक़लानी, जज़ीरी वग़ैरा ने दुआ पर हम्ल किया है और साहिबे इन्तिसार ने बयान किया है कि क़ुनूत की गुफ़्तुगू रिवायत है जिसे उबई इब्ने कअ़ब ने अपने मुसहफ़ में शुमार कर लिया है और उसने अपने मुसहफ़ में बहुत सी ऐसी चीज़ों को शामिल और साबित कर लिया है जो क़ुर्आन नहीं बल्कि दुआ या तावीले क़ुर्आन हैं। ये दुआ दुर्रे मंसूर, इत्क़ान, सुन-ने कुबरा और मुसन्निफ़ (किताबों के

नाम) वग़ैरा में इब्ने ज़रस, बैहक़ी और मुहम्मद इब्ने नस्र ने ज़िक्र की है और उन लोगों ने खुलकर उसके क़ुर्आन होने की बात नहीं कही है।

4. आय-ए-रज्म

मुतअद्दिद तरीक़ों से उमर इब्ने ख़त्ताब के बारे में रिवायत की गई है कि उन्होंने बयान किया कि ख़बरदार कहीं आया-ए-रज्म के बारे में हलाकत में मुब्तला न हो जाना। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है अगर लोग ये न कहें कि उमर ने किताबे ख़ुदा में इज़ाफा किया है। मैंने लिखा है कि बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत अगर ज़िना करे तो ख़ुदा की तरफ़ से सज़ा के तौर पर इन दोनों को ज़रूर-ज़रूर संगसार कर दो और ख़ुदा साहिबे इज़्ज़त व हिकमत है। हम ने ये आयत पढ़ी है।

इब्ने इशित्ता ने मसाहिफ़ू में लैस इब्ने सअ्द से रिवायत की है कि उमर ज़ैद के पास आया-ए-रज्म को लेकर आए, ज़ैद ने उसे नहीं लिखा इसलिए कि उमर अकेले थे।

अबू जाफ़र नहास ने उसे क़ुर्आन के बजाए हदीस (सुन्नत) पर हम्ल किया है और कहा है कि इस हदीस की सनद सही है अलबत्ता इसमें बयान होने वाला हुक्म क़ुर्आने मजीद का वो हुक्म नहीं है जिसे एक जमाअ्त ने दूसरी जमाअत से नक़्ल किया है। हाँ ये सुन्नत (रिवायत के तौर पर साबित है और कभी-कभी इन्सान क़ुर्आन के अलावा हदीस वग़ैरा के लिए भी इस तरह बोलता है कि हम ऐसे पढ़ते थे उसकी दलील ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये कहा जाए कि उमर ने क़ुर्आने मजीद में इस फ़िक़रे को बढ़ा दिया है।

5. आय ए- जिहाद

रिवायत की गई है कि उमर ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ से कहाः क्या तुम्हें वो आयत मिली जो हमारे बारे में नाज़िल हुई हैः "तुम जिहाद करो जैसे पहली मर्तबा जिहाद करते हो। मुझे ये आयत नहीं मिली।" उन्होंने कहा कि ये आयत इन चीज़ों के साथ जो क़ुर्आने मजीद से कम की गई हैं साक़ित हो चुकी है।

यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या क़ुर्आन जमा करने से मुतअ़ल्लिक़ अहादीस में हम ये नहीं बयान कर चुके हैं कि कोई भी आयत सहाबा में से दो गवाहों की गवाही से लिखी जाती थी कि हाँ ये आयत क़ुर्आने मजीद में नाज़िल हुई है। इसलिए उमर और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ ने एक आयत

के बारे में गवाही देने से इन्कार कर दिया। ये इस रिवायत के गढ़े होने पर सबसे वाज़ेह और यक़ीनी दलील है वरना ये आयत जिसके बारे में दावा किया गया है कि इस्लामी दुनिया के गोश व कनार में क़ुर्आन लिखने वालों और उसे हिफ़्ज़ करने वालों से किस तरह दूर रह जाती और सिर्फ़ उमर और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ को इसके बारे में ख़बर होती।

6. आय-ए-रिज़ाअ्ल-कबीर (दस दिन दूध पिलाने की आयत)

आएशा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि आय-ए-रज्म और आय-ए-रिज़ाअ्ल-कबीर अश्र (दस दिन तक बड़े रेज़ाअ् की आयत) एक सहीफ़े में मेरे बिस्तर के नीचे रखी थी। जब रसूले इस्लाम[स.अ.] की वफ़ात हुई तो हम आपकी मौत में घर गए और दीमक ने उसे खा लिया।

इस रिवायत से ज़ाहिर होता है कि क़ुर्आने मजीद के इस हिस्से को आएशा के अलावा किसी और ने न हिफ़्ज़ किया है और न ही तहरीर किया। ये एक इन्तिहाई बईद और अजीब व ग़रीब बात है। उस वक़्त तमाम सहाबा, हाफ़िज़ाने क़ुर्आन और क़ुर्आने मजीद लिखने वाले कहाँ चले गए थे।

सरख़सी का बयान है कि आएशा की हदीस का सही होना बईद है इसलिए कि इस सिलसिले में हाफ़िज़ाने क़ुर्आन के दिलों से ये बात किसी तरह मिट नहीं सकती है और ना उसका दूसरे सहीफ़ों में लिखा जाना कोई मुश्किल काम था। इसका मतलब ये है कि इस हदीस की कोई बुनियाद नहीं है।

इसी तरह हदीस में मज़कूरा आय-ए-रज्म की ब-निसबत ये बयान किया जा चुका है कि उसे क़ुर्आन नहीं माना जा सकता क्योंकि वो उन रिवायात में से है जो ख़बरे वाहिद के हुक्म में आती हैं और रज्म का हुक्म उन हदीसों में से है जो पैग़म्बरे इस्लाम से साबित हो चुकी हैं।

और ये हुक्म जो दस दिन दूध पिलाने (रिज़ाअ् कबीर) के तौर पर ज़िक्र हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ आएशा से रिवायत है और इस सिलसिले में बाक़ी तमाम अज़्वाज का क़ौल उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है उनमें से किसी एक ने भी इसे नहीं माना है। इसी तरह इब्ने मसऊद ने अबू मूसा अशअ्री के सामने इसका इन्कार किया है और कहा है कि रिज़ाअ्त (दूध पिलाने) की बिना पर महरम हो जाने का हुक्म उस वक़्त लगाया जाता है जब उस दूध से गोश्त उग आए और ख़ून बन जाये।

अशअरी ने इस हुक्म के लिए बक़िया तमाम असहाबे नबी, कातेबीने वह्यी, हाफ़िज़ाने क़ुर्आन और दीगर अफ़राद की तरफ़ रुजूअ् किया तो उन्हें इस क़ौल के लिए आएशा के अलावा कोई और क़ाएल नज़र नहीं आया। अगर ये रिवायत सही भी हुई तो रसूले इस्लाम[स.अ.] की एक रिवायत होगी जिसे आएशा ने क़ुर्आन समझ कर लिख लिया है जैसा कि बर्रा इब्ने आज़िब से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ने फ़रमाया : ‘‘अल्लाह और उसके फ़रिश्ते पहली सफ़ों पर दुरूद भेजते हैं।’’ और आएशा से रिवायत है कि पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] ने फ़रमायाः ‘‘अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो सफ़ों में पहुँचते हैं।’’ शायद ये भी उन चीज़ों में से है जिसे मुसहफ़ के हाशिए पर लिखना चाहिए था। इसलिए कि वो लोग जिस चीज़ की रिवायत करते थे, उसकी अहमीयत व अज़्मत के पेशे नज़र उसे अपने मख़्सूस मुसहफ़ पर तहरीर कर लिया करते थे।

इसके अलावा आख़िरी बात इस सिलसिले में ये भी कही जा सकती है कि जिन बहुत सी इबारतों के बारे में क़ुर्आन होने का दावा किया जाता है उनमें अगर ग़ौर किया जाए तो ज़बान व अदब और क़ुर्आने मजीद के उस्लूब व आहंग (तौर तरीक़े) और इसकी बुलंद व बाला बलाग़त बयान से बिल्कुल अजनबी नज़र आती हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि वो ख़ुदाए ख़ालिक़ व बुरहान का कलाम नहीं है और उसमें क़ुर्आने मजीद से न कोई हमाहंगी है, न उसकी चाश्नी पाई जाती है और न वो सलासत मौजूद है जो क़ुर्आने मजीद में पाई जाती है। इस इबारत में क़ुर्आन की कोई भी नुमायाँ ख़ूबी नहीं है। क़ुर्आने करीम ऐसी रकीक, सुबुक, पस्त और हक़ीर इबारतों से पाक और मुनज़्ज़ह है। ये ख़ुसूसियात मख़लूक़ की इबारतों का ख़ास्सा हैं। ये रबुल्ल आलमीन के लिए किस तरह मुनासिब हो सकता है और ऐसे कलाम को क्योंकर किताबे मुबीन कहा जा सकता है।

जो हमारी इस गुफ़्तुगू की तफ़सील को जानना चाहता हो वो शेख़ बलाग़ी की तफ़सीर अल-आला-उर-रहमान की तरफ़ रुजूअ् करे वहाँ इसमें इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सील ज़िक्र हुई है।

इस सिलसिले में ये बात भी क़ाबिले मुलाहिज़ा है कि इन इबारतों में बहुत सी इबारतें हदीसे नबवी या सुन्नत और अहकामे इलाही के बयान से मुतअ़ल्लिक़ हैं जिनको लोगों ने कलामे इलाही समझ रखा है जैसा कि

पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] का ये क़ौलः ''बच्चा उसी का शुमार होगा जिसकी ज़ौजियत में बच्चो की माँ है और इन्कार करने वाले को सज़ा मिलेगी।'' इसे आयत समझ लिया गया है जबकि इसके बारे में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये हदीस है।

इसी तरह इन इबारतों में ये भी देखने की बात है कि ये मुतअद्दिद अल्फ़ाज़ और अलग-अलग इबारतों की सूरत में नक़्ल हुई हैं। अगर वो क़ुर्आन की इबारतें होतीं तो उनके अल्फ़ाज़ एक ही जैसे होते।

नस्ख़ की क़िस्में और नस्ख़े तिलावत का तजज़िया और उसकी रद्द में दलीलें

नस्ख़ (delete or cancelled) की क़िस्में

1- हुक्म मंसूख़[1] हुआ तिलावत नहीं।

ये वो क़िस्म है जिसके बारे में क़ुर्आने मजीद की मुहकम आयात में गुफ़्तुगू है। ये ओलमा और मुफ़स्सिरीन के दरमियान मशहूर है। ये एक माक़ूल और काबिले क़बूल बात है इसलिए कि अहकाम एक मर्तबा नाज़िल नहीं हुए बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता नाज़िल होते रहे ताकि लोग उन्हें आसानी से अपनी ज़िन्दगी में शामिल करने में अजनबियत महसूस न करें और अक़्ल भी उन्हें आसानी से क़बूल कर ले।

लिहाज़ा कुछ अहकाम मंसूख़ कर दिए गए और उनको बयान करने वाले अल्फ़ाज़ बाक़ी रह गए। इन अल्फ़ाज़ को कुछ तरबियती पहलूओं और शरई मसलहतों की बुनियाद पर बाक़ी रखा गया जिसकी बिना पर ख़ुदावंदे आलम ने उन्हें याद रखवाना ज़रूरी समझा।

2- तिलावत मंसूख़ हुई हुक्म नहीं।

इसके लिए आया-ए-रज़्म की मिसाल दी गई है और ज़िक्र किया गया है कि ये आयत क़ुर्आने करीम में थी और फिर उसकी तिलावत को नस्ख़ कर दिया गया और इसका हुक्म बाक़ी रह गया।

3- तिलावत और हुक्म दोनों का एक साथ मंसूख़ होना।

इसके लिए आय-ए-रेज़ाअ़त की मिसाल दी गई है।

और गुज़िश्ता बहस में बयान हो चुका है कि क़ुर्आने मजीद में कमी

---

[1] वो चीज़ जिसे रद्द किया जाता है, repealed

और नुक़सान पर दलालत करने वाली रिवायात को कुछ लोगों ने इन आयात पर हम्ल किया है जिनकी तिलावत मंसूख़ हो चुकी है लेकिन अहकाम बाक़ी हैं या जिनकी तिलावत और हुक्म दोनों एक साथ मंसूख़ हो चुके हैं लेकिन जो बात इसे मानने और तस्लीम करने की राह में रुकावट है वो ये है कि ये क़ौल तहरीफ़े क़ुर्आन के अक़ीदे का सबब बनता है जिसकी रद्द में दलीलों के सिलसिले में सही किताबों और मोअ़्तबर मसानीद[1] में आपसी तंज़ व तशनीअ़ (taunting) तक पहुँचती है या इस तरह उन अस्ल मुतून की कमज़ोरी साबित होती है जिन्हें उन्होंने नक़्ल किया है और इस बात में कोई शक व शुब्हा नहीं है कि नस्ख़ की आख़िर वाली दोनों क़िस्मों का क़ाएल होना तहरीफ़े क़ुर्आन का क़ाएल होना है और ये क़ौल मुंदरजा ज़ैल वजहों की बिना पर बातिल है:-

1- अक़्ल की रौशनी में ये मोहाल है कि सिर्फ़ अल्फ़ाज़ मंसूख़ हों और हुक्म बरक़रार रहे इसलिए कि हुक्म को बयान करने के लिए अल्फ़ाज़ बहरहाल ज़रूरी हैं उनके बग़ैर कोई हुक्म पहुँचाया नहीं जा सकता। अगर लफ़्ज़ ही उठा लिया जाएगा तो इस हुक्म पर दलालत और इसकी तर्जुमानी कौन करेगा? हुक्म लफ़्ज़ का ताबेअ़ होता है। ये कैसे मुम्किन है कि अस्ल को हटा लिया जाए और ताबेअ़ बरक़रार रह जाए।

2- नस्ख़ खुद एक हुक्म है और हुक्म पर कोई न कोई दलील होना चाहिए बग़ैर दलील के कोई हुक्म क़ाबिले क़बूल नहीं हो सकता। हुक्म और दलील कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते और जैसा कि मुलाहिज़ा किया गया गुज़िश्ता दलीलों में से किसी के मंसूख़ होने पर कोई दलील नहीं है। उनका मंसूख़ होना कहीं नक़्ल नहीं हुआ है और उनके बारे में कहीं कोई दलील नहीं पाई गई। हदीसे नबवी में इसके मंसूख़ होने का तज़किरा नहीं हुआ है जब कि अगर हुक्म मंसूख़ हुआ था तो उसके बारे में उम्मते मुस्लिमा को बा-ख़बर करना ज़रूरी था जिस तरह उसके नाज़िल होने के बारे में आगाह किया गया था जब कि आपकी तरफ़ से ऐसी कोई ख़बर हम तक नहीं पहुँची है। इसका मतलब ये है कि नस्ख़े हुक्म का क़ौल बातिल है।

3- वो रिवायात जिनमें नस्ख़े तिलावत की बात कही गई है वो सब के

[1] वो किताबें जिसमें ओलमा-ए-इस्लाम सनद के साथ हदीसें नक़्ल करते हैं।

सब ख़बरे वाहिद[1] हैं।[2] जिन्हें नस्ख़े तिलावत को साबित करने के लिए दलील नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कि तमाम ओलमा ने एक आवाज़ होकर इस बात की सराहत की है कि ख़बरे वाहिद के ज़रिये किताबे ख़ुदा के नस्ख़ होने का हुक्म नहीं दिया जा सकता।

क़ीतान ने उसे जम्हूर ओलमा की तरफ़ मंसूब किया है।[3]

और रहमतुल्लाह हिन्दी ने इसकी वजह ये बयान की है कि ख़बरे वाहिद जब किसी अमल का तक़ाज़ा करती हो लेकिन ख़ुद किसी क़तई दलील पर दलालत ना करती हो तो उसका रद्द कर देना वाजिब है।[4]

जबकि शाफ़ई, उनके असहाब और अक्सर अहले सुन्नत अख़बारे मुतावातिर के ज़रिए भी किताबे ख़ुदा के नस्ख़ न होने का यक़ीने कामिल रखते हैं और अहमद बिन हम्बल ने भी उनसे नक़्ल की जाने वाली दो रिवायतों में से एक में इसी बात की सराहत की है बल्कि जो भी सुन्नते मुतावातिर के ज़रिए किताबे ख़ुदा के मंसूख़ हो जाने के इम्कान का क़ाएल है, वो भी ऐसा वाक़ेअ् होने का इन्कार करता है यानी उसकी नज़र में ऐसा हो तो सकता है लेकिन हुआ नहीं है।[5] लिहाज़ा किसी तरह भी ये दावा नहीं किया जा सकता कि हुक्म बाक़ी रहे और आयत की तिलावत को मंसूख़ कर दिया जाए ख़ासतौर से जब ऐसा कहे जाने वाली रिवायत ज़ईफ हों और ख़बरे वाहिद के ज़रिए ऐसा साबित करने की कोशिश की जाए जिसका मत्न भी मेअ्यारी न हो।

4- कुछ ओलमा-ए-मोतज़िला और आमतौर पर तमाम ओलमा-ए-शीअः नस्ख़ की आख़िर वाली दोनों किस्मों का इंकार करते हैं।

और इन दोनों को तहरीफ़ का क़ाएल होना तसव्वुर करते हैं। इसी तरह इन दोनों क़िस्मों का अक्सर सुन्नी ओलमा और मुहक़्क़ेक़ीन ने भी इन्कार किया है वो चाहे पहले वाले हों या आज में से।

क़ाज़ी अबू बक्र ने इन्तिसार में एक जगह नस्ख़ की दूसरी क़िस्म के

---

[1] वो जो मुतावातिर ना हों, incomplete chain of narration
[2] अल-मुवाफ़िक़ात लिश-शाती 10–63
[3] मबाहिस फ़ी उलूमिल क़ुर्आन 237
[4] इज़हारुल हक़ 2:90
[5] अहकामे आमदी 3:139, उसूलुस सुर्ख़ी 2:67

इन्कार की हिकायत की है। इसी तरह इब्ने ज़फ़र ने अपनी किताब यम्बूअ् में भी इसका इन्कार किया है और अबू मुस्लिम से नक़्ल हुआ है कि नस्ख़े तिलावत शरई नुक़्ता-ए-नज़र से ना-मुम्किन और नाक़ाबिले क़बूल है।[1]

नस्ख़े तिलावत का बातिल होना

नीचे कुछ अहले सुन्नत मुहक़्क़िक़ीन के क़ौल पेश किए जा रहे हैं, जिसमें नस्ख़े तिलावत के क़ौल का बातिल होना साबित किया गया हैः-

1- ख़ुज़री का बयान है कि हमें किसी ऐसी आयत के मअ्नी का इल्म नहीं है जिसे ख़ुदावंदे आलम ने नाज़िल किया हो कि उसके ज़रिए कोई हुक्म बयान किया हो और फिर उस आयत को नस्ख़ कर दिया (लिया) हो इसलिए कि क़ुर्आने मजीद में बयाने अहकाम के साथ-साथ एक ख़ास नज़्म व तरतीब भी है। किसी आयत के हुक्म को उठा लेने के बाद ख़ुद आयत को बाक़ी रखने में क्या मसलेहत और इसकी ज़रूरत रह जाती है। ये बात नाक़ाबिले फ़हम है और मेरी नज़र में कोई ऐसी मसलेहत नहीं है जिसकी बिना पर इस नज़रिए का क़ायल हुआ जाए।[2]

2- डाक्टर सुबही सालेह का कहना हैः
बड़ी अजीब जुर्रत है। नस्ख़ की आख़िरी दोनों क़िस्मों के क़ाएल होने में चाहे वो हुक्म को बाक़ी रख के सिर्फ़ तिलावत के मंसूख़ होने की इल्लत हो या तिलावत के साथ-साथ हुक्म का भी मंसूख़ होना साबित किया जाए जैसा कि कुछ अफ़राद का ख़याल है कि उनके ज़रिए इस नस्ख़ को मुख़्तलिफ़ क़िस्मों में बाँटना उस वक़्त सही होता है जब हर किस्म के लिए बहुत से या कम से कम काफ़ी होने की हद तक गवाह हों और उनके ज़रिए किसी आम क़ाएदे का इस्तेंबात मुम्किन हो। क्योंकि नस्ख़ होने के नज़रिये से लगाव रखने वाले नस्ख़ की मज़कूरा दोनों क़िस्मों के बारे में सिर्फ़ एक या दो गवाह के ज़िक्र करने पर इक्तिफ़ा करते हैं और इस सिलसिले में वो जो कुछ बयान करते हैं वो चंद ख़बरे वाहिद के अलावा और कुछ नहीं है जबकि ये बात वाज़ेह है

[1] अल-बुरहान फ़ी उलूमिल क़ुर्आन 2:47
[2] अल-तहक़ीक़ फ़ी नफ़ीयित तहरीफ़ 279 सियानतुल क़ुर्आन मिनत तहरीफ़ 30

कि क़ुर्आने मजीद के नुज़ूल या उसके मंसूख़ होने को क़तई तौर पर साबित करने के लिए ख़बरे वाहिद की कोई हैसियत भी नहीं है।[1]

3- डाक्टर मुस्तफ़ा ज़ैद कहते हैं:-
ऐसी आयात का तसव्वुर जिनका हुक्म बाक़ी और तिलावत मंसूख़ हो गई हो हमारे लिए सिर्फ़ एक मफ़रूज़े (assumption) की हैसियत रखता है जिसका ख़ारिज में कोई वजूद नहीं है इसीलिए हम उसे नज़र अंदाज कर देते हैं और हमारी नज़र में ऐसा नज़रिया ना माक़ूल और ना-क़ाबिले क़बूल है।[2]

4- अब्दुर्रहमान जज़ीरी का कहना है कि जिन रिवायात में मिन किताबिल्लाह का कलेमा ज़िक्र हुआ है। उनका मतलब ये है कि वो किताबे ख़ुदा में था और बाद में अह्दे रसूले इस्लाम[स.अ.] ही में उसे मंसूख़ कर दिया गया। लिहाज़ा उनके ऊपर लफ़्ज़े क़ुर्आन का इतलाक़ नहीं होगा यानी न उन्हें क़ुर्आन कहा जा सकता है और न उन पर क़ुर्आन का हुक्म लगाया जा सकेगा।
ऐसी सूरत में रिवायात इन कलेमात पर हदीस व रिवायत होने का हुक्म लगाती हैं लिहाज़ा अगर ये तावील मुम्किन न हो तो हमारा अक़ीदा और नज़रिया है कि वो हुक्मे शरई पर दलालत करने की सलाहियत नहीं रखतीं। इसलिए कि उनकी दलालत उनके अल्फ़ाज़ और सीग़ों के इस्तेमाल पर मौक़ूफ़ है) जिसका इन्कार बिल इत्तेफ़ाक़ सही है। लिहाज़ा सबसे बेहतर यही है कि ऐसी रिवायात को छोड़ ही दिया जाए। इसी में मुकम्मल तौर पर भलाई है।[3]

5- इब्ने ख़तीब का बयान है कि जो लोग कुछ आयात के बारे में उनके हुक्म को बाक़ी रखते हुए सिर्फ़ तिलावत के मंसूख़ होने का दावा करते हैं। इसको कोई बाइज़्ज़त शख़्स नहीं क़बूल कर सकता इसलिए कि वो ख़ुदा की तरफ़ से अता की गई अक़्ल व ख़िरद की रौशनी में सबसे पहले उसे परखने की कोशिश करेगा और ये ग़ौर करेगा कि इसमें आख़िर क्या हिकमत व मस्लेहत हो सकती है कि ख़ुदावंदे आलम

---
[1] मबाहिस फ़ी उलूमिल क़ुर्आन 265
[2] फ़त्हुल मनाल 229
[3] अल-फ़िक़्हु अलल मज़ाहिबिल अरबआ़ 4:260

किसी आयत में बयान होने वाले हुक्म को बाक़ी रखते हुए उसकी तिलावत को मंसूख़ कर दे। किसकी हिकमत और मस्लेहत की बुनियाद पर ऐसा हो सकता है कि कोई वाजिबुल इताअत हुक्म अपनी जगह पर बाक़ी है और उस पर दलालत करने वाले अल्फ़ाज़ को मंसूख़ कर दिया जाए जबकि उस पर अमल करने का हुक्म अपनी जगह पर बाक़ी रहे। इस तरह के नस्ख़ के काएल होने वाले अपने बातिल नज़रिये पर दलील में इस तरह की आयतों को पेश करते हैं और उनके मंसूख़ हो जाने का दावा करते हैं जबकि ख़ुदा जानता है कि ये क़ुर्आने मजीद की आयतें और इसका जुज़ नहीं हैं अगर ऐसा होता तो सहाबा इससे ग़ाफ़िल न रहते और गुज़िश्ता सालेहीन उसे अपने सहीफ़ों या मुसहफ़ों में दर्ज ज़रूर करते।[1]

दूसरी क़िस्म की रिवायात

वो रिवायात जिनमें ग़लती या लहजे की अदायगी की बिना पर तब्दीली का दावा किया गया हैः-

1- उस्मान से रिवायत है कि मुसहफ़ (क़ुर्आने मजीद) में लहजे के एतिबार से कुछ बातें ख़िलाफ़े अरब हैं जिसके बारे में अरब लोग सही अदायगी करते हैं। लोगों ने पूछा क्या ये क़ुर्आने मजीद में तब्दीली नहीं है? उस्मान ने कहा होने दो, इससे हराम हलाल या हलाल हराम नहीं हो रहा है।[2]

   इब्ने अशित्ता ने हदीस में वारिद लहन (लहजे के फ़र्क़) को ग़लती और ख़ता पर हम्ल किया है। ख़ासतौर से इस चीज़ के इन्तिख़ाब व इख़्तियार में जो सात हुरूफ़ से ज़्यादा हो या उन चीज़ों के बारे में जिनके अल्फ़ाज़ की अदायगी उनकी तहरीर के मुताबिक़ नहीं होती।

   बेहतर है कि ऐसी रिवायत की रद्द में दलीलें दी जाएँ और इस पर कोई तवज्जोह ना करते हुए बिल्कुल नज़र अंदाज कर दिया जाए जैसा कि दानी, राज़ी, नैशापूरी, इब्ने अंबारी, आलूसी, सख़ावी, ख़ाज़िन, बाक़लानी और बहुत से दूसरे अफ़राद या जमाअतों ने कहा है।[3]

---

[1] अल-फ़ुरक़ान - 157
[2] अल-इतक़ान - 2:320
[3] तारीख़ुल क़ुर्आन अल-कुरदी - 65, अत-तफ़सीरुल कबीर 11:115

इन लोगों ने इस बात का वाज़ेह तौर पर एलान किया है कि इस रिवायत को दलील बनाना सही नहीं है और ऐसी रिवायत को किसी भी सूरत में हुज्जत नहीं क़रार दिया जा सकता, इसलिए कि इसकी सनद ज़ईफ़ है और इसमें कशमकश, सिलसिल-ए-सनद की कड़ियों में फ़ासले और बहुत सी ग़लतियाँ हैं इसलिए कि मुसहफ़े रसूले अकरम[स.अ.] जैसी शख़्सियत के ज़रिए तवातुर के साथ नक़्ल हुआ है लिहाज़ा इसमें किसी ग़लती और लहजे की तब्दीली का इम्कान नहीं है। इसके अलावा दो दफ़्तियों के दरमियान जो जमा है। इसके कलामे इलाही होने में किसी को भी ज़र्रा बराबर किसी तरह का कोई शुब्हा नहीं है। इस पर तमाम मुसलमानों का इजमाअ़[1] है कि ख़ुदा का कलाम किसी एतिबार से ग़लती और लहजों से मुतअ़स्सिर नहीं हो सकता।

तमाम सहाबा और उनके बाद उम्मते इस्लामी के तमाम ओलमा का नज़रिया है कि क़ुर्आने मजीद का हर-हर लफ़्ज़ बिल्कुल सही है। इसमें ज़र्रा बराबर किसी ग़लती का इम्कान नहीं पाया जाता, ना कातिब की किताबत के एतिबार से और न ही और किसी एतिबार से। ओलमा-ए-इस्लाम ने इस रिवायत के बातिल होने और इसके इन्कार के लिए ये इस्तेदलाल भी किया है कि उस्मान ने क़ुर्आने मजीद को लोगों का क़ाएद और इमाम माना तो फिर किस तरह इसमें ग़लती और लहजे की तब्दीली के क़ाएल हो गए और उसे अरबों की परख के हवाले करने पर राज़ी हो गए और इस तरह की ग़लत और बिगड़ी हुई चीज़ को दूसरों की इस्लाह के सहारे छोड़ गए। क्या उन लोगों ने जो क़ुर्आने मजीद को जमा करने और उसे तहरीर करने के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने उसे परख कर तहरीर नहीं किया था जब कि वो लोग अहले ज़बान, फ़सीह और बज़ाहिर नेक थे और उसके परखने पर मुकम्मल क़ुदरत और सलाहियत रखते थे।

लिहाज़ा उन लोगों ने किताबे ख़ुदा में किसी तरह की ग़लती कैसे छोड़ दी और लहजे की बिना पर इसमें कोई कमी कैसे रहने दी कि उसे उनके अलावा दूसरे लोग ठीक करें। इसके अलावा उस्मान ने सिर्फ़ एक ही क़ुर्आन को नहीं लिखवाया बल्कि बहुत से मुसहफ़ तहरीर

---

[1] Collective Agreement

करवाए। इन तमाम मसाहिफ़् में ज़र्रा बराबर भी इख़्तिलाफ़ नहीं पाया गया सिवाए क़िरअ्त और तिलावत के। वो भी इन्तिहाई जुज़्ई इख़्तिलाफ़ात (minor contradictions) के उसे ग़लती और लहजे की कमी नहीं कहा जा सकता।[1]

इसके अलावा इस रिवायत या इस जैसी दीगर रिवायत के बारे में जो चीज़ हमारी गुफ़्तुगू को आसान बनाती है वो ये है कि ये रिवायत इब्ने अब्बास के ग़ुलाम अकरमा ने नक़्ल की जो गुमराहों का सरबराह और बुराई की दावत देने वालों में सबसे आगे और ख़्वारिज का हम-अक़ीदा था।

वो झूठ और इल्ज़ाम तराशी में ज़रबुल-मसल बना हुआ था यहाँ तक कि बड़े ओलमा उसको बुरा समझते हैं और उसे झूठा क़रार दिया है। जैसे इब्ने उमर, मुजाहिद, अता, इब्ने सीरीन, मालिक इब्ने अनस, शाफ़ई, सईद इब्ने मुसय्यब, यह्या इब्ने सईद। मालिक ने उसकी रिवायत नक़्ल करने को हराम क़रार दिया है और मुस्लिम ने भी उससे रुगर्दानी की है।[2]

2- इब्ने अब्बास से ख़ुदावंदे आलम के इस क़ौल ''हत्ता तस-तानिसू व-तसल्लिमू (जब तक मानूस न हो जाओ और सलाम करो)[3] के बारे में रिवायत है कि ये हत्ता तस-ताज़नु था और हत्ता तस-तानिसू ग़लती से लिख गया है।[4]

यहाँ पर मानूस होने से मुराद मालूम करना है यानी जब तक तुम मालूम न करना कि घर में कोई है।

ये रिवायत इब्ने अब्बास पर बोहतान है और वो ऐसी रिवायत हरगिज़ नहीं कर सकते। इसलिए कि इस्लाम में जितने मुसहफ़ हैं सबमें हत्ता तस-तानिसू ही छपा है और रसूले इस्लाम[स.अ.] के ज़माने से आज तक इस पर तमाम मुसलमानों का इजमाअ् है लिहाज़ा इस इजमाअ् के मुक़ाबले में ऐसी रिवायत पर हरगिज़ भरोसा नहीं किया जा सकता।

राज़ी का कहना है कि इब्ने अब्बास की जानिब से इस तरह के किसी

---

[1] रुहुल मआ्नी - 6:13
[2] रुहुल मआ्नी (वफ़ियातुल अअ्यान - 1:319 मीज़ानुल ऐतदाल - 3:93
[3] सूरए नूर आयत - 27
[4] अल-इतक़ान - 2:372

क़ौल में इशकाल है इसलिए कि एक तरफ़ इससे क़ुर्आने मजीद में नुक़सान और ग़लती का शुब्हा होता है जबकि क़ुर्आने मजीद तवातुर के साथ साबित है और दूसरी तरफ़ क़ुर्आने मजीद के बारे में इन अबवाब का खोलना पूरे क़ुर्आने मजीद में शक व शुब्हे का सबब बनेगा और क़ुर्आने मजीद में किसी तरह के शक व शुब्हे का नज़रिया बातिल है।[1]

अबू हय्यान का बयान है कि जिसने भी इब्ने अब्बास से ख़ुदावंदे आलम के इस क़ौल हत्ता तस-तानसू के ग़लत और इस सिलसिले में कातिब के ख़ताकार होने की बात कही है और ये कि उन्होंने हत्ता तस-ताज़नू पढ़ा है, वो काफ़िर, दीन का इन्कार करने वाला दहरिया है और इब्ने अब्बास जैसी अज़ीम शख़्सियत इस जैसे क़ौल से बिल्कुल बरी है।[2]

तीसरी क़िस्म

उन रिवायात की है जो क़ुर्आने मजीद में इज़ाफ़ा किए जाने के दावे की बात करती हैं:-

1- अब्दुर्रहमान इब्ने यज़ीद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद मऊज़तैन को अपने क़ुर्आने मजीद से अलग रखते थे और कहते थे कि ये किताबे ख़ुदा का हिस्सा नहीं हैं।[3]

2- अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से रिवायत है कि उन्होंने अपने क़ुर्आने मजीद में सूरए फ़ातिहा नहीं रखा था। उबैय इब्ने कअ्ब ने भी ऐसा ही किया था।[4]

तहरीफ़ के मानी के बारे में बयान किया जा चुका है। क़ुर्आने मजीद में कुछ इज़ाफ़ा होने के एतिबार से तहरीफ़ नहीं हो सकती और इसके बातिल होने पर इजमाअ् है। इसलिए कि इससे पूरे क़ुर्आने मजीद में शक व शुब्हे की कैफ़ियत पैदा हो जाएगी जिसके हर्फ़-हर्फ़ का तवातुर के साथ नक़्ल होना साबित है और जो क़ुर्आने मजीद में किसी हिस्से का इन्कार करे वो दीन से ख़ारिज है। इब्ने मसऊद की जानिब से ये

---

[1] अत-तफ़सीरुल कबीर - 23:196
[2] अल बहरुल मुहीत - 6:445
[3] मुस्नदे अहमद - 129, अल-आसारुत तफ़सीरिल-कबीर - 1:313
[4] अल-कलामुल अहकाम - 20:251

नक़्ल किया जाना सही नहीं है और ये सदरे इस्लाम से लेकर आज तक के मुसलमानों के इजमाअ् के सरासर ख़िलाफ़ है और सूरए फ़ातिहा और मऊज़्तैन क़ुर्आने मजीद का जुज़ हैं।

इन दोनों रिवायतों के बारे में सही नज़रिया ये है कि इन दोनों रिवायतों का इब्ने मसऊद की तरफ़ मंसूब होने की निस्बत सही नहीं है और उनके बारे में ये नक़्ल किया जाना बातिल और उन पर झूठ बांधना है। जैसा कि इब्ने हज़्म, नौई, क़ाज़ी अबू बक्र, बाक़लानी, इब्ने अब्दुश्शकूर, इब्ने मुर्तज़ा[1] वग़ैरा का बयान है बाक़लानी ने कहा है कि ये रिवायत गढ़ी हुई है और शाज़ व नादिर है।[2]

इन दोनों रिवायतों के गढ़े जाने पर क़िरअ्त की इस रिवायत से साबित किया है जिसे आसिम इब्ने ज़र इब्ने हबीश इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से रिवायत किया गया है और इस क़िरअ्त में सूरए फ़ातिहा और मऊज़्तैन दोनों हैं। अगर वो इन सूरों के क़ुर्आन का जुज़ न होने के क़ाएल होते तो उनको ज़र इब्ने हबीश के लिए क़िरअ्त न करते और क़िरअ्त का ये तरीक़ा ओलमा के नज़्दीक सही है।[3]

इसी तरह कहा गया है कि इब्ने मसऊद के मऊज़्तैन को अपने मुसहफ़ में न रखने की वजह उनकी किताबत को तर्क करना है न कि उनके क़ुर्आने मजीद के जुज़ होने का इन्कार करना। ये उन्होंने पैग़म्बरे अकरम[स.अ.] से सुना था कि आप उनके ज़रिए इमाम हसन[अ.स] और इमाम हुसैन[अ.स] को ख़ुदा की पनाह में देते थे लिहाज़ा उन्होंने ये गुमान किया कि ये क़ुर्आन का जुज़ नहीं है लेकिन जब उनके नज़्दीक इन दोनों सूरों का क़ुर्आने मजीद होना साबित हो गया और इस सिलसिले में तवातुर भी साबित हो गया और इस पर इजमाअ् क़ायम हो गया तो उनके नज़्दीक साबित हो गया कि ये दोनों क़ुर्आने मजीद का जुज़ हैं और इन दोनों सूरों को ज़र इब्ने हबीश के लिए क़िरअ्त किया और इन दोनों को आसिम से लिया गया है।[4]

---

[1] अत-तफ़सीरिल-कबीर - 1:313
[2] एजाज़ुल क़ुर्आन बहामिशुल इत्क़ान के हाशिये पर 2:194
[3] बुरहान ज़रकशी 2:128
[4] शरहे इश्फ़ा - 2:315, मनाहिलुल इरफ़ान - 1:269

शियों में रिवायाते तहरीफ़ की हैसियत

पहली क़िस्मः कमी का दावे करने वाली रिवायात

यहां पर कुछ शीअः किताबों में ज़िक्र हुई चंद रिवायात को पेश करेंगे जिनके बारे में कुछ लोगों का दावा ये है कि ये रिवायात क़ुर्आने मजीद में कमी वाक़ेअ् होने में ज़हूर रखती हैं या उन पर वाज़ेह दलालत करती हैं। इसी तरह उन रिवायात की तावील में पेश की जाने वाली गुफ़्तुगू और उनके क़ुर्आन में किसी तरह की कमी को साबित करने की सलाहियत न रखने को बयान करेंगे नीज़ उनके बातिल और क़ाबिले रद्द होने की गुफ़्तुगू करेंगे अलबत्ता हमारी इस गुफ़्तुगू में सिर्फ़ चंद नमूने ही पेश किए जा सकेंगे बाक़ी तमाम मौक़ों का इन्हें चंद नमूनों पर क़यास किया जा सकता है। ये रिवायात की चंद क़िस्मों में तक़सीम होती हैं।

पहली क़िस्म उन रिवायात की है जिनमें तहरीफ़ का लफ़्ज़ वारिद है।

1- वो रिवायात जो काफ़ी में अली इब्ने सुवैद से नक़्ल हुई हैं कि उन्होंने बयान किया कि अबुलहसन इमाम मूसा काज़िम[अ.स.] को जब आप क़ैदख़ाने में थे मैंने ख़त लिखा। आपने उसका जवाब इस तरह दिया.. .....यहाँ तक कि आपने फ़रमाया इन लोगों को किताबे ख़ुदा का अमानतदार बनाया गया लेकिन उन्होंने इसमें तहरीफ़ की और उसे बदल दिया।[1]

2- इसी तरह वो रिवायत भी है जो इब्ने शहर आशोब ने मनाक़िब में रोज़े आशूरा इमाम हुसैन[अ.स.] के ख़ुतबे के ज़िम्न में नक़्ल की है जिसमें ज़िक्र हुआ कि तुम लोग इस उम्मत के शैतानों में से और जमाअ़तों के परागंदा करने वाले हो.....।[2]

वाज़ेह रहे कि यहाँ पर तहरीफ़ से मुराद आयाते क़ुर्आन के अस्ल

---

[1] अल-काफ़ी - 8:125 हदीस 95

[2] बिहारुल अनवार - 8:45

मानी छोड़कर दूसरे मानी पर हम्ल करना और उन्हें अपने असली मफ़हूम से हटा देना है जिसके लिए मुख़्तलिफ़ क़िस्म की बातिल तावीलात और ग़लत वजह बग़ैर किसी मज़बूत दलील और वाज़ेह हुज्जत के पेश की जाती हैं और सअदुल ख़ैर के साथ इमाम की ख़त व किताबत इस अम्र की वाज़ेह दलील है कि यहाँ पर तहरीफ़ से मुराद क़ुर्आन की बातिल तावील और इसके मअ़नी से खिलवाड़ है।

इमाम ने फ़रमायाः जिन लोगों ने किताबे ख़ुदा से मनमाना फ़ायदा उठाना चाहा उन लोगों ने इसके अल्फ़ाज़ व हुरूफ़ को बाक़ी रख के इसके मानी में तहरीफ़ की, वो लोग उसके अल्फ़ाज़ की रिआयत तो करते हैं लेकिन इसके मानी की रिआ़यत नहीं करते।[1]

यानी उन लोगों ने क़ुर्आने मजीद के अल्फ़ाज़ व इबारतों की हिफ़ाज़त की लेकिन इसकी आयात के मानी के बारे में ग़लत तावील की।

दूसरी क़िस्मः मासूमीन[अ.स.] के नामों को हटाने का दावे करने वाली रिवायात

ये वो रिवायात हैं जिनमें ज़िक्र हुआ है कि क़ुर्आने मजीद की कुछ आयात में अइम्मए मासूमीन के अस्मा-ए-गिरामी ज़िक्र हुए हैं। वो रिवायात इस तरह हैंः-

1- जैसा कि काफ़ी में अबु जाफ़र इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ.स.] से रिवायत है कि आपने फ़रमाया कि जिब्रईले अमीन उसको लेकर हुज़ूरे अकरम[स.अ.] पर नाज़िल हुए। इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्देना फ़ी अली फ़ा-तू बे-सूरतिम मिल मिसलेह।[2] "अगर तुम्हें इस बात में शक है जो मैंने अली[अ.स.] के बारे में अपने बंदे पर नाज़िल किया है तो उसके मिस्ल एक सूरा ही ले आओ।"

2- जो रिवायत काफ़ी में अबू बसीर ने अबू अब्दिल्लाह इमाम जाफ़र सादिक़[अ.स.] से ख़ुदावंदे आलम के क़ौल के बारे में इस तरह "मंय युतीउल्लाह व रसूलहु फ़ी विलायति अली वल अईम्मति मिम बअ़दिहि फ़क़द फ़ा-ज़ फ़ौज़न अज़ीमा।"[3] (अल अह्ज़ाब) कि ये आयत इस

---

[1] अलकाफ़ी - 8:53 हदीस – 16
[2] सूरए बक़रा आयत -23 अलकाफ़ी 1:417 हदीस -8
[3] सूरए अहज़ाब आयत - 71

तरह नाज़िल हुई है।[1]

3- इसी तरह काफ़ी में जाबिर के ज़रिये अबू जाफ़र इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ.स.] से रिवायत है कि "व लव अन्हुम फ़अ-लू मा युअज़ू-न बिहि फ़ी अलियन ल-का-न खैयरा।[2]

इन रिवायात का एतिबार साक़ित होने के लिए मिरातुल उक़ूल में अल्लामा मजलिसी की जानिब से इन रिवायात को ज़ईफ़ क़रार दिया जाना ही काफ़ी है और मुहद्दिस काशानी की जानिब से उनके सही न होने की सनद की सराहत और शहादत के बाद हमारे लिए हर रिवायत अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती।[3]

सय्यद मुहक़्क़िक़ ख़ुई फ़रमाते हैं किः तंज़ील की कुछ तफ़सीलात तफ़सीर की हैसियत रखती हैं। वो ख़ुद क़ुर्आने मजीद का जुज़ नहीं हैं लिहाज़ा इन रिवायात को इस बात पर हम्ल करना चाहिए कि तंज़ील में अइम्मा-ए-मासूमीन का ज़िक्र उसी बाब से है यानी तफ़सीर से मुतअ़ल्लिक़ अल्फ़ाज़ में ज़िक्र हुआ है, अस्ल क़ुर्आने मजीद में नामों की कोई सराहत मज़कूर नहीं है और अगर इन रिवायात को मज़कूरा सूरत पर हम्ल न किया जा सके तो उन्हें तर्क कर देना चाहिए इसलिए कि ये किताब व सुन्नत और तहरीफ़ न होने पर क़ायम की जाने वाली गुज़िश्ता दलीलों के बिल्कुल मुख़ालिफ़ है।[4]

अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इन रिवायात का तफ़सीर पर हम्ल करना सही नहीं है तब भी ये रिवायत काफ़ी में मरवी अबू बसीर की सही रिवायात से टकराती हैं, जिनमें उन्होंने बयान किया है कि मैंने अबू अब्दिल्लाह इमाम जाफ़र सादिक़[अ.स.] से ख़ुदावंदे आलम के इस क़ौल "अतीउल्लाह व-अतीउर रसूल व उलिल अम्रे मिंकुम"[5] के बारे में दरयाफ़्त किया तो आपने जवाब में फ़रमाया कि ये आयए-करीमा हज़रत अली[अ.स.], इमाम हसन[अ.स.] और इमाम हुसैन[अ.स.] के बारे में नाज़िल हुई है। मैंने आपसे कहा कि लोग कहते हैं कि क्यों क़ुर्आने मजीद में हज़रत अली[अ.स.]

---

1 अलकाफ़ी - 8:414 हदीस – 8

2 सूरए निसा आयत -66

3 अल-वाफ़ी - 2:273

4 अल-बयान फ़ी तफ़सीरिल क़ुर्आन - 330

5 सूरए निसा आयत -59

और अहलेबैत[अ.स.] के नाम ज़िक्र नहीं हुए हैं? आपने फ़रमाया कि इन लोगों से कह दो कि रसूले इस्लाम[स.अ.] पर नमाज़ का हुक्म नाज़िल हुआ लेकिन ये ज़िक्र नहीं हुआ कि उसे तीन रकअ़त होना चाहिए या चार रकअ़त यहाँ तक कि ख़ुद रसूले इस्लाम[स.अ.] ने इसकी तफ़सीर फरमाई है।[1]

लिहाज़ा ये रिवायत उन तमाम रिवायात के बारे में क़ौले फ़ैसल साबित होगी और इसके ज़रिए उन रिवायात की वज़ाहत हो जाएगी।

इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा ये किया जा सकता है कि अबू बक्र की बैअत की मुख़ालिफ़त करने वालों ने क़ुर्आने मजीद में हज़रत अली[अ.स.] का नाम ज़िक्र होने को दलील के तौर पर नहीं पेश किया। अगर आपका इस्मे गिरामी क़ुर्आन में ज़िक्र हुआ होता तो उसके ज़रिये हुज्जत क़ायम करना ज़्यादा कार-आमद होता। ये किताबे ख़ुदा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली[अ.स.] का नाम ज़िक्र न होने के लिए ये बेहतरीन दलील है।

रिवायात के इस मजमूए में नीचे दी गई रिवायात का और इज़ाफ़ा किया जा सकता है।

1- वो रिवायत जो काफ़ी में असबग़ इब्ने नबाता से ज़िक्र हुई है जिसमें उन्होंने बयान किया कि मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली[अ.स.] से दरयाफ़्त फ़रमाया कि क़ुर्आने मजीद तीन हिस्सों में नाज़िल हुआ है। एक हिस्सा हमारे और हमारे दुश्मनों के बारे में नाज़िल हुआ है, एक हिस्से में सुन्नतें और मिसालें बयान हुई हैं और एक हिस्से में फ़राएज़ व अहकाम का ज़िक्र है।
2- वो रिवायत जो तफ़सीर अयाशी में इमाम जाफ़र सादिक[अ.स.] से नक़्ल हुई है जिसमें उन्होंने फ़रमाया अगर क़ुर्आने मजीद उसी तरह पढ़ा जाए जिस तरह वो नाज़िल हुआ है तो तुम इसमें हमारे नाम का ज़िक्र पाओगे।

अल्लामा मजलिसी ने इस बात की सराहत की है कि पहले वाली रिवायत अंजान है और दूसरी हदीस अयाशी ने दाऊद इब्ने फ़र्क़द से बग़ैर सिलसिला-ए-सनद इस तरह नक़्ल की है कि दाऊद इब्ने फ़र्क़द ने उस शख़्स से नक़्ल किया जिसने उन्हें ख़बर दी है।

[1] अल-काफ़ी - 1:286 हदीस – 1

इस तरह ये रिवायत मुरसल[1] है, इस तरह की सनद का कोई एतिबार नहीं होता और अगर उसे तस्लीम कर लिया जाए कि ये रिवायत सही है तो इसमें अइम्म-ए-मासूमीन[अ.स.] के नामों के ज़िक्र से मुराद उनकी तफ़सीर में इन नामों का ज़िक्र होना है न कि अस्ल क़ुर्आने मजीद में यानी अगर आयाते क़ुर्आन की तावील में ज़िक्र होने वाली कुछ गुफ़्तुगू को हज़्फ़ (remove) न कर दिया जाता और उसे मिटा न दिया जाता जिसे ख़ुदावंदे आलम ने इन आयात की तफ़सीर में नाज़िल फ़रमाया था। इसी तरह शाने नुज़ूल वग़ैरा को हज़्फ़ न किया गया होता तो इसमें हमारे नामों की सराहत कहीं न कहीं मिल जाती। अगर ख़ुदावंदे आलम के क़ौल के बग़ैर किसी कमी और बग़ैर किसी तरह के वहम की तालीम और बुग़्ज़ व हसद रखने वाले अहले बातिल की जानिब से ईजाद किए जाने वाले शक व शुब्हे के तफ़सीर की जाती तो तुम लोगों को हमारे नामों का ज़िक्र यक़ीनन मिल जाता।

हमारी इस गुफ़्तुगू से ये साबित हो गया कि तहरीफ़ यानी कमी या ज़्यादती पर दलालत करने वाली रिवायात नाक़ाबिले क़बूल हैं और उनकी बुनियाद पर क़ुर्आने मजीद में किसी कमी या ज़्यादती को साबित नहीं किया जा सकता हाँ ज़्यादा से ज़्यादा तफ़सीर व तावील के कम या ज़्यादा होने को साबित किया जा सकता है जिसका क़ुर्आने मजीद में होना साबित नहीं है।

तीसरी क़िस्मः वो रिवायात हैं जो क़ुर्आने मजीद में कमी और ज़्यादती दोनों तरह की तहरीफ़ का वहम पैदा करती हैं।

वो रिवायत ये हैं:-

1- वो रिवायत जो अयाशी ने अपनी तफ़सीर में मयस्सर के हवाले से इमाम जाफ़र सादिक़[अ.स.] से नक़्ल की है कि इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ.स.] ने फ़रमाया अगर किताबे ख़ुदा में कुछ ज़्यादा या कुछ कमी न की गई होती तो अक़्लमंदों की नज़र से हमारा हक़ मख़्फ़ी न रह जाता। अगर हमारे क़ायम क़ियाम करने के बाद कोई गुफ़्तुगू करेंगे तो क़ुर्आने मजीद उनकी तसदीक़ करेगा।[2]

2- वो रिवायात जो काफ़ी में कुलैनी और बसाइर में सिफ़ार ने जाबिर से नक़्ल की है कि उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू जाफ़र इमाम

[1] जिसमें सिलसिला मुकम्मल ना हो

[2] अल-तफ़सीरुल अयाशी – 1:13 हदीस – 6

मुहम्मद बाक़िर[अ.स.] से सुना है कि आप फ़रमा रहे थे कि लोगों में से जिसने ये दावा किया कि उसने पूरा क़ुर्आन इस तरह जमा किया है जिस तरह वो नाज़िल हुआ है तो वो कज़्ज़ाब (बहुत बड़ा झूठा) है। क़ुर्आने मजीद को इस तरह जिस तरह ख़ुदावंदे आलम ने उसे नाज़िल फ़रमाया था सिवाए अली इब्ने अबी तालिब[अ.स.] के किसी और ने न जमा किया और न ही उसे महफ़ूज़ रख सका।[1]

2- जैसा कि कुलैनी ने काफ़ी में और बसाइर में सिफ़ार ने जाबिर के हवाले से इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ.स.] से रिवायत की है कि आपने फ़रमाया लोगों में औसिया के अलावा कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने पूरा क़ुर्आन मैअ् उसके ज़ाहिर व बातिन के जमा किया है।[2]

रिवायात की ये तीसरी क़िस्म भी क़ुर्आने मजीद के अल्फ़ाज़ और इसके मत्न में किसी तरह की तहरीफ़ साबित करने से क़ासिर है।

पहली हदीस अयाशी की मुरसल रिवायात में से है जो किताब और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होने के साथ-साथ मुसलमानों के इस इजमाअ् के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है जो क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की ज़्यादती न पाए जाने पर क़ायम है चाहे वो एक हर्फ़ के इज़ाफ़े की सूरत में क्यों न हुआ हो। इस इजमाअ् का दावा बुज़ुर्गाने दीन व शरीअत की बहुत सी जमाअ्तों ने किया है जिनमें सय्यद मुर्तज़ा व शेख़ तूसी, शेख़ तबरसी वग़ैरा शामिल हैं जैसा कि पहले भी बयान किया जा चुका है। अलबत्ता पहली हदीस में जिस किसी का तज़किरा हुआ है उससे मुराद इस आयत की तफ़सीर को सही ढंग से न समझ पाना और इसकी गहराई में उतर कर बातिन को हासिल न कर सकना मुराद है। हदीस में मज़कूर कमी से मुराद किसी आयत या सूरे या हुक्म की कमी हरगिज़ मुराद नहीं है।

और आपका ये फ़रमाना कि जब हमारे क़ायम का ज़ुहूर होगा और वो गुफ़्तुगू करेंगे तो क़ुर्आने मजीद उसकी तसदीक़ करेगा। इससे मुराद ये है कि क़ायमे आले मोहम्मद[अ.स.] की गुफ़्तुगू की ताईद और तसदीक़ यही मौजूदा क़ुर्आने मजीद करेगा, जो आज हमारे सामने मौजूद है। अगर इसमें

---

[1] अल-काफ़ी - 1:228 हदीस 1, बसाइरुदर्जात - 2:313

[2] अल-काफ़ी - 1:228 हदीस 1, बसाइरुदर्जात - 1:313

हक़ीक़त में किसी तरह की तहरीफ़ हुई होगी तो ये क़ुर्आने मजीद आपकी तसदीक़ बिल्कुल न करता। इसके मानी ये हैं कि इमामे अस्र[अ.स.] क़ुर्आने मजीद के मानी को उनकी हक़ीक़त के साथ इस तरह ज़ाहिर करेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई इल्हाम (अल्लाह कि तरफ़ से दिल में भेजी गयी कोई बात) या पेचीदगी बाक़ी न रह जाए और हर अक़्लमंद ये समझ लेगा कि क़ुर्आने मजीद आपकी तसदीक़ कर रहा है। लिहाज़ा पहली हदीस को अगर सही फ़र्ज़ कर लिया जाए तो इससे मुराद ये होगा कि लोगों ने क़ुर्आने मजीद के मानी में तहरीफ़ की है, इसमें कमी की है और इसमें वो मानी शामिल कर दिए जो हक़ीक़ी मानी नहीं थे यहाँ तक कि साहिबाने अक़्ल व ख़िरद के लिए हक़ीक़त गुम होकर रह गई।

और दूसरी रिवायत की सनद में अम्र इब्ने अबिल मक़दाम है जिसे इब्ने ग़ज़ाएरी ने ज़ईफ़ शुमार किया है।[1]

और तीसरी रिवायत की सनद में मनख़ल इब्ने जमील अल-असदी है जिसके बारे में ओलमा-ए-रिजाल का कहना है कि वो ज़ईफ़ और फ़ासिदुर रिवायह[2] है। उस पर ग़ुलू का इल्ज़ाम है, जिससे बहुत से ग़ालियों ने हदीसें नक़्ल की हैं।[3]

और उन हदीसों को सही फ़र्ज़ भी कर लिया जाए तो इन दोनों की तौजीह इन मानी में की जा सकती है कि अल्फ़ाज़ उसकी ताईद करें। सय्यद तबातबाई ने फ़रमाया है कि इमाम अली[अ.स.] का ये फ़रमाना कि उनके पास पूरा क़ुर्आने मजीद है। इसके ज़ाहिरी मानी अगरचे सिर्फ़ अल्फ़ाज़े क़ुर्आने मजीद में जिनसे तहरीफ़ का शुब्हा होता है लेकिन इन अल्फ़ाज़ को ज़ाहिर व बातिन जैसे अल्फ़ाज़ से पाबंद कर देना इस बात पर दलालत करता है कि यहां पर पूरे क़ुर्आने मजीद का इल्म मुराद है चाहे वो भी आम फ़हम अफ़राद के लिए ज़ाहिरी मानी के एतिबार से हो या उनसे इस्तिंबात किए जाने वाले बातिनी मानी से।[4]

सय्यद अली इब्ने मासूम अल-मदनी ने इन दोनों रिवायात को उन अहादीस के ज़िम्न में ज़िक्र किया है महज़ ये साबित करने के लिए बतौर

---

[1] मजम-उर-रिजाल-काफ़ी - 4:357, रिजाले दाउद - 281/516

[2] ग़लत रिवायत नक़्ल करने वाला है।

[3] मजम-उर-रिजाल-काफ़ी - 4:357, रिजाले दाउद - 281/516

[4] अल-काफ़ी - 1:228 फ़िल हामिश

शाहिद पेश किया जाना कि अमीरुल मोमनीन[अ.स.] और उनकी औलाद में दीगर औसिया और अइम्म-ए-मासूमीन[अ.स.] के पास पूरे क़ुर्आने मजीद का हतमी और यक़ीनी इल्म ख़ुदावंदे आलम की ताईद, उसकी नुसरत और उसकी जानिब से इल्हाम की बुनियाद पर था। इसी तरह पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] की तालीम के ज़रिए भी ये इल्म इन ज़वाते मुक़द्दसा तक पहुँचाया था और सय्यद अली ने ये भी ज़िक्र किया है कि इस सिलसिले में फ़रीक़ैन की जानिब से मुतवातिर हदीसें नक़्ल हुई हैं।[1]

इन दोनों रिवायतों को मौलाए कायनात अमीरुल मोमनीन हज़रत अली[अ.स] के मुसहफ़ (anecdotal note) में पाए जाने वाले इज़ाफ़े पर भी हम्ल किया जा सकता है जिसे आपने नबी अकरम[स.अ.] से लिया था। जो अपनी ख़ाहिशे नफ़्स से गुफ़्तुगू तक नहीं करते या वो इज़ाफ़ा ख़ुद ख़ुदावंदे आलम की जानिब से तंज़ील है जो अस्ल मानी की तशरीह के लिए वारिद हुई है लेकिन ये वाज़ेह रहे कि ये इज़ाफ़ा अस्ल क़ुर्आन में हरगिज़ नहीं है जिसे उम्मत तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी पैग़म्बर के हवाले की गई थी।

वो रिवायात जो इस बात पर दलालत करती हैं कि क़ुर्आने मजीद में कुछ मर्दों और कुछ औरतों के नाम थे जो हटा दिए गए। वो रिवायात इस तरह हैंः-

1- तफ़सीर अयाशी में बग़ैर सिलसिल-ए-सनद के (बतौर मुरसल) इमाम जाफ़र सादिक़[अ.स.] से रिवायत है कि आपने फ़रमायाः- क़ुर्आने मजीद में गुज़िश्ता रूदादें, मौजूदा रुनुमा होने वाले हालात और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले वाक़िआत ज़िक्र हुए हैं जिनमें कुछ मर्दों के नाम थे, उन नामों को हज़्फ़ कर दिया गया है जिनमें से एक नाम की इतनी सूरतें हो सकती थीं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, सिर्फ़ औसिया और मासूम उनसे वाक़िफ़ हैं।[2]

2- काफ़ी में बज़ंती से रिवायत है कि मेरे पास अबुल हसन इमाम अली रज़ा[अ.स.] ने एक मुसहफ़ (क़ुर्आने मजीद) भेजा और फ़रमाया इसको मत देखना। मैंने उसे खोला और पढ़ा (लम यकुनिल लज़ी-न कफ़रु)[3] मैंने इसमें क़ुरैश के सत्तर मर्दों के नाम मअ़ वलदियत देखे। रावी का

---

1 शरहे सहीफ़ा-ए-सज्जादिया - 105

2 तफ़सीरे अयाशी - 1:12

3 सूरए बय्येना आयत - 1

बयान है कि आपने फ़ौरन मेरे पास एक क़ासिद भेजा और कहलवाया कि वो मुसहफ़ मेरे पास भेज दो।[1]

3- जो रिवायत शेख़ सदूक़ ने अपनी किताब सवाबुल आमाल में अब्दुल्लाह इब्ने सिनान से नक़्ल की है कि अबु अब्दुल्लाह इमाम जाफ़र सादिक़[अ.स.] से रिवायत है कि सूरए अहज़ाब में क़ुरैश की बहुत सी औरतों की मज़म्मत की गई थी और वो सूरए बक़रा से बड़ा सूरा था लेकिन लोगों ने उसे हटाकर इसमें कमी कर दी।[2]

ये रिवायात किसी भी तरह सही नहीं हो सकती इसलिए कि ये मुरसल या ज़ईफ़ या मरफ़ूअ हैं। अलबत्ता ये मुम्किन है कि जिन नामों को हटाए जाने की बात की जा रही है वो पहले तफ़सीर के तौर पर उसके मक़सूद को बयान करने के लिए इसमें मौजूद रहे हों न कि अस्ल क़ुर्आने मजीद के जुज़ में। ये नज़रिया मरहूम फ़ैज़ काशानी ने वाफ़ी में और सय्यद ख़ूई ने अल-बयान में ज़िक्र किया है। इसके अलावा भी कुछ दीगर अफ़राद का ख़याल है बल्कि शेख़ सदूक जो रईसुल मोहद्दिसीन हैं, उन्होंने भी ये रिवायत अपनी किताब सवाबुल आमाल में नक़्ल करने के बाद इस अक़ीदे की सराहत की है कि क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और ये सराहत इस बात की दलील है कि ये ओलमा-ए-किराम रिवायत नक़्ल करते वक़्त ज़रूरी नहीं है कि इसके सही होने का अक़ीदा भी रखते हैं। लिहाज़ा ये रिवायात क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की लफ़्ज़ी तहरीफ़ पर दलालत नहीं करती।

तीसरी बात ये है कि अगर ये रिवायात उन्हीं नक़्ल करने वाले ओलमा के नज़रियात की तर्जुमानी नहीं करतीं तो उन्हें मोतबर और काबिले एतिमाद किताबों में ज़िक्र क्यों किया गया।

इसका जवाब ये है कि इज्तिमाई कामों का मिज़ाज उन्हें अंजाम देने वालों के अक़ाएद व नज़रियात के साथ पाबंद नहीं होता ख़ासतौर पर अहादीस नक़्ल करने की मंज़िल में। गुज़िश्ता ज़माने में राएज था कि हदीस की किताबें मुरत्तब करने वालों की सारी मुहिम हत्तल इम्कान हदीसें जमा करने पर मरकूज़ होती थी, वो उन्हें परखने से ज़्यादा उन्हें जमा करने पर

---

[1] अल-काफ़ी - 2:63 हदीस - 16

[2] सवाबुल आमाल - 100

ज़ोर देते थे और उनके बारे में तहक़ीक़ व जुस्तुजू की ज़िम्मेदारी मुहक़्क़िक़ीन और मुज्तहेदीन के हवाले कर देते थे कि वो अहकामे शरीअत के इस्तेंबात (किसी इबारत को समझकर उससे मअ्नी निकालना) के वक़्त उन रिवायात को परख कर उनसे मसाएले शरीअत हासिल करें। इसीलिए तमाम हदीस की किताबों के बारे में मुकम्मल तहक़ीक़ व जुस्तुजू और उन पर बाक़ायदा रौशनी डालने की ज़रूरत है, जिसके लिए उन क़ाएदे क़ानून की ज़रूरत पड़ती है जो हदीसों की तनक़ीद व तहक़ीक़ और उन्हें परखने से मुतअ्ल्लिक़ इल्मे रिजाल की किताबों में बयान हुए हैं।

हदीसों की किताबें मुरत्तब करने वाले ओलमा व मुहद्दिसीन (हदीसें नक़्ल करने वाले) कुलैनी, शेख़ तूसी, सिहाह और मसानीद मुरत्तब करने वाले अफ़राद को तनक़ीद व तहक़ीक़ के वक़्त तंज़ व तशनीअ् का निशाना नहीं बनाना चाहिए बल्कि मुख़्तलिफ़ हदीसें नक़्ल करने की बिना पर उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ होनी चाहिए वर्ना अगर साहिबे किताब की राय और इसके अक़ीदे को मद्दे नज़र रखा जाए और सिर्फ़ वही हदीसें ली जाएँ जो साहिबे किताब के अक़ीदे के मुताबिक़ हों और बाक़ी रिवायात को रद्द कर दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा बहुत सा सरमाया ज़ाया हो जाए और बहुत सी हदीसें साहिबे किताब की राय के हवाले होकर रह जाएँ। इस तरह से दायर-ए-इज्तेहाद भी तंग होकर रह जाएगा और मुज्तहेदीन को सिर्फ़ मुज्तहेदीन की राय के मुताबिक़ रिवायात में अपने इज्तेहाद के लिए इकतेफ़ा करना पड़े और इस तरह दीने इस्लाम एक ज़माने या इलाक़े में महदूद सा होकर रह जाएगा जब कि इसका दायरा इतना वसीअ् है कि हर ज़माने और हर जगह को शामिल है।

लिहाज़ा गुफ़्तुगू की इस मंज़िल तक पहुँचने के बाद अब हम कह सकते हैं कि तहरीफ़ का शुब्हा इससे ज़्यादा बहेस का हक़दार नहीं है इसलिए कि ये किसी वाज़ेह बात के मुक़ाबले में शुब्हा करना है।

तहरीफ़ के सिलसिले में वारिद होने वाली रिवायत अपने अलग-अलग मज़ामीन और ज़ाती तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद सब के सब ख़बरे वाहिद की मंज़िल में हैं। यक़ीन का सबब बनने वाले तवातुर के मुक़ाबले में इन रिवायात पर हरगिज़ भरोसा नहीं किया जा सकता। अहादीसे मुतावातिर हमें इस बात का यक़ीन दिलाती हैं कि हमारे सामने मौजूदा क़ुर्आने करीम बिल्कुल वही क़ुर्आने मजीद है जो पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] पर नाज़िल हुआ।

इसमें ना कोई कमी हुई है और न ही किसी चीज़ का इज़ाफ़ा है।

यहाँ तक क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की भी तहरीफ़ यानी कमी या ज़्यादती होने के तमाम एहतेमाल का तज़किरा और उनकी तरदीद की जा चुकी है। लिहाज़ा किसी मुसलमान के लिए क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की कमी या ज़्यादती के क़ाएल होने की कोई गुंजाईश नहीं है और इस तरह का कोई अक़ीदा सिर्फ़ इस अक़ीदे के हामिल शख़्स की अपनी जिहालत नालायक़ी, हठधर्मी, ख़ुदग़र्ज़ी, मफ़ाद परस्ती, लालच या ख़ौफ़ की दलील होगा जो उसे दूसरों की तरफ़ से दरपेश होगा।

उम्मते इस्लामी की ज़िम्मेदारी है कि क़ुर्आने मजीद पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जोह देते हुए उसकी तिलावत, उसमें ग़ौर व फ़िक्र और उस पर अमल की भरपूर कोशिश करे और उसके पाकीज़ा पुरअम्न इन्सानी फ़ितरत से हमाहंग पैग़ाम को अमली तौर पर दुनिया के सामने पेश करते हुए उसके तईं दिलचस्पी बढ़ाने का ज़रियआ साबित हो।

मौजूदा क़ुर्आने मजीद के बारे में अहलेबैत[अ.स.] का नज़रिया

अइम्मा-ए-अहलेबैत[अ.स.] से बहुत सी ऐसी रिवायात वारिद हुई हैं जो इस बात का वाज़ेह और सरीह ऐलान हैं कि मौजूदा क़ुर्आने मजीद बिल्कुल वही क़ुर्आन है जो पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] पर नाज़िल हुआ है।

अगर हम मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत (topic) के बारे में इन ज़वाते मुक़द्दसा के इरशादात, उनकी वसीयतों और उनकी गुफ़्तुगू पर नज़र डालेंगे तो यही महसूस होगा कि अहकामे शरीअत के इस्तेंबात और उनके इस्तेदलाल में इसी मौजूदा क़ुर्आने मजीद को मरकज़ी हैसियत हासिल रही है इसी तरह इन्सानी तरबीयत या तफ़सीरे क़ुर्आन और फ़िक़्हे इस्लामी के क़ायदे क़ानून के बयान में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही क़ुर्आने मजीद बुनियादी और मरकज़ी किरदार अदा करता है।

हमारी इस गुफ़्तगु की मज़ीद तक़वियत इस बात से होती है कि इन ज़वाते मुक़द्दसा ने हमेशा इस क़ुर्आने मजीद की तिलावत, उसे हिफ़्ज़ करने की अहमीयत व ज़रूरत और इसकी आयात में ग़ौर व फ़िक्र की ताकीद फ़रमाई है। अइम्म-ए-मासूमीन[अ.स.] की जानिब से इस तरह की वसीयतें और ताकीद उनकी नज़र में मौजूदा क़ुर्आने मजीद की अज़मत और अहमीयत को वाज़ेह करती हैं।

यहाँ पर उनमें से कुछ रिवायात ज़िक्र की जा रही हैंः-

क- मौलाए कायनात हज़रत अली[अ.स.] ने क़ुर्आने मजीद के बारे में वसीयत और नसीहत फ़रमाई और इसके उलूम को बयान फ़रमाया जो साथ-साथ इस बात का एतिराफ़ और इक़रार है कि मौजूदा क़ुर्आने मजीद बिल्कुल वही क़ुर्आने मजीद है जो पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] पर नाज़िल हुआ था। हज़रत अली[अ.स.] फरमाते हैंः-

"तुम्हारे परवरदिगार की किताब तुम्हारे दरमियान है जो उसके हलाल व हराम, फ़राइज़, फ़ज़ाइल, नासिख़, मंसूख़, रुख़स्त (इजाज़त, अज़ाइम, (हुक्म तौफीकी पर), ख़ास, आम, इबरतों, मिसालों, मुरसल, महदूद, मुहकम, मुतशाबेह को बयान करने वाली, इसके इजमाल की तफ़सीर करने वाली, उसकी पेचीदगियों को वाज़ेह करने वाली, इसके इल्म के मीसाक़ को बयान करने वाली, बंदों की जिहालत में उनकी मुश्किलात के दायरे को तंग करके उनकी ज़िन्दगी में वुसअ़त लाने वाली है। किताबे ख़ुदा से जो वाजिबात साबित हैं और सुन्नतें मंसूख़ हो गई हैं उन्हें बयान करने वाली है। इसी तरह जिनका सुन्नतों में नस्ख़ होना मालूम है या सुन्नतों पर अमल वाजिब है किताबे ख़ुदा में उसे तर्क करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह इसमें वो भी बयान हुआ है जो मौजूदा वक़्त में वाजिब है बाद में ख़त्म होने वाला है इसके अलावा उन मुहर्रमात को बयान करने वाली है जिन पर आतिशे जहन्नम का वादा किया गया है या उन छोटे गुनाहों का भी ज़िक्र है जिनकी मग़फ़िरत की उम्मीद दिलाई गई है। इसी तरह जो थोड़ा सा भी होकर बारगाहे इलाही में क़बूल होने वाला है और जो इसकी इन्तेहा को वुसअ़त देने वाला है।"[1]

ख- अमीरुल मोमिनीन[अ.स.] ने फ़रमायाः- "क्या ख़ुदावंदे आलम ने नाक़िस दीन नाज़िल किया है कि बंदों से उसके पूरा करने के लिए मदद ली जाए या क्या उसके साथ कुछ लोग शरीक हैं जिन्हें कुछ कहने का हक़ है और उनके इस क़ौल पर रजामंदी परवरदिगार की ज़िम्मेदारी है या क्या ख़ुदावंदे आलम ने कामिल दीन नाज़िल किया है और रसूले इस्लाम[स.अ.] ने उसे पहुँचाने में कोताही की है (मआ़ज़अल्लाह)। ख़ुदावंदे

---

[1] नहजुल बलाग़ा पहला खुतबा ; अल-क़ुर्आन वल अहकामिश शरीयह

आलम क़ुर्आने मजीद में इरशाद फ़रमाता हैः हमने किताबे ख़ुदा में कुछ कम नहीं छोड़ा।''[1]

ग- हज़रत अली[अ.स.] ने हारिस हमदानी के पास ख़त में लिखाः- ''क़ुर्आन की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रखो और इस से नसीहत लेते रहो, उसके हलाल को हलाल जानो और उसके हराम को हराम समझो।''[2]

घ- आपने फ़रमायाः- ''ईमान से लबरेज़ होने का ज़रिया तिलावते क़ुर्आने मजीद है।''[3]

ड़- आप तिलावते क़ुर्आने मजीद के वक़्त उसमें ग़ौर व फ़िक्र की तरग़ीब देने के लिए फरमाते हैंः- ''आगाह रहना कि अगर तिलावते क़ुर्आन ग़ौर व फ़िक्र के साथ न हो तो उसमें कोई भलाई और ख़ैर नहीं है इसी तरह उस इबादत में कोई ख़ैर नहीं है जो समझदारी और दीन फ़हमी के साथ न हो।''[4]

ये तिलावते क़ुर्आन और इसमें ग़ौर व फ़िक्र जिसके बारे में इमाम अली[अ.स.] ने तरग़ीब दी है, उस क़ुर्आने मजीद के बारे में है जो हमारे सामने मौजूद है इसके अलावा और कोई क़ुर्आन नहीं है।

च- हज़रत अली[अ.स.] ने ये कहते हुए क़ुर्आने मजीद की तौसीफ़ फ़रमाई हैः- ''ख़ुदावंदे आलम ने क़ुर्आने मजीद को ओलमा की प्यास बुझाने का ज़रिया, फ़ुक़हा के दिलों की बहार, सालेहीन की राहों के लिए दलील व रहनुमा क़रार दिया है। इसे ऐसी दवा बनाया है जिससे बड़ी कोई दवा नहीं है और ऐसा क़रार दिया है जिसके साथ किसी तरह की ज़ुल्मत और तारीकी का बसर नहीं है।''[5]

2- हज़रत इमाम हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब[अ.स.] ने क़ुर्आने मजीद की इस तरह तौसीफ़ फ़रमाई हैः- ''इस क़ुर्आने मजीद में नूर के चिराग़ हैं और दिलों के लिए शिफ़ा है लिहाज़ा इसकी रौशनी से फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके सिफ़ात पर तवज्जो देना चाहिए इसकी तलक़ीन साहिबे बसीरत क़ल्ब के लिए ज़िन्दगी की हैसियत

---

[1] नहजुल बलाग़ा 1:288 ख़ुत्बा नं०-18

[2] शरहे नहजुल बलाग़ा 1:7 ख़ुत्बा नं०-198

[3] ग़ुररुल हेकम - 33:76

[4] बिहारुल अनवार जिल्द 92 पेज 211

[5] नहजुल बलाग़ा ख़ुत्बा नं०-198, शरहे नहजुल बलाग़ा इब्ने अबिल हदीद 10:199

रखती है जिस तरह नूर से मदद लेने वाला अंधेरे में नूर की मदद से रास्ता चलता है।"[1]

3- हज़रत इमाम अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबेदीन[अ.स.] क़ुर्आने मजीद की तिलावत ख़त्म करने के बाद ये दुआ करते थेः-
"बारे इलाहा! जब तूने क़ुर्आने मजीद की तिलावत पर नुसरत व मदद के ज़रिए हमें बहरामंद फ़रमाया और हमारी ज़बान के लिए तिलावत के मराहिल को आसान फ़रमाया तो हमें इस क़ुर्आने मजीद के हक़ की रिआयत करने वालों में से भी क़रार दे और उन लोगों में से क़रार दे जो आयाते क़ुर्आन के अहकाम के सामने सरे तस्लीम ख़म करने का अक़ीदा रखते हैं।"[2]

4- इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ.स.] से रिवायत है कि ख़ुदावंदे आलम मोमिनीन से फ़रमाता है कि जब क़ुर्आने मजीद की तिलावत की जाए (यानी नमाज़ में इमामे जमाअ्त क़ुर्आने मजीद की तिलावत करे तो उसे ग़ौर से सुनो। ये एक आम वसीयत है। जब भी इस क़ुर्आने मजीद का कोई सूरा पढ़ा जाए तो उसे ग़ौर सुनो।[3]
इसी तरह क़ुर्आने मजीद की तौसीफ़ बयान करते हुए इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ.स.] ने ये भी फ़रमाया हैः-
"क़ुर्आने मजीद का एक बातिन है और फिर उसके बातिन का भी एक बातिन है इसी तरह उसका एक ज़ाहिर है और इसके ज़ाहिर का भी एक ज़ाहिर है। लोगों की अक़्ल से क़ुर्आने मजीद की तफ़सीर से ज़्यादा दूर कोई चीज़ नहीं है। आयत की इब्तिदा किसी चीज़ के बारे में होती है और इंतिहा किसी दूसरी चीज़ के बारे में । वो एक ऐसी मरबूत और मुत्तसिल गुफ़्तुगू है जिसको कई जहतों पर हम्ल किया जा सकता है।"[4]
आपने मज़ीद फ़रमायाः- "जो शख़्स मक्क-ए-मुअज़्ज़मा में एक जुमे से दूसरे जुमे तक या इससे ज़्यादा या कम मुद्दत में क़ुर्आने मजीद ख़त्म करे और ये ख़त्मे क़ुर्आन जुमे के दिन हो तो ख़ुदावंदे आलम उसके

---

[1] बिहारुल अनवार जिल्द 78 पेज 112
[2] सहीफ़ा-ए-सज्जादिया दुआ नं० 42
[3] बिहारुल अनवार जिल्द 92 पेज 222
[4] बिहारुल अनवार जिल्द 92 पेज 20

लिए पहले जुमे से लेकर आख़िरी जुमे तक अज्र व सवाब लिखता है। इसी तरह बाक़ी दिनों में भी ख़त्मे क़ुर्आन का यही सवाब है।''[1]

5- अली इब्ने सालिम ने अपने वालिद के हवाले से रिवायत की है कि उन्होंने बयान किया कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़[अ.स.] से दरयाफ़्त फ़रमाया कि आप क़ुर्आने मजीद के बारे में क्या कहते हैं तो आपने फ़रमायाः- ''वो अल्लाह का कलाम है और उसका फ़रमान है, अल्लाह की किताब और उसकी जानिब से वह्‌यी और तंज़ील है। वो ऐसी नाक़ाबिले शिकस्त किताब है (जिसमें न बातिल आगे से आ सकता है और न ही पीछे की तरफ़ से। वो साहिबे हिकमत व मुस्तहिक्क़ि हम्द व सना की तरफ़ से नाज़िल होने वाली किताब है।)[2]

इमाम जाफ़र सादिक़ ने मज़ीद फ़रमायाः- ''ख़ुदावंदे आलम ने हम अहलेबैत की मुहब्बत को क़ुर्आने मजीद बल्कि तमाम किताब का मर्कज़ व महवर क़रार दिया है और इसी के गिर्द क़ुर्आने मजीद के मुहकमात गर्दिश करते हैं और इसके ज़रिये से किताबों से फ़ायदा हासिल होता है और ईमान मज़बूत व मुस्तहकम होता है।''[3]

इसी तरह आप मज़ीद फ़रमाते हैंः- ''जो अपनी राय से क़ुर्आने मजीद की तफ़सीर करे अगर वो सही हो तो उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा और अगर ग़लत हो तो उसके गुनाह का ख़मियाज़ा भुगतेगा।''[4]

फ़ुक़हा-ए-इस्लाम ने पंजगाना नमाज़ों में पढ़े जाने वाले सूरों के मुस्तहब्बात की तफ़सील बयान फ़रमाई है।[5]

जैसा कि शेख़ सदूक़ ने अइम्मा-ए-मासूमीन की जानिब से हर सूरे की तिलावत के सवाब में वारिद होने वाली हदीसों को नक़्ल किया है।

हदीसों की इस क़िस्म से शीअः मज़हब के बहुत से बुज़ुर्ग फ़ुक़हा जैसे शेख़ सदूक़ ने क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की तहरीफ़ न पाए जाने के अपने अक़ीदे पर इस्तेदलाल किया है।[6]

---

1 सवाबुल आमाल - 125
2 अमाली शेख़ सदूक़ - 545
3 बिहारुल अनवार जिल्द 92 पेज 27
4 बिहारुल अनवार जिल्द 92 पेज 110
5 जवाहिरुल कलाम जिल्द 9 पेज 400-416
6 अल-ऐतक़ादात शेख़ सदूक़ - 93

इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ.स.] ने अपने वालिद और अपने जद रसूले इस्लाम[स.अ.] से नक़्ल फ़रमाया हैः- जो रात में दस आयतों की तिलावत करे उसे ग़ाफ़िलीन में नहीं शुमार किया जाता है जो पचास आयतों की तिलावत करे उसे ज़िक्र करने वालों में शुमार किया जाता है। जो सौ आयतों की तिलावत करे उसे अल्लाह से डरने वालों में शुमार किया जाता है। जो दो सौ आयतों की तिलावत करे उसे ख़ुशूअ् रखने वालों में शुमार किया जाता है और जो तीन सौ आयतों की तिलावत करे उसे कामयाब होने वालों में शुमार किया जाता है और जो पाँच सौ आयतों की तिलावत करे उसका शुमार मुज्तहेदीन में किया जाता है और जो हज़ार आयतों की तिलावत करे......।[1]

इमाम जाफ़र सादिक़[अ.स.] से रिवायत हैः- "तुम्हारे ऊपर तिलावत ए क़ुर्आन फ़र्ज़ है इसलिए कि जन्नत के दर्जात क़ुर्आनी आयात के बराबर हैं। क़ियामत के दिन क़ुर्आन पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि क़ुर्आन पढ़ो और तरक़्क़ी पाओ जब वो किसी एक आयत की तिलावत करेगा तो उसे एक दर्जे की तरक़्क़ी मिलेगी।"[2]

इमाम जाफ़र सादिक़[अ.स.] से रिवायत हैः- मोमिन पर वाजिब है कि अगर कोई हमारा शीअः है तो उसके लिए ज़रूरी है कि शबे जुमा से जुमे तक क़ुर्आन पढ़े और अपने अज़ीम परवरदिगार के नाम की तस्बीह करे। अगर उसने ऐसा किया तो गोया रसूले इस्लाम[स.अ.] का अमल अंजाम दिया और इसका अज्र व सवाब ख़ुदावंदे आलम जन्नत की सूरत में अता करेगा।[3]

6- इमाम रिज़ा[अ.स.] ख़ुदावंदे आलम के इस क़ौल में क़ुर्आने मजीद के इशारे बयान फ़रमाए हैंः- ये वो बात है जो सिर्फ़ तेरे लिए नाज़िल हुई है इसी तरह ख़ुदावंदे आलम का ये क़ौल (अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारा अमल बर्बाद हो जाएगा) या ख़ुदावंदे आलम का ये क़ौल (अगर तुम्हें हम साबित क़दम न रखते तो तुम्हें उन पर भरोसा करना पड़ता। रय्यान इब्ने सल्त से रिवायत है कि मैंने इमाम रिज़ा[अ.स.] से कहा कि

---

1 अमाली शेख़ सदूक़ - 59–60

2 अमाली शेख़ सदूक़ - 359

3 सवाबुल आमाल - 146

ऐ फ़रज़न्दे रसूल[स.अ.] आप क़ुर्आने मजीद के बारे में क्या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमायाः-

ये अल्लाह का कलाम है इससे आगे न बढ़ना और इसके अलावा किसी और से हिदायत न तलब करना वरना गुमराह हो जाओगे।[1]

इसी तरह इमाम रिज़ा[अ.स.] ने ख़ालिस इस्लाम और दीनी अहकाम के बारे में जो ख़त मामून रशीद को लिखा है उसमें आया हैः-

''वो तमाम बातें जो मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लेकर आए हैं सब वाज़ेह और आशकार हक़ हैं और उसकी जानिब से तसदीक़ हैं और आपसे पहले जितने अम्बिया-व-मुरसलीन और उसकी हुज्जतें आई हैं और इस नाक़ाबिले शिकस्त किताब की तसदीक़ जिसमें बातिल न सामने से आ सकता है और न ही पीछे से वो अल्लाह हकीम व हमीद की जानिब से नाज़िल होने वाली किताब है। वो तमाम किताबों का अहाता किए है। वो अपने आग़ाज़ से लेकर आख़िर तक हक़ ही हक़ है। हम इसके मुहकम व मुतशाबेह, ख़ास व आम, वादों, धमकियों, नासिख़, मंसूख़, वाक़िआत और ख़बरों पर ईमान रखते हैं और हमारा अक़ीदा है कि कोई भी मख़लूक़ इसके जैसा लिखकर लाने से आजिज़ है।''[2]

हमारी इस गुफ़्तुगू से बाशऊर अफ़राद के लिए इस मौजूदा क़ुर्आने मजीद के बारे में अहलेबैत[अ.स.] का नज़रिया वाज़ेह हो जाता है और ये भी आशकार हो जाता है कि इस क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की तहरीफ़ की कोई गुंजाईश नहीं है। इसमें न ही किसी चीज़ की कमी हुई है और न ही कोई इज़ाफ़ा हुआ है। लिहाज़ा क़ुर्आने मजीद के ख़िलाफ़ इस दौर में एक बेदीन फ़ित्नागर का फ़ित्ना अबस, बेहूदा और बेईमानी है जिसका ख़मियाज़ा उसे दोनों जहाँ की रुस्वाइयों की सूरत में बहरहाल भुगतना पड़ेगा।

क़ुर्आने मजीद के हर तरह की तहरीफ़ से महफ़ूज़ रहने की बहेस अइम्म-ए-मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के इर्शादात की रौशनी में अपने हुस्ने इख़्तिताम को पहुँचती है उम्मीद है कि क़ुर्आने मजीद के बारे में हर तरह के शक व शुबहे को दूर करने का ज़रिया साबित होगी।

❖❖❖

1 अयूनु अख़बार्रिज़ा - 2:57
2 अयूनु अख़बार्रिज़ा - 2:127

ख़ुलासा

तमाम तारीख़ी और हदीसी दलीलों नीज़ दुनिया के तमाम शीओं के मिज़ाज और उनकी तबीयत की रौशनी में साबित हो चुका है कि मुसलमानों की जानिब से इस बात को बहुत अहमियत दी गई है कि क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की कोई तहरीफ़ न होने पाए। ये उम्मते इस्लामी का असली क़ानून और उसका बुनियादी मसदर व माख़ज़ है और उसकी तहज़ीब व सक़ाफ़त, सियासत और अक़ीदों की तशकील में अहम किरदार अदा करता है।

इसी तरह ये भी साबित हो चुका है कि क़ुर्आने मजीद पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] की हयाते बा-बरकत में जमा और मुरत्तब हो चुका था और पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] गुज़िश्ता रसूलों की तारीख़ और उनकी किताबों के साथ तहरीफ़ से वाक़िफ़ थे। पैग़म्बरे इस्लाम[स.अ.] उम्मते इस्लामी के हालात से भी बख़ूबी वाक़िफ़ थे और उन ख़तरों पर भी नज़र रखते थे जो आपके बाद दीने इस्लाम के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखते थे। इसीलिए आपने पूरी कोशिश की और अपनी आख़िरत को दुनिया के लिए तर्क नहीं किया यहाँ तक कि जो कुछ आपके सीने में था वो सबका सब हाफ़िज़ीन के सीनों में मुन्तक़िल कर दिया जिनकी तादाद बहुत बड़ी थी और क़ुर्आने मजीद को दो दफ़्तियों के दरमियान जमा करने के लिए अपनी ज़िन्दगी में ही पूरी जद्दो जेहद फ़रमाई।

हमने इस किताबचे में खलीफ़ाओं के दौर में तहरीफ़ के एहतिमाल पर बहेस की और तहरीफ़ के नामुम्किन होने पर दलीलें क़ायम कीं। इसीलिए उनके बाद के हालात में भी ऐसे किसी इम्कान को रद्द किया इसलिए कि जब शेख़ैन के दौर में पूरा का पूरा क़ुर्आने मजीद हम तक पहुँचने की पूरी ज़मानत है तो इस तरह का कोई एहतिमाल क़ाबिले तवज्जोह नहीं है। ख़ासतौर पर जब पूरी उम्मत इस्लामी उसकी हिफ़ाज़त पर कमर-बस्ता हो यहाँ तक कि किताबे ख़ुदा में किसी तरह की तहरीफ़ की कोशिश चाहे वो तहरीफ़ के एक हर्फ़ की कमी या ज़्यादती की सूरत में ही क्यों न हो।

अलबत्ता वो रिवायात जो हदीस की किताबों में नक़्ल हुई हैं और जिनमें क़ुर्आने मजीद में तहरीफ़ के एहतिमाल को तक़्वियत मिलती है उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता सिवाए उन ख़ास जेहत पर चलने वालों... के जो सही किताबों में वारिद होने वाली हर रिवायत आँख बंद करके अमल करने की पाबंद हैं। लेकिन मज़हबे अहलेबैत[अ.स.] की पैरवी करने वाले इन किताबों में पाए जाने वाली रिवायात को सनद और दलालत के एतिबार से परखने की कोशिश करते हैं और इस तरह ये साबित हो जाता है कि ये रिवायात क़ाबिले एतिमाद हैं।

ये बात फ़रीक़ैन (शीअः और सुन्नी) की जानिब से नक़्ल होने वाली रिवायात के बारे में बहेस व तन्क़ीद से वाज़ेह की जा चुकी है और साथ-साथ अईम्म-ए-अहलेबैत[अ.स.] और उनके मानने वाले ओलमा-ए-इस्लाम की तरफ़ से इस बात की सराहत और वाज़ेह एलान भी मौजूद है कि आयाते क़ुर्आने मजीद हर क़िस्म की तहरीफ़ से पाक व मुनज़्ज़ह हैं। इब्तिदा से लेकर आज तक इसमें ज़र्रा बराबर कोई तहरीफ़ नहीं हुई है।

और मज़हबे अहलेबैत[अ.स.] के इस मौक़फ़ और नज़रिए के मुताबिक़ ओलमा-ए-अहले सुन्नत का नज़रिया भी है और इस सिलसिले में दोनों के दरमियान कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है और जो इन हदीसों से नतीजे निकालने की कोशिश और नस्ख़े तिलावत के वाक़िआत बयान हुए हैं ओलमा-ए-मज़हबे अहलेबैत[अ.स.] के साथ-साथ ओलमा-ए-अहले सुन्नत ने उनसे मुक़ाबला करते हुए उन्हें ग़लत क़रार दिया है। इस तरह वो सारी कोशिशें बातिल और अबस साबित हो जाती हैं जो क़ुर्आने मजीद में किसी तरह की तहरीफ़ का शुब्हा पैदा करना चाहती हैं और उम्मते इस्लामी का ये बहुत अहम और मुक़द्दस मंबा व माख़ज़[1] हर तरह की तहरीफ़ के शक व शुब्हे से बिल्कुल ख़ाली नज़र आता है जिस पर फ़रीक़ैन का इजमाअ् है।

वा आख़िरु दअ्वाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन

❖❖❖

[1] source